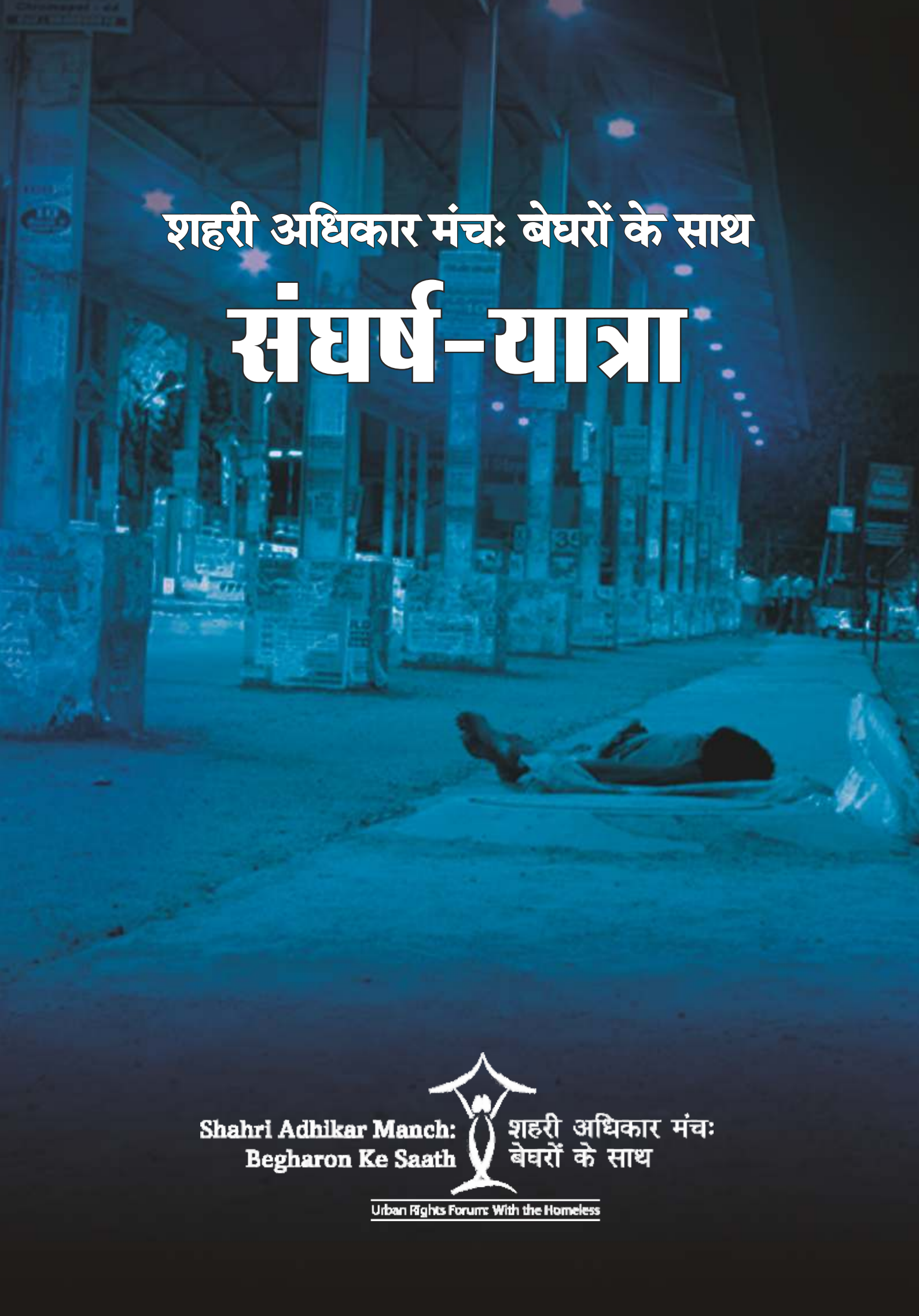

शहरी अधिकार मंचः बेघरों के साथ

संघर्ष-यात्रा

Shahri Adhikar Manch:
Begharon Ke Saath

शहरी अधिकार मंचः
बेघरों के साथ

Urban Rights Forum: With the Homeless

लेखकः जयश्री सूर्यनारायण
संपादकः शिवानी चौधरी एवं इन्दु प्रकाश सिंह

प्रकाशकः
शहरी अधिकार मंच : बेघरों के साथ
जी–18/1 निजामुद्दीन वेस्ट
लोअर ग्राउंड फ्लोर, नई दिल्ली–110013
+91–11–2435–8492
shahriadhikarmanch@gmail.com

हिंदी अनुवाद
महेन्द्र बोरा

सहयोग
अब्दुल शकील, सुनील कुमार आलेडिया

डिजाइन एवं प्रिंटिंग
कल्पना प्रिंटोग्राफिक्स
शकरपुर, दिल्ली–110092
मो.: 9910406059
kalpanaprintographics@gmail.com

मार्च 2014, नई दिल्ली

शहरी अधिकार मंचः बेघरों के साथ

संघर्ष-यात्रा

Shahri Adhikar Manch:
Begharon Ke Saath

शहरी अधिकार मंचः
बेघरों के साथ

Urban Rights Forum: With the Homeless

विषय सूची

1. परिचय 5

2. पृष्ठभूमि 9

3. शहरी अधिकार मंच: बेघरों के साथ का गठन और पहल 17

4. रणनीतिक हस्तक्षेप 21

5. भारत का सर्वोच्च न्यायालय और आवासहीनता की समस्या 31

6. दिल्ली सरकार के साथ सहयोग 37

7. सफलता और चुनौतियां 41

8. अन्य शहरों के लिए शिक्षा 45

9. निष्कर्ष 47

संलग्नकों की सूची

1. शहरी अधिकार मंच के सदस्य 50

2. शहरी अधिकार मंच: दृष्टि और लक्ष्य 51

3. शहरी अधिकार मंच द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गयी दीर्घकालीन योजना 54

3. दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 9.8.2011 का सार-संक्षेप 67

1 परिचय

बीएमएसएस (बेघर मजदूर संघर्ष समिति) बेघर मजदूरों का एक संगठन है। 11 अप्रैल, 2013 को दिल्ली के मोरी गेट स्थित बेघरों के आश्रयगृह के पास बीएमएसएस का वार्षिक सम्मेलन हुआ। इस अवसर पर असंगठित बेघर मजदूरों ने अमानवीय, भ्रष्ट और असंवेदनशील प्रशासन के विरुद्ध जमकर रोष प्रकट किया और इस देश के नागरिक होने के नाते अपने अधिकारों के प्रति जोरदार ढंग से आवाज उठायी। उनकी मांगों में रोजगार, पहचान और आवास की समस्या शामिल थी। ये बेघर मजदूर विभिन्न काम-धंधों और मजदूरी में लगे हैं। मेहनताना बहुत कम होने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में इन मजदूरों का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे मजदूरों में बेघर लोगों की संख्या बहुत है। ऐसा देश के लगभग सभी शहरों में है और देश की राजधानी दिल्ली में तो कई समस्याएं हैं।[1] खास बात यह है कि दिल्ली शहर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और अपनी पहचान, रोजगार, आवास एवं अन्य मानवाधिकारों को हासिल करने की मुहिम में ये बेघर श्रमिक संगठित हुए। विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यक्तियों और बेघरों के छोटे समूहों द्वारा लगभग दस वर्षों से भी अधिक समय से लगातार चलाये जा रहे लंबे और संघर्षशील आंदोलन इस संगठन की पृष्ठभूमि में हैं। बीएमएसएस का उद्देश्य बेघर मजदूरों के साथ सरकार द्वारा किए जा रहे असंवैधानिक व अमानवीय व्यवहार तथा उनके मानवाधिकारों की निरंतर अवहेलना को सामने लाना है।

दूसरी ओर, बीस से भी अधिक संगठनों के संयुक्त मंच 'शहरी अधिकार मंच: बेघरों के साथ' के नाम से जाना जाने वाला शहरी अधिकार मंच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बेघर लोगों की जटिल समस्याओं, उत्पीड़न और मानवाधिकार हनन के विषयों को हमेशा उठाता रहा है। उन्हें मानवाधिकार तथा अन्य अधिकार दिलवाने की पैरवी में प्रयासरत है। शहरी अधिकार मंच का मत है कि सरकार का संवैधानिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बेघर लोगों को पहचान प्रदान करे और उनके मानवाधिकारों की तत्परता से रक्षा करे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फोरम ने विभिन्न रणनीतियां अपनाई जिनमें बेघर नागरिकों को एकजुट करना, अपने अधिकारों के लिए भागीदारी सुनिश्चत करना, प्रभावी गठजोड़ बनाना और मीडिया द्वारा अपने मुद्दे उठाना तथा न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग करना शामिल है।

---

1. वर्कर्स ऑन पेवमेंट, लेबर फाइल, वाल्यूम 7, नं., 6-7, जून-जुलाई-2001

अध्ययन के तरीके और लक्ष्य

शहरी अधिकार मंच: बेघरों के साथ[2] के इस दस्तावेज का उद्देश्य दिल्ली के बेघरों के पक्ष में किए गए समस्त कार्यों और अनुभवों का विश्लेषण करना है। शहरी अधिकार मंच आवासहीनता की चुनौतियों के अल्प एवं दीर्घकालीन समाधानों को खोजने में काफी हद तक सफल रही है। हालांकि इस दिशा में अभी भी अनेक चुनौतियां और बाधाएं बाकी हैं और उनका प्रभावी समाधान ढूंढा जाना आवश्यक है। यह दस्तावेज एक प्रयास है अपने समस्त अनुभवों को समेटने का और उन सभी प्रयासों को साथ लाने का जो भारत के अन्य शहरों में आवासहीनता की समस्या से जूझ रहे सामाजिक संगठन अपना रहे हैं।

अध्ययन की इस प्रक्रिया में प्राथमिक और द्वितीयक छानबीन, सर्वेक्षण, जांच और बातचीत का मिश्रण किया गया, जो कि क्षेत्र में भ्रमण व शोध के दौरान चुने गए आश्रयगृहों से प्राप्त किए गए। इनमें मुख्य व्यक्तियों के साथ शहरी अधिकार मंच समिति की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्मित किए गए साक्षात्कार भी शामिल हैं। शहरी अधिकार मंच के क्रियाशील सदस्यों के साथ अनौपचारिक वार्तालाप के दौरान भी काफी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई। शहरी अधिकार मंच की पाक्षिक बैठकों व संयुक्त शीर्ष सलाहकार समिति (जेएएसी) की बैठकों के दौरान प्राप्त हुई सूचनाओं तथा जानकारियों को भी इस दस्तावेज में शामिल किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन बेघर लोगों के मामलों में किए गए आदेशों[3] और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा[4] भोजन के अधिकार संबधी विचाराधीन मुकदमों के समस्त प्रासंगिक प्रपत्रों की समुचित समाख्या की गयी है। दिल्ली सरकार की आधिकारिक सरकारी वेबसाइट 'मिशन कन्वर्जेन्स' से प्राप्त सूचनाओं को 'दिल्ली सरकार के साथ सहयोग और उसके परिणाम' अध्याय में समायोजित किया गया है, तथापि इस दस्तावेज में दिल्ली सरकार के 'मिशन कन्वर्जेन्स' की समीक्षा नहीं की गयी है। ऐसी समीक्षा के लिए साक्ष्यों पर आधारित एक अलग अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है, जो कि वर्तमान दस्तावेज के अध्ययन क्षेत्र की परिधि से एकदम बाहर की विषय-वस्तु है।

---

2. आरंभ में इस संस्था का नामकरण 'शहरी अधिकार मंच: बेघरों के लिए' किया गया था, परन्तु बाद में औपचारिक गठन के पश्चात इसका नाम बदल कर 'शहरी अधिकार मंच: बेघरों के साथ' कर दिया गया।
3. कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेज जीएनसीटीडी [डब्ल्यू.पी.(सी) 29/2010]
4. पीयूसीएल बनाम भारत गणराज्य [डब्ल्यू.पी.(सी) 196/2001) (भोजन का अधिकार संबंधी मामला)

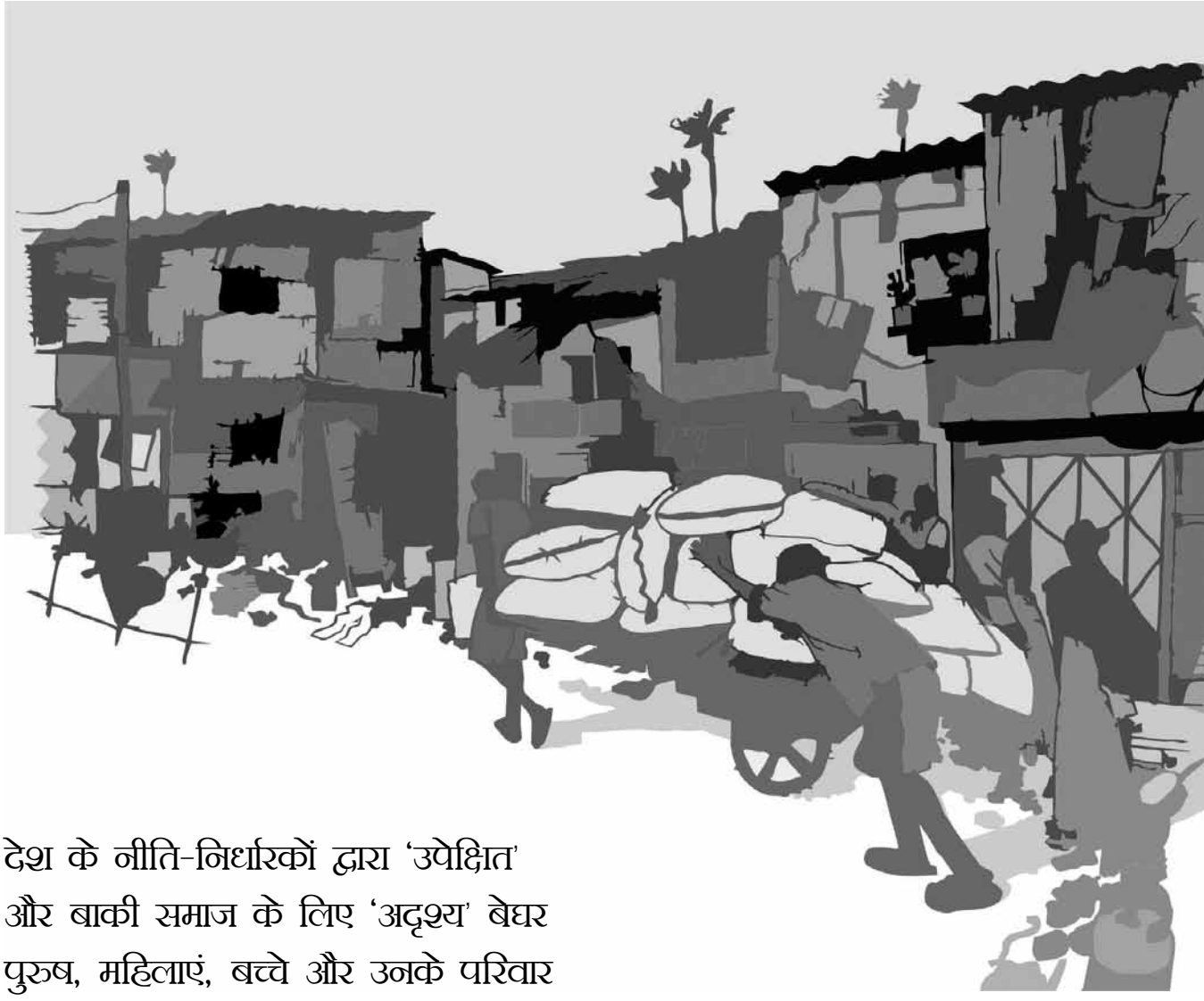

देश के नीति-निर्धारकों द्वारा 'उपेक्षित' और बाकी समाज के लिए 'अदृश्य' बेघर पुरुष, महिलाएं, बच्चे और उनके परिवार तमाम शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर खुले आसमान के नीचे रहते व सोते हैं। ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि सरकार इस ओर ध्यान देना उचित ही नहीं समझती।

2 पृष्ठभूमि

2.1. दिल्ली में बेघर की परिभाषा और विस्तार

जनगणना रिपोर्ट की परिभाषा

भारत की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 'बेघर लोग' वे हैं जो किसी भवन और मकान (छत वाले निर्माण) में निवास नहीं करते। बल्कि वह खुले में, सड़क के किनारे, फुटपाथ, सीवर के खाली पड़े पाइपों में, फ्लाईओवर या पुल के नीचे, जीने के नीचे, पूजागृहों के निकट खुले में, या रेलवे प्लेटफार्म आदि पर रहते हैं।[5] सन् 2001[6] की जनगणना में बेघर लोगों की संख्या का आंकलन 1.94 मिलियन (19.4 लाख) किया गया, जिनमें से 7.8 लाख बेघर लोग भारत के विभिन्न नगरों व कस्बों में खतरों के बीच जीवन यापन करने को मजबूर हैं।[7] राष्ट्रीय स्तर पर, 18 प्रतिशत बेघर परिवार केवल एक-सदस्यीय परिवार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन बेघर लोगों का प्रतिशत केवल 10 है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इन बेघर परिवारों की संख्या 29.3 प्रतिशत है। इन 29.1 प्रतिशत परिवारों में 3 से 4 सदस्य हैं, जबकि 21.9 प्रतिशत बेघर परिवारों में पांच से छः सदस्य हैं, और 18.6 प्रतिशत में सात से अधिक परिवारिक सदस्य हैं। सन् 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, शहरी भारत में 9.42 लाख (942,000) बेघर परिवार हैं, जबकि मात्र दिल्ली में ही 46,724 बेघर लोग रहते हैं। जनगणना रिपोर्ट में दर्शायी गयी यह संख्या वास्तविक संख्या से बहुत कम है, जबकि हकीकत यह है कि भारत में बेघर लोगों की संख्या दिखायी गयी संख्या से कहीं अधिक है।

---

5. भारत की जनगणना:-
http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/houseless.aspx
6. इन्दु प्रकाश सिंह, 2001 (अप्रैल), सेंसस ऑफ होमलेस: ए फॉर्स एंड एसॉल्ट' न्यू दिल्ली: फर्स्ट सिटी मैगजीन, पेज-56-59
7. भारत की जनगणना:-
http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/houseless.aspx.

आश्रय अधिकार अभियान का आंकलन

दिल्ली में बेघर लोगों के विषय पर शोध कार्य व अन्य कार्य करने हेतु एक्शनएड इंडिया के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने आश्रय अधिकार अभियान (एएए)[8] की स्थापना की। एएए ने बेघर लोगों के जीवनयापन, दैनिक समस्याओं और आकांक्षाओं की गहराई से जानकारी प्राप्त करने के लिए[9] सन् 2000 में दिल्ली प्रदेश के उन अनेक भौगौलिक क्षेत्रों का आंकलन किया जहां बेघर लोगों की संख्या सर्वाधिक थी। सर्वेक्षण अभियान दस दिनों तक केवल रात में चलाया गया। सर्वेक्षण के दौरान दिल्ली की सड़कों पर रहने वाले बेघरों की संख्या 52,765 पायी गयी। यहां यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि सर्वे के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति छूट गया। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्वे टीम के लिए यह सम्भव नहीं था कि वह हर गली व सड़क तक पहुंच सके, जहां बेघर लोग रात को सोते हैं। माना यह भी गया कि पुरानी दिल्ली में अनेक बेघर श्रमिक रातभर व्यापारिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जिनकी गणना किया जाना सर्वे के दौरान संभव नहीं हो पाया। लिहाजा मोटे तौर पर आंकलन के अनुसार दिल्ली की सड़कों पर लगभग 1,00,000 बेघर लोगों का बसेरा है।

जनगणना एक मजाक है

भारत की जनगणना 2011 की प्रक्रिया के दौरान 28 फरवरी, 2011 की रात्रि को बेघर लोगों की गणना की जानी थी। दिल्ली प्रदेश में जनगणनाकर्त्ताओं की सम्पूर्ण प्रक्रिया में यथासंभव सहायता प्रदान करने और अवलोकन करने हेतु शहरी अधिकार मंच लगातार इस टीम के साथ रही। सरकारी जनगणना के अनुसार दिल्ली की सड़कों पर मात्र 46,724 बेघर लोग पाये गये (स्रोत: censusindia.gov.in)। जबकि विभिन्न गैर-सरकारी सामाजिक संगठन दिल्ली में बेघरों की संख्या 1,00,000 से अधिक बता चुके थे। अत: इस सरकारी जनगणना से असंतुष्ट होकर शहरी अधिकार मंच ने जनगणना में लगे उच्चाधिकारियों के समक्ष अपना विरोध प्रकट किया और इस विसंगति के लिए समाचार पत्रों को अपना बयान भी जारी कर दिया।

चेन्नई महानगर में एक गैर-सरकारी सामाजिक संगठन ने 2003 में अपने एक सर्वेक्षण में बेघर लोगों की संख्या सरकारी जनगणना के आंकड़ों से दोगुना अधिक पायी। (11,000 बेघर परिवारों में 40,500 लोग) और यह भी खुलासा किया कि उन समस्त बेघर लोगों में 83 प्रतिशत दलित थे। (स्रोत: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नरों की आठवीं रिपोर्ट: सर्वाधिक पीड़ित सामाजिक घटक पर एक विशेष रिपोर्ट और उनका भोजन का अधिकार, सितम्बर 2008: भोजन का अधिकार संबंधी मुकदमा [डब्ल्यूपी(सी) 196/2001]

अनेक लोगों का मत है कि सन् 2001 की जनगणना भी एक मजाक है, क्योंकि सरकारी तंत्र ने दिल्ली की सड़कों पर बसे हजारों बेघर लोगों को गणना में शामिल ही नहीं किया। (देखें फुटनोट 6)

बेघरों पर अन्य सर्वेक्षण

देश के विभिन्न शहरों में अलग-अलग कार्यों में लगे बेघरों पर किए अन्य सर्वेक्षणों में अलग ही परिणाम सामने आए।[10] इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसायटी (आईजीएसएसएस) द्वारा 2008 में किए सर्वेक्षण के मुताबिक

---

8. शहरी अधिकार मंच कार्य समिति के सदस्यों में से एक इन्दु प्रकाश सिंह आश्रय अधिकार अभियान (ए.ए.ए.) के प्रथम निदेशक थे, जिन्होंने मार्च 2000 से जुलाई 2003 तक कार्यों का संचालन किया। बाद में वह एक्शन ऐड इंडिया में चले गए (अगस्त 2003-अक्टूबर 2008) ताकि इस कार्य को वह पूरे भारत में संचालित कर सकें।
9. The Capital's Homeless: A Preliminary Study, Aashray Adhikar Abhiyan (Delhi: 2001).
10. Pune's Homeless: Living on the Fringes, CYDA (Pune: 2004); Choiceless on Streets, Bombay Urban Industrial League for Development (Mumbai 2011); The Unsung Saga of Makers of the City: Report on Homeless Count of Lucknow, ActionAid, Lucknow Regional Office; Labour Posts in Lucknow, Vigyan Foundation and ActionAid; Invisible CityMakers: An Action Research on Homelessness in Bangalore City, Bangalore-based NGOs and IGSSS, (Bangalore 2010); The Unsung CityMakers: A Study of the Homeless Residents in Delhi, IGSSS (New Delhi 2012); Living Rough: Surviving City Streets - a study of homeless in Delhi, Chennai, Patna and Madurai, Centre for Equity Studies (Planning Commission of India, 2008-09).

सन् 2000 में आश्रय अधिकार अभियान द्वारा किए गए अध्ययन व सर्वेक्षण के बाद दिल्ली में बेघर लोगों की संख्या लगभग 60 प्रतिशत बढ़ी है। इस अध्ययन में यह भी पाया गया है कि बेघर लोगों की स्थिति वैसी ही दयनीय है जैसे कि पहले थी। शहरी गरीबों हेतु बनी सरकार की समस्त योजनाएं तथा कार्यक्रम झोपड़-पट्टी में रहने वाले गरीबों तक सीमित रहे हैं, जबकि बेघर लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया।

देश के नीति-निर्धारकों द्वारा 'उपेक्षित' और बाकी समाज के लिए 'अदृश्य' बेघर पुरुष, महिलाएं, बच्चे और उनके परिवार तमाम शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर खुले आसमान के नीचे रहते व सोते हैं। ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जबकि सरकार इस ओर ध्यान देना उचित ही नहीं समझती। इस समस्या को विकराल रूप देने वाले कारण हैं, कस्बों और शहरी क्षेत्रों में सस्ते, सार्वजनिक आवासीय योजनाओं का अभाव, बढ़ती कृषि संबंधी समस्याएं, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों का नितांत अभाव और बिना विकल्प दिए ही जबरन बेदखली। जहां एक ओर सरकारी नीतियां लोगों को सड़क पर रहने को मजबूर करती हैं, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर जीवन-यापन करना और आजीविका कमाना कानून की नजर में अपराध है। छोटे कस्बों और शहरी क्षेत्रों में झोपड़-पट्टियों से निवासियों की जबरन बेदखली भी इन बेघरों की संख्या में तेजी से होती वृद्धि का कारण है। दिल्ली में सन् 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों से पूर्व नगर के सौंदर्यीकरण अभियान के तहत बड़ी संख्या में झोपड़-पट्टियों को उजाड़ा गया था।[11]

इस बेदखली में कुछ 'योग्य' समझे जाने वाले विस्थापितों को (बहुत कम संख्या में) सरकार द्वारा कहीं अन्यत्र बसा दिया गया था, जबकि वह स्थान विस्थापितों के रोजगार स्थल से बहुत अधिक दूरी पर थे। अधिकांश प्रभावित लोग जिन्हें प्रशासन ने विस्थापन योग्य नहीं समझा, वह रातोंरात बेघर हो गए, परिणामस्वरूप उनकी रोजी-रोटी, पारिवारिक जीवन, छोटे बच्चों की पढ़ाई आदि सब कुछ बुरी तरह प्रभावित हुए।

2.2 बेघरों का मानवाधिकार हनन

तमाम मानवाधिकारों के हनन की श्रृंखला में बेघर लोग समुचित आवास न होने के चलते काफी परेशानियां झेलते हैं। इसके अतिरिक्त बेघर लोग भोजन, स्वास्थ्य, रोजगार, जीवन-यापन और शिक्षा के अभाव में आत्म-सम्मान से नहीं जी पाते।

जोखिम भरा जीवन

जो लोग सुरक्षित घरों में रहते हैं और अपने समस्त अधिकारों का उपभोग करते हैं उनके लिए यह कल्पना करना भी अत्यन्त दुष्कर है कि घर के बिना जीवन कैसा होता है। बेघर होने का अर्थ है खुले आसमान के नीचे, विपरीत परिस्थितियों और तमाम जोखिमों के बीच जीवनयापन करना। अधिकांश बेघर लोगों को पुलिस अत्याचार और प्रकृति के कोप का सामना करना पड़ता है। बेघर लोग सामान्यतः फुटपाथ, सड़कों के किनारे, फ्लाईओवर के नीचे, दुकानों-मकानों के आगे, बाजार के रास्तों, बस अड्डों व रेलवे स्टेशनों और पूजागृहों के आसपास रहते हैं। उन्हें रात में पियक्कड़ वाहनचालकों की गाड़ियों से कुचले जाने का खतरा बना रहता है। कुछ नगरों में अकेली स्त्रियां पूजागृहों के आसपास, बच्चे बस अड्डों व रेलवे स्टेशनों और बेघर परिवार सड़कों के किनारे रहना पसन्द करते हैं।[12] इन बेघर लोगों में वे लोग भी शामिल हैं जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं और गैर-आवासीय निर्माणों जैसे सार्वजनिक कल्याण इत्यादि संस्थाओं में रहते हैं।

---

11. हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क द्वारा तैयार की गई एक तथ्यपरक रिपोर्ट के अनुसार सन् 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के कारण दिल्ली में 2,00,000 से अधिक लोग बेघर कर दिए गए। देखें:
http://www.hic-sarp.org/documents/Planned%20Dispossession.pdf.
12. लिविंग रफ: सरवाइविंग सिटी स्ट्रीट्स: सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज (भारत का योजना आयोग, 2008-09)

बेघर लोग कहां रहते हैं?

जनगणना रिपोर्ट में दी गयी बेघर लोगों की परिभाषा को आगे विस्तार देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कमिश्नरों ने भोजन के अधिकार संबंधी मुकदमे में निम्न परिभाषा की सिफारिश की है:

जिन लोगों का न तो स्वयं अपना या किराए का मकान है, जबकि:

(1) वे लोग फुटपाथ, पार्क, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, पूजागृहों, दुकानों-फैक्ट्रियों के बाहर, निर्माण स्थलों, पुलों के नीचे या सीवर के खाली पाईपों में सोते हैं।

(2) वे लोग जो आश्रयगृहों, ट्रांजिट होम, अल्पकालीन गृह, भिक्षुगृह (जेल) और बालगृह में रहते हैं

(3) वे लोग जो बिना दीवार व छत वाले निर्माण, जैसे प्लास्टिक शीट, तिरपाल या पुराने कपड़ों के तम्बुओं, सड़क किनारे छप्पर की झोपड़ियों, पार्कों, गंदे नालों के किनारे और इसी तरह अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रहते हैं।

स्रोत: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कमिश्नर्स की दसवीं रिपोर्ट (नेशनल रिपोर्ट ऑन होमलेसनेस फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया), 2012 भोजन के अधिकार वाले मुकदमे [डब्ल्यूपी(सी) 196/2001] में:

Available at: http://sccommissioners.org/Reports/Reports/National%20Report%20on%20Homeless%20Shelters.pdf.

'शहर-निर्माताओं' के विभिन्न मानवाधिकारों का हनन

अधिकांश बेघर लोग किसी न किसी काम-धंधे में लगे होते हैं और अपने शहर की अर्थव्यवस्था में उनकी सक्रिय और महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। बावजूद इसके बेघरों के मानवाधिकारों का हनन किया जाता है। उन्हें संवैधानिक अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है। इसलिए शहरी अधिकार मंच उन्हें 'शहर-निर्माता' पुकारती है।

अधिकांश बेघर लोग जिनमें ज्यादातर पुरुष शामिल हैं, असंगठित क्षेत्रों में श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं और शोषण, अभाव और अत्याचार के शिकार हैं। इन बेघर श्रमिकों को महीने में केवल 10 दिन काम मिलता है जबकि बाकी दिन वे बेरोजगार रहते हैं। उनके हितकारी कानूनों जैसे मिनिमम वेजेज एक्ट, 1948, इंटर स्टेट माइग्रेन्ट वर्कमैन (रेगुलेशन ऑफ एम्प्लायमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) एक्ट, 1979 और बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स (रेगुलेशन ऑफ एम्प्लायमेंट एंड अंडर कंडिशंस ऑफ सर्विस) एक्ट, 1996 का खुलेआम उल्लंघन किया जाता है।

बेघर लोगों में कंगाल, अपाहिज, रोगी, बूढ़े, नशेड़ी और मानसिक रोगी आदि शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक संवेदनशील मामले बेघर वयस्क स्त्रियों और बच्चों के होते हैं जो कि आये दिन धमकियों, हिंसा और दुराचार के शिकार होते हैं।

बेघर लोगों के संघर्ष का सबसे बड़ा मुद्दा उनकी कानूनी पहचान का है। यह पहचान-पत्र घरों के पते, मकान नंबर, कॉलोनी के नामों आदि से जुड़े होते हैं, जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को राशन कार्ड, वोटर पहचान-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्राप्त होते हैं। यही वजह है कि अधिकांश बेघर लोग मतदाता पहचान-पत्र के अभाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते। इस तरह उनके मतदान करने के मूल अधिकार का हनन होता है। कानूनी पहचान और स्थायी निवास का प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने के चलते बेघरों का अस्तित्व सरकारी अभिलेखों में भी नहीं होता। एक तरह से सरकार बेघर लोगों के वजूद को ही नकार देती है, क्योंकि हमारे यहां मानवाधिकार संरक्षण नीति और स्पष्ट सरकारी नीतियों का नितांत अभाव है।

चूंकि बेघर लोग पहचान-पत्र और स्थायी निवास प्रमाणपत्र से वंचित हैं, इसलिए वे अधिकांश सरकारी सामाजिक कल्याण योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभ से भी वंचित हैं। पहचान-पत्र और स्थायी निवास प्रमाणपत्र की प्रशासनिक आवश्यकता बेघर लोगों के सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में सबसे बड़ी बाधा है। देश की बेघर जनता का जीवन जोखिम भरा और दयनीय है। बावजूद इसके उनमें से 60 प्रतिशत लोगों को अनेक

कल्याणकारी योजनाओं जैसे भोजन का अधिकार, या गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है।[13] विडंबना है कि निवास प्रमाणपत्र न होने के चलते बेघर लोग शहरी गरीबों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा लागू की गयी समस्त योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

2.3 बेघरों का अपराधीकरण

बेघर लोग अत्यन्त असुरक्षित स्थिति में रहते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वे पुलिस द्वारा कब बिना मतलब पीट दिए जाएंगे, या किसी झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। भारत में कुछ मामलों में आवासहीनता दंडनीय अपराध है। उदाहरण के लिए, दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 के अंतर्गत सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व संदेहास्पद परिस्थितियों में पाये जाने पर पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। नगरपालिका के कानून के अनुसार खुले स्थान पर स्नान करना, शौच करना और रहना दंडनीय अपराध है। भारत में पुलिस बेघर लोगों को आमतौर पर गिरफ्तार करती रहती है। यह सामान्यत: सीआरपीसी 1973 की धारा 109 और 151 के अंतर्गत शांति व्यवस्था कायम करने के नाम पर किया जाता है। इससे बेघर लोग लंबे अंतराल तक जेलों में पड़े रहते हैं, क्योंकि कानूनी सहायता के लिए बेघर लोगों के पास पर्याप्त साधन नहीं होते। कानूनी ज्ञान न होना, गरीबी और भूसंपत्ति-विहीन होना जमानत प्राप्त करने में बाधक बन जाती है।

भिक्षावृत्ति और घुम्मकड़ी भारत में अपराध है

भारत के विभिन्न राज्यों में भिक्षावृत्ति निवारण कानून के तहत घुम्मकड़ी (आवारगी) को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यदि यह स्पष्ट हो जाये कि किसी व्यक्ति का भिक्षावृत्ति के अतिरिक्त जीविका का कोई अन्य साधन नहीं है, तो उसे भिक्षावृत्ति के अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। दिल्ली प्रदेश में बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 लागू है। जिसके अनुसार भिक्षावृत्ति की परिभाषा है- 'सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगना और प्राप्त करना और इस स्थिति में सार्वजनिक स्थलों पर इधर-उधर घूमना और वहां रहना, जिससे संभवत: यह स्पष्ट होता है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति भीख मांगकर और उसे प्राप्त कर ही आजीविका चलाता है।' इस प्रकार यह कानून गरीबी, आवासहीनता की स्थिति और कुष्ठ रोगियों की स्थिति को भी अपराध घोषित करने का दुष्कृत्य करता है। इस कानून की विषद् परिभाषा के प्रभाव से पुलिस किसी भी गरीब जैसे दिखने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और बेघर लोगों को गलत ढंग से निशाना बना सकती है।

भिक्षावृति को अपराध की श्रेणी से हटाने के लिए जारी प्रयास

बेघर लोगों के विरुद्ध एक आम धारणा कि वे लोग घुम्मकड़, गंदे और अपराधी होते हैं, यही वजह है कि कानून भी इस बात पर सहमत है। बॉम्बे भिक्षावृति निवारण अधिनियम, 1959 इस गलत अवधारणा को पुष्ट करता है। यह कानून गरीबों को अकारण ही दंडित करना चाहता है। असंवैधानिक तथा अमानवीय होने के कारण इस कानून को निरस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। दिल्ली, मुंबई और पटना में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के तत्वावधान में चल रहे प्रोजेक्ट 'कोशिश' ने भिक्षावृत्ति को अपराध की श्रेणी से हटवाने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत भिक्षावृत्ति करने वाले गरीबों के पुनर्वास तथा उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में भी काफी प्रयास किए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी आवश्यकता के सिद्धान्त के अंतर्गत भिक्षावृत्ति के अधिकार की पुष्टि की है।[14]

---

13. सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर्स द्वारा प्रस्तुत आठवीं रिपोर्ट: ए स्पेशल रिपोर्ट ऑन द मोस्ट बल्नरेवल सोसल गुप्स एंड देयर एक्सेस टू फूड, सितम्बर 2008, भोजन के अधिकार वाले मुकदमे [डब्ल्यूपी (सी) 196/2001] में:-
http://www.sccommissioners.org/Reports/Reports/SCC8_0908.pdf
14. रामलखन बनाम राज्य 137(2007) डी.एल.टी. 173; एम.ए.एन.यू./डी.ई./9811/2006

2.4 समुचित आवास का अधिकार एक मानवाधिकार है

मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाना

अत्यन्त गरीबी से ही आवासहीनता की स्थिति उपजती है जिससे बेघर लोग अपने अनेक मानवोचित मौलिक अधिकारों से भी वंचित रह जाते हैं, जैसे- जीने का अधिकार, जिसमें सम्मान से जीने का अधिकार भी शामिल है। यह मौलिक अधिकार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीने के अधिकार की गारंटी दी गयी है। अनुच्छेद 14 में मौलिक अधिकार के रूप में प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 द्वारा समस्त नागरिकों को देशभर में कहीं भी आने-जाने, रहने और स्थायी रूप से निवास करने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है।

एक बेघर व्यक्ति जीने के अधिकार से वंचित हो जाता है, क्योंकि समुचित आवास का अधिकार भी जीने का अधिकार में शामिल है। इसमें भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य, पानी, सफाई, शिक्षा और जीविकोपार्जन के अधिकार भी शामिल हैं। इन्हीं सब अधिकारों के एक साथ मिलने से सम्मान सहित जीने का अधिकार पूर्ण होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जीने के मौलिक अधिकार को और भी अधिक विस्तार दिया है जिसमें कतिपय सार्वभौमिक और अविच्छेदनीय सामाजिक और आर्थिक मानवाधिकार भी शामिल किए गए हैं, जैसे- आवास, स्वच्छ वातावरण और जीविकोपार्जन के अधिकार। समुचित आवास का अधिकार, और इस अधिकार को उपलब्ध कराने का सरकार का दायित्व, जिनको दिल्ली उच्च न्यायालय सहित कई अन्य न्यायालयों ने अपने निर्णयों में समुचित मान्यता दी है।[15/16]

द इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स (आईसीईएससीआर), 1966, जिसे भारत सरकार ने सन् 1979 में अनुमोदित किया, में प्रावधान किया गया है कि 'प्रत्येक व्यक्ति तथा उसके परिवार को पर्याप्त मानक के जीवन का अधिकार प्राप्त है जिसमें समुचित आवासीय सुविधा, और अपने जीवन स्तर में निरन्तर सुधार का अधिकार भी सम्मलित है।'[17] संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के प्रतिवेदक ने समुचित आवास के मौलिक मानवाधिकार को पारिभाषित किया है, 'प्रत्येक स्त्री, पुरुष, युवा और बालक को सुरक्षित व संरक्षित आवास व समुदाय चुनने व प्राप्त करने का अधिकार है जिसमें कि वह शांति और सम्मान सहित अपना जीवन जी सके।'[18]

इस प्रकार, समुचित आवास के अधिकार को नए प्रगतिशील प्रकाश में संरक्षित करने व प्रदान कराने का कानूनी उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार व केन्द्र सरकार दोनों का है।

2:5 पिछले प्रयास

दिल्ली में आवासहीनता पर कार्य

19 नवम्बर, 1999 को भारत के योजना आयोग ने शहरी गरीबी के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें आवासहीनता का प्रमुख विषय था। इस मीटिंग के पश्चात कुछ संगठनों व व्यक्तियों ने आवासहीनता की समस्या के निराकरण का प्रयास प्रारम्भ दिया। 1999 में एक्शनएड इंडिया ने अपने दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्थापित सह-संगठन आश्रय अधिकार अभियान (एएए) की

---

15. देखें: दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय: सुदामा सिंह व अन्य बनाम दिल्ली सरकार (फरवरी 2010), और पी. के. कौल व अन्य बनाम भूसंपत्ति अधिकारी (नवम्बर 2010)
16. देखें: रिएफर्मिंग जस्टीशिएबिलिटी: जजमेंट्स ऑन द ह्यूमन राइट्स टू एडिक्वेट हाउसिंग फ्रॉम द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क (दिल्ली: 2013) उपलब्ध है:-
http://www.hic-sarp.org/documents/Reaffirming_Justiciability_Judgements_on_HRAH_from_High_Court_of_Delhi.pdf
17. अनुच्छेद 11.1, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966
18. देखें:- संयुक्त राष्ट्र में समुचित आवास मामलों के विशेष प्रतिवेदक, ए/एचआरसी/7/16, 13 फरवरी 2008

शुरुआत की। इस संगठन का उद्देश्य बेघर और बेघरों की समस्याओं को दूर करना था। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों का एक समूह संगठित हुआ, जिसने 'आवासहीनता' शब्द की व्याख्या की और बेघर लोगों के जीवन के बारे में एक विस्तृत समझ तैयार की। साथ ही साथ संगठन ने आवासहीनता की समस्या से निपटने हेतु एक व्यापक रणनीति भी तैयार की। संगठन की रणनीति दिल्ली में आवासहीनता की समस्या पर कार्य की शुरुआत के साथ अनुभव हासिल कर उसे देश के अन्य नगरों में विस्तार देना था।

आश्रय अधिकार अभियान (एएए) की भूमिका

सन् 2000 में एएए ने एक सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य बेघरों द्वारा सहन किए जा रहे कष्टों व समस्याओं को समझना और उनके निराकरण हेतु समाधान खोजना था। इस सर्वेक्षण में काफी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिनमें बेघरों पर पुलिस की बर्बरता व अत्याचार, शौच-स्नान आदि की सुविधाओं तथा स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्तता मुख्य हैं।

इस अनपेक्षित चुनौती की गंभीरता का अनुभव करते हुए, एएए ने नेटवर्किंग के सिद्धांत पर कार्य आगे बढ़ाया। एएए ने स्वास्थ्य, कानूनी सहायता, नशाखोरी निवारण, शुचिता से जुड़े संगठनों को भी अपने साथ जोड़ा।[19] इन संगठनों के सहयोग से एएए ने निम्न कार्यों की शुरूआत की:

- पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद क्षेत्र में बेघर लोगों के लिए एक स्वास्थ्य सेवा संगठन (एचआईजीएच)[20]
- भिक्षुक न्यायालय में कानूनी सहायता का कार्य[21]
- पुलिस और सामाजिक संगठनों को संवेदनशील बनाने का कार्य (सहृदयतापूर्वक सुनने के अभ्यास के जरिए)
- सामूहिक कार्यवाही की सुविधा।

दिल्ली नगर निगम द्वारा अपने कर्तव्यों का परित्याग

11 सितम्बर, 2001 को जामा मस्जिद क्षेत्र के मीना बाजार में एक आश्रयगृह बंद कर दिया गया। यह 1000 बेघर लोगों के आश्रय की क्षमता वाला था। आश्रयगृह बंद करने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (सीडब्ल्यू 6138/2001) दायर की गयी। एएए[22] द्वारा दिल्ली प्रदेश में किए गए समस्त आश्रयागृहों के सर्वेक्षण ने इस मुकदमे के कार्यक्षेत्र को और अधिक विस्तार दिया। न्यायालय के समक्ष पेश किए गए सर्वेक्षण के बिंदुओं में इन समस्त आश्रयों में व्याप्त अत्यंत निम्न व अमानवीय स्थितियों को दर्शाया गया।

दिल्ली नगर निगम के स्लम और जेजे विभाग जिसे नये नामकरण के बाद दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के नाम से जाना जाता है, के आयुक्त श्री मंजीत सिंह ने उच्च न्यायालय में बयान दिया कि चूंकि उनका विभाग इन रात्रि आश्रयों को चालू रखने में अक्षम है। लिहाजा, डीयूएसआईबी स्वयंसेवी संगठनों को ऐसे आश्रयों को चलाने हेतु मॉडल आधार पर धन व अन्य संसाधन प्रदान करा सकता है। डीयूएसआईबी के इस गैर-जिम्मेदाराना और आश्चर्यजनक बयान ने दिल्ली सरकार को बेघर लोगों के प्रति उसके उत्तरदायित्व से मुक्त करा दिया। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी आश्रय स्वयंसेवी संस्थाओं को सौंप दिए जाएं और उनके संचालन हेतु सरकार उन्हें धन उपलब्ध कराए।

आश्रयगृहों के प्रबन्धन के लिए स्वयंसेवी संगठन आगे आए

सरकार द्वारा अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पा लिए जाने के पश्चात एक रिक्तता पैदा हो गयी थी और उस समस्या को स्वयंसेवी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों ने दूर करने का काम किया और वे आश्रयगृहों के संचालन

19. भागीदारी की कला, आश्रय अधिकार अभियान एंड बुक्स फॉर चेन्ज (दिल्ली: 2005)
20. हेल्थकेयर बियोंड जीरो: इंश्योरिंग ए बेसिक राइट फॉर द होमलेस, आश्रय अधिकार अभियान इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन विहेबियर एंड एलाइड साइंसेज, एंड सहारा (दिल्ली: 2003)
21. पीपुल विदआउट नेशन- द डेस्टीट्यूट पीपुल, आश्रय अधिकार अभियान, 2005
22. बसेरे की कहानी, आश्रय अधिकार अभियान (दिल्ली: 2002)

के लिए आगे आए। 6 मार्च, 2014 तक 84 स्थायी और 147 अस्थायी आश्रयगृह सम्पूर्ण दिल्ली में विभिन्न एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिन्हें दिल्ली सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित किए जाने के विभिन्न पक्षों पर खण्ड 'दिल्ली सरकार के साथ सहयोग और उसके परिणाम' के वृत्तांत में दिया गया है।

व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और संगठनों की स्वेच्छा से आवासहीनता का दायित्व लेने के बाद एक नई शुरुआत हुई, जिसमें देश के अन्य शहरों में भी आवासहीनता की जटिलताओं को समझने और उसके रणनीतिक निराकरण करने का अवसर प्राप्त हुआ।

भिन्न समूह के रूप में आवासहीनता की मान्यता

बेघर लोग एक समान समूह से संबंधित नहीं होते, उनकी आवश्यकताएं और चिन्ताएं अलग-अलग होती हैं। उन्हें मानवाधिकार प्रदान करवाने हेतु हस्तक्षेप और उनके अधिकार प्राप्ति तक पहुंच प्रत्येक संबंधित समूह विशेष की आवश्यकताओं व परिस्थितियों पर निर्भर होती है। आवासहीनता का जटिल स्वरूप और इससे पीड़ित लोगों का बहुभेद वाला समूह, जो भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के कारण आवासहीनता से पीड़ितों की समस्या निराकरण हेतु सर्वांगीण प्रयत्नों की आवश्यकता है। इस विचार के अंतर्गत समस्त बेघरों को एक 'अस्थायी आवास' के बाद 'स्थायी समुचित आवास' की आवश्यकता है। साथ ही उनकी मानवीय और मानवाधिकार के संयोग से जुड़ी ऐसी आवश्यकताओं पर भी ध्यान केन्द्रित करना है जिसमें बेघर लोगों को अस्थायी रूप से मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराना शामिल है। जैसे-आश्रय, जल, स्वच्छता, भोजन, रोजगार, और सामाजिक सुरक्षा आदि, ताकि वे लोग सम्मान से जीवन यापन कर सकें।

3 'शहरी अधिकार मंच-बेघरों के साथ' का गठन और पहल

3.1 शहरी अधिकार मंच: बेघरों के साथ का गठन

दिल्ली के बेघरों के अधिकारों और आवासहीनता के साथ जुड़े अन्य कई पहलुओं वाली जटिल समस्याओं के कारण एक नए बड़े और मजबूत गठबंधन की आवश्यकता महसूस की गई। इस गठबंधन में बेघर समुदायों को भी शामिल किया ताकि दिल्ली में आवासहीनता की समस्या से निबटा जा सके। कार्य के विस्तार को देखते हुए बहुत से हाथ बंटाने वाले, बौद्धिक और दृढ़ संकल्प वाले लोगों की आवश्यकता थी। साथ ही आवासहीनता की समस्या का मानवाधिकार के पहलू से निवारण किए जाने की भी जरूरत थी। इसलिए सितम्बर 2008 में आवासहीनता के विषय पर संयुक्त रूप से कार्य करने की आवश्यकता पर सहमत हुए कई स्वयंसेवी संगठन एक साथ आकर जुड़े। इसी विमर्श ने आगे चलकर 'शहरी अधिकार मंच-बेघरों के साथ' (अरबन राइट्स फोरम:विद द होमलेस) को जन्म दिया।

शहरी अधिकार मंच की कल्पना दिल्ली में बेघर लोगों के मानवाधिकार को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने की थी। जिसकी गारंटी भारत के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रावधानों द्वारा दी गई है। शहरी अधिकार मंच का मुख्य उद्देश्य बेघर लोगों के साथ और उनके लिए एक मंच तैयार करना था, और उन्हें आंदोलन का नेतृत्व स्वयं करने और मानवाधिकार प्राप्त करने के लिए वकालत करने हेतु योग्य बनाना था। यहां शहरी अधिकार मंच की भूमिका एक ऐसा नेटवर्क उपलब्ध करवाने वाले की थी, जो आवासहीनता के विषय पर संबंधित पक्षों से उपयुक्त उत्तर प्राप्त करने में सहायता करे।

शहरी अधिकार मंच के सदस्य

शहरी अधिकार मंच बीस से अधिक ऐसे संगठनों का फोरम है जो दिल्ली में आवासहीनता की समस्या से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर कार्य कर रहे हैं। शहरी अधिकार मंच की सदस्यता का मानदंड इस प्रकार है- 1) संगठन का व्यक्ति आवासहीनता की समस्या पर लगातार कार्य कर रहा हो; 2) फोरम की कल्पना और सिद्धान्तों का समर्थन और पालन करता हो; 3) सामूहिक प्रयत्नों में सहयोग करता हो।

शहरी अधिकार मंच के सदस्यों में ऐसे समूह शामिल हैं जो बेघरों के बीच कार्य करते हैं। ये संगठन सूक्ष्म-स्तर पर कार्य करते हैं। कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो दोनों स्तरों पर कार्य करते हैं।[23] कुछ घटक संगठन जैसे बेघर मजदूर संघर्ष समिति (बीएमएसएस) और 'हक' मूल रूप से बेघर लोगों के ही संगठन हैं जो कि सूक्ष्म-स्तर पर कार्यरत संगठनों की वकालती दक्षता से लाभान्वित होते हैं।

23. शहरी अधिकार मंच के सदस्यों की सूची संलग्न-1 में दी गयी है।

शहरी अधिकार मंच की कार्यसमिति की भूमिका

शहरी अधिकार मंच के गठन के समय, सदस्यों ने कार्यसमिति[24] की नियुक्ति का निर्णय लिया ताकि त्वरित निर्णय लिए जा सकें और फोरम के कार्यों का दिशा-निर्देशन किया जा सके। शहरी अधिकार मंच सदस्य मिल-जुलकर आपसी सामंजस्य से कार्य करें और मंच के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करें। शहरी अधिकार मंच की कल्पना के अनुरूप बनी विकास की योजनाओं में सहायता करें।

वर्तमान कार्यसमिति के सदस्य तीन संगठनों से लिए गए हैं- इन्दु प्रकाश सिंह जो कि पहले इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसायटी (आईजीएसएसएस) के साथ थे, अब नेशनल फोरम फॉर हाउसिंग राइट्स (एनएफएचआर) के संयोजक हैं; मिलुन कोठारी, संयुक्त राष्ट्र में समुचित आवास मामलों के पूर्व विशेष प्रतिवेदक; शिवानी चौधरी, कार्यकारी निदेशक-हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क (एचएलआरएन) और अमिता जोसेफ, कार्यकारी निदेशक, बिजनेस एंड कम्युनिटी फाउंडेशन (बीसीएफ)।

आवासहीनता पर काम के स्तर व क्षेत्र को विस्तार देने में आवश्यक प्रेरणा प्रदान करने वाले ये सदस्य विभिन्न स्तरों पर कार्य करते हैं जिसमें नीति-निर्धारण भी शामिल है। कार्य समिति के पूर्व सदस्य हर्ष मन्दर भोजन के अधिकार वाले मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर थे। शहरी अधिकार मंच के वर्तमान कार्यसमिति सदस्य राष्ट्रीय सलाहकार समिति की शहरी गरीबी पर कार्यसमूह के सदस्य हैं। इस कार्यसमिति को प्राप्त समस्त सदस्यों की स्वीकृति उन सबके गहन अनुभव और लगन के प्रति सम्मान की द्योतक है।

कार्यसमिति के इन सभी सदस्यों ने शहरी अधिकार मंच द्वारा किए गए समस्त हस्तक्षेपों में अपने गहन अनुभवों का भरपूर सदुपयोग किया। विशेष रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को आवासहीनता से संबंधित मुकदमों में उन्होंने विशेष योगदान किया। इन मुकदमों का विस्तारपूर्वक विवरण खण्ड 'रणनीतिक हस्तक्षेप' में दिया जाएगा। नेटवर्क के मार्गदर्शक की भूमिका निबाहने वाले इन सभी सदस्यों ने शहरी अधिकार मंच की इस कार्यनीति को सुनिश्चित किया कि आवासहीनता की समस्या मानवाधिकारों के दायरे में रहे।

शहरी अधिकार मंच की दृष्टि और लक्ष्य

आवासहीनता की समस्या के निवारण हेतु मानवाधिकार अपनाने की कार्यनीति के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता की पूर्ति और बेघर लोगों के मानवाधिकार की पूर्ति किया जाना आवश्यक है। अल्पकालीन योजना में शहरी अधिकार मंच का लक्ष्य आवासहीनता की त्रासदी के प्रति सरकार और सामाजिक संगठनों की संवेदनशीलता को बढ़ाना है। इसके द्वारा बेघर लोगों के लिए बेहतर सेवाएं, जैसे- आश्रय के प्रावधान, रसोई और अन्य मूलभूत सुविधाएं तथा रोजगार के विकल्प प्रदान करवाना है। दीर्घकालीन लक्ष्य में समस्त बेघर लोगों को पर्याप्त व सुरक्षित आवास दिलवाने का प्रावधान करवाना और राज्य को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रतिबद्धताओं के प्रति उत्तरदायी बनाना है।

शहरी अधिकार मंच के मार्गदर्शक सिद्धान्तों जैसा कि मिशन एंड विजन स्टेटमेंट[25] में वर्णित है, यह नेटवर्क संयुक्त पहचान के सिद्धान्त के अनुसार कार्य करता है, न कि घटक संगठनों या व्यक्तिगत आधार पर। इसका संपूर्ण कार्य और कार्यवाहियां निम्न सिद्धान्तों के अनुरूप कार्य करेंगी:

- पारदर्शिता
- सहभागिता और सामूहिकता
- लिंग समानता, और
- भेदभाव विहीनता

---

24. सितम्बर 2008 से 2010 के मध्य तक कार्यसमिति में हर्ष मंदर (सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज), स्व. गैरी मिन्टो (बटरफ्लाइज), जोसेफ सेबेस्टीयन (आईजीएसएसएस), मिलुन कोठारी (संयुक्त राष्ट्र में समुचित आवास मामलों के पूर्व विशेष प्रतिवेदक), इन्दु प्रकाश सिंह (आईजीएसएसएस), अमिता जोसेफ (बिजनेस एंड कम्युनिटी फाउंडेशन), और डॉ. अमोद कुमार (सेंट स्टीफेंस हॉस्पीटल)

25. शहरी अधिकार मंच का दृष्टि और लक्ष्य संलग्नक-2 में दिया गया है।

आवासीय समाधान के विभिन्न चरण

समुचित आवास के मानवाधिकार को ध्यान में रखते हुए आवासीय व्यवस्था की चरणबद्धता को तीन चरणों में पूरा किया जाना चाहिए:[26]

1. **बेघर लोगों के लिए आश्रय:** जो लोग बिना आश्रय के और आपातकालीन स्थिति में रह रहे हों उनके लिए तात्कालिक व्यवस्था किया जाना।

2. **माध्यमिक आवासीय व्यवस्था:** इस व्यवस्था में अल्पकालीन आवास, कामकाजी पुरुष एवं महिला हॉस्टल, परिवार हॉस्टल, केयर होम्स, पुनर्वास केन्द्र और स्वास्थ्य केन्द्र आदि शामिल हैं।

3. **स्थायी आवास:** इसमें कम मूल्य के आवासों का प्रावधान शामिल है जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित मूलभूत सुविधाओं के मानकों के अनुरूप हों।

यहां इस बात को दोहराया जाना आवश्यक है कि आवासहीनता की समस्या के निवारण हेतु केवल आश्रय प्रदान किया जाना ही दीर्घकालीन निदान नहीं है। यह समस्या निवारण का प्रथम चरण ही है जिसे तात्कालिक रूप से लागू किया जाना है क्योंकि दिल्ली में बेघर लोगों के लिए पर्याप्त रहने योग्य और स्थायी आवासों की भारी कमी है। दीर्घकाल में आवासहीनता की समस्या के निराकरण में आवासहीनता के मूल कारणों को जानना और उनके निराकरण हेतु समुचित उपायों को विकसित करना भी शामिल है।

शहर में रहने का अधिकार

शहरी अधिकार मंच हमेशा बेघर लोगों/शहर निर्माताओं के लिए 'शहर के अधिकार' की वकालत करती रही है। वर्ल्ड चार्टर ऑन द राइट टू द सिटी ने शहर में बेघर लोगों के अधिकारों को परिभाषित करते हुए कहा है, 'बेघर लोग समानता, सामाजिक न्याय और प्रजातंत्र के सिद्धान्त के अंतर्गत शहर का लगातार उपभोग कर सकते हैं। यह नगर के समस्त निवासियों का सामूहिक अधिकार है। विशेषकर पीड़ित और हाशिए पर धकेले गए लोगों का, जो उन्हें कार्य करने और संगठित होने की वैधता प्रदान करता है।' इसके साथ ही वर्ल्ड चार्टर ऑन द राइट टू द सिटी 'पीड़ित और हाशिए पर धकेले गए लोगों को उनके रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार आत्म-सम्मान और समुचित जीवन स्तर के अनुरूप जीने का अधिकार प्रदान करता है।' इसी बात को ध्यान में रखते हुए तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा 'राइट टू द सिटी' को विकसित किया गया। 'राइट टू द सिटी' शहर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति खासकर हाशिए पर धकेले गये और वंचित लोगों को संसाधनों के उपयोग का समान अधिकार और अवसर प्रदान करने की वकालत करता है।

शहरी अधिकार मंच की कार्यप्रणाली

सचिवालय

सितम्बर 2008 में शहरी अधिकार मंच की शुरुआत से नवम्बर 2013 तक इंडो-ग्लोबल सोसल सर्विस सोसाइटी (आईजीएसएसएस) ने इसके सचिवालय के रूप में कार्य किया। इसके बाद हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क (एचएलआरएन) इसका सचिवालय बन गया। इसके सचिवालय की भूमिका यह है कि वह सदस्यों के आपसी तालमेल के लिए स्थान प्रदान करे, बैठकों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाए, कार्यालयी संवाद जैसे कि मंच की मेल इत्यादि के आदान-प्रदान में सहयोग करे।

बैठक और कार्यक्रम

शहरी अधिकार मंच के सदस्यों की बैठक आमतौर पर माह में दो बार प्रथम और तीसरे मंगलवार को होती है। अन्य मामलों के अलावा माह में दो बैठकें करने का उद्देश्य सदस्यों को काम बांटना, दिल्ली में आवासहीनता

---

26. शहरी अधिकार मंच द्वारा कोर्ट ऑन इट्स ऑन मोशन: बनाम जीएनसीटीडी [डब्ल्यूपी-(सी)29/2010] मामले में दिल्ली में आवासहीनता की समस्या के समाधान पर तात्कालिक और दीर्घकालीन योजना बनाने के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय को की गयी सिफरिशें।

की वर्तमान समस्या पर विचार-विमर्श करना, आवासहीनता से संबंधित नए तथ्यों के बारे में सरकार, दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट भेजना, नई चुनौतियों की पहचान करना, प्रगति का पर्यवेक्षण करना और रणनीतिक हस्तक्षेप की योजना बनाना है। ये बैठकें या तो सचिवालय में की जाती हैं या शहरी अधिकार मंच के सदस्यों द्वारा संचालित बेघरों के आश्रयगृहों पर।

माह में दो बार आयोजित की जाने वाली इन बैठकों में ही कार्यक्रम जैसे प्रेस कान्फ्रेन्स, जन-सुनवाई या अन्य कार्यक्रमों के बारे में निर्णय सदस्यों की सहमति से लिए जाते हैं। बैठकों के मुख्य बिन्दुओं को नोट किया जाता है। बैठक में उपस्थित और अनुपस्थित सभी सदस्यों इसकी जानकारी दी जाती है। किस दिशा में कार्य किया जाना है उसके लिए ये बैठकें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

आश्रयगृहों का प्रबंधन

शहरी अधिकार मंच के इस सामूहिक निर्णय के अनुपालन में कि बेघर लोगों को तात्कालिक रूप से तुरंत सहायता प्रदान करनी है, साथ ही राज्य सरकार के साथ मानवाधिकार के संरक्षण की वकालत भी करनी है, इसके लिए शहरी अधिकार मंच के बहुत से सदस्य आश्रयगृहों का प्रबंधन करते हैं। शहरी अधिकार मंच का मत है कि आश्रयगृह एक ऐसा केन्द्र है जहां एक बेघर व्यक्ति अन्य बेघर व्यक्तियों के सम्पर्क में आता है, और फिर अपने मूल अधिकारों की प्राप्ति के लिए आंदोलनरत हो जाता है। कुछ सदस्य अपने आश्रयगृहों को नए प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, वह दिन के दौरान इन आश्रयगृहों को बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में उपयोग करते हैं। 'हक' यमुना खादर और चिल्ला गांव में आश्रयगृहों को उन बच्चों के लिए शिक्षा के रूप में प्रयोग करता है, जो बच्चे किसी भी स्कूल में नहीं जाते। शाम को वहां अन्य बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाता है जो दिन में दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। एलईडीएस भी रैगरपुरा में अपने आश्रय को दिन के दौरान शिक्षा कक्ष के रूप उपयोग करती है।

बेघर मजदूर संघर्ष समिति

बेघर मजदूर संघर्ष समिति (बीएमएसएस) जो कि शहरी अधिकार मंच की सदस्य है, बेघर फाउंडेशन की एक घटक है और यह फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। बीएमएसएस अशोक पाण्डेय और मंसूर खान द्वारा स्थापित की गयी जो कि पहले खुद भी बेघर थे। आज बीएमएसएस के 10,700 सदस्य हैं, जो मजदूर हैं और दिल्ली शहर में बेघर हैं। इसके सदस्य अलग-अलग काम-धन्धों में कार्यरत हैं, जैसे-रिक्शा चलाना, झल्ली (सिर पर भार ढोना), पल्लेदारी, बेलदारी, बढ़ईगिरी, नलों की मरम्मत, केटरिंग/पार्टी आदि में मजदूरी, ठेला चलाना, ढाबे का कार्य, राजमिस्त्रीगिरी और पेन्टर आदि। बीएमएसएस में अलग-अलग काम-धंधों के अलग-अलग संगठन हैं जैसे-रिक्शा-चालक मंच, बेघर निर्माण मजदूर, और झल्ली मजदूर आदि। इन संगठनों की सदस्यता मुफ्त है। प्रारम्भ में इनकी सदस्यता शुल्क एक रुपए प्रतिदिन थी जिसे बाद में घटाकर एक रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया।

बीएमएसएस विभिन्न समितियों के जरिए कार्य करती है जैसे इलाकाई समिति और निगरानी समिति। इलाकाई समिति अलग-अलग क्षेत्रों में बनी हैं जहां बीएमएसएस काम कर रही है और एक क्षेत्रीय ईकाई है। निगरानी समिति बेघरों और बीएमएसएस के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करती है। इसका काम क्षेत्रवार बेघरों की स्थिति पर नजर रखना है और प्रत्येक नए घटनाक्रम के बारे में बीएमएसएस को सूचित करना है। प्रत्येक इलाकाई समिति अपने सदस्य प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में भेजती हैं। वर्तमान में समिति में 14 सदस्य हैं।

पहचान, रोजगार और आवास के नारे के साथ, बीएमएसएस तीन आश्रयगृहों का संचालन और बेघर कामगार मजदूरों के बीच सड़क पर चेतना लाने का कार्य करती है। बीएमएसएस पुलिस बर्बरता के मामलों में हस्तक्षेप करती है, और बॉम्बे भिक्षावृति निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित छापामार दलों द्वारा की जाने वाली गिरफ्तारी से बेघरों को बचाती है। बीएमएसएस की युवा शाखा वॉयस ऑफ यूथ ठेकेदारों की भूमिका को दरकिनार कर दैनिक वेतनभोगी मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोत्तरी के लिए बातचीत के माध्यम से कार्य करती है। ये युवा सदस्य सहायता और बचाव कार्यों में भी मदद करते हैं। हाल ही में बीएमएसएस ने एक महिला संगठन बेघर महिला संघर्ष मोर्चे का भी गठन किया है। जिसका उद्देश्य बेघर महिलाओं को संगठित कर व उनका सशक्तीकरण कर उन्हें स्वयं अपना संघर्ष चलाने हेतु सक्षम बनाना है।

4 रणनीतिक हस्तक्षेप

4.1 शहरी अधिकार मंच की रणनीति

शहरी अधिकार मंच ने दिल्ली में आवासहीनता के कारणों और समस्याओं से निपटने के के लिए कई रणनीतियों का एक साथ उपयोग किया। इसमें मीडिया द्वारा समस्या को उठाना, आवासहीनता से संबंधित वर्तमान में विचारधीन मुकदमों में हस्तक्षेप हेतु न्यायालय की सहायता करना, बेघर लोगों को सुविधाएं दिलवाने और उनकी सेवा के लिए प्रदेश सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना आदि शामिल हैं।

शहरी अधिकार मंच द्वारा अपनायी गयी रणनीतियों में शामिल हैं:

- आवासहीनता से जुड़े मुकदमों में दिल्ली उच्च न्यायालय की सहायता करना, और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय को सम्बोधित करना;
- प्रेस कान्फ्रेंस और प्रेस रिलीज के जरिए मामला प्रेस में लगातार उठाते रहना;
- प्राथमिक तथ्य संकलित करते रहना;
- व्याप्त परिस्थितियों के आंकलन हेतु समय-समय पर आश्रयों का उनकी उपलब्धता और पर्याप्तता का सर्वेक्षण करवाना और आश्रयगृहों के शोधपूर्ण सर्वेक्षणों के आधार विशद जानकारी पूर्ण शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल करना;
- सम्पूर्ण दिल्ली में बेघरों के निवास करने की स्थिति का आंकलन करने हेतु आश्रयगृहों का रात में निरीक्षण करना;
- आवश्कता पड़ने पर प्रदर्शन व रैली आयोजित करने जैसी सीधी कार्यवाही करना;
- आश्रयगृहों की स्थापना व प्रबंधन हेतु मानवाधिकार के मानक तय करना, जो समुचित आवास के मानवाधिकार के अनुरूप हों;
- बेघरों की समस्या के निवारण हेतु दिल्ली सरकार को शहरी अधिकार मंच के सामूहिक अनुभव के आधार पर तात्कालिक और दीर्घकालीन योजनाएं सुझाना;
- जन-सुनवाई आयोजित करना, जैसे दिल्ली में बेघर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर जन-सुनवाई आयोजित की गयी;
- बेघरों की मृत्यु व अन्य मामलों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग कर समुचित तथ्य एकत्रित करना;
- नगर-निर्माताओं के लिए मानवाधिकार शिक्षा कार्यशालाओं का आयोजन करना;
- बेघरों के अंतर्नगरीय समूहों के मध्य आदान-प्रदान हेतु सहायता प्रदान करना;
- देश के विभिन्न नगरों में बेघरों के संगठनों की सहायता करना और विभिन्न नेटवर्कों, आंदोलनों और संगठनों के साथ गठबंधन करना;
- अन्य मानवाधिकार संगठनों जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग आदि के समक्ष मामलों को उठाना।

दिल्ली में शहरी अधिकार मंच समर्थित घटनाएं तिथिवार

- 22 दिसम्बर 2009: दिल्ली नगर निगम ने रचना गोल चक्कर (पूसा रोड चौराहा) पर एक अस्थायी बेघर आश्रयगृह तोड़ दिया;
- 23 दिसम्बर 2009: शहरी अधिकार मंच ने दिल्ली के समाचार पत्रों को एक प्रेस-विज्ञप्ति जारी कर पूसा रोड चौराहे पर बेघरों के आश्रयगृह तोड़े जाने की तीव्र निंदा की;
- 23 व 24 दिसम्बर 2009: शहरी अधिकार मंच ने द टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुश्री अम्बिका पण्डित को उस स्थान का दौरा करवाया;
- 25 दिसम्बर 2009: द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस विषय पर मुखपृष्ठ पर समाचार प्रकाशित किया 'आउट इन द कोल्ड, ऑन एक्समस ईव';
- 31 दिसम्बर 2009: आश्रयगृह तोड़े जाने के बाद आसमान के नीचे खुले में रहने के कारण ठंड से 35 वर्षीय भीमा की मृत्यु हो गई;
- 4 जनवरी 2010: शहरी अधिकार मंच ने एक प्रेस कान्फ्रेन्स आयोजित की (देखे: संलग्नक-3 में प्रेस विज्ञप्ति);
- 5 जनवरी 2010: प्रेस कान्फ्रेन्स की विशाल मीडिया कवरेज, शहरी अधिकार मंच सदस्यों के कथ्य प्रकाशित;
- 6 जनवरी 2010: शहरी अधिकार मंच की प्रेस कान्फ्रेन्स के परिपेक्ष्य में विशाल मीडिया कवरेज के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मामले का स्वत: संज्ञान और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी;
- 10 जनवरी 2010: समुचित आवास पर संयुक्त राष्ट्र के पूर्व प्रतिवेदक मिलुन कोठारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा;
- 13 जनवरी 2010: सर्वोच्च न्यायालय के कमिश्नर श्री हर्ष मन्दर और श्री एन.पी. सक्सेना ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र लिखकर दिल्ली में बेघर लोगों की घोर त्रासदी, ठिठुरती सर्दी में उनकी बिगड़ती हालत और भूख से होती मौतों का मामला उठाया;
- 20 जनवरी 2010: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बेघरों को तुरन्त आश्रय व भोजन प्रदान करने हेतु दिल्ली सरकार के प्रति आदेश पारित किए;
- 25 जनवरी 2010: आईजीएसएसएस द्वारा बेघर लोगों पर किए गए सर्वेक्षण (दिल्ली में भिन्न लिंग व आयु के आधार पर अलग-अलग संख्याओं का विवरण दिल्ली 2021 के मास्टर प्लान के अनुसार प्रति एक लाख की आबादी पर एक बेघर आश्रयगृह की आवश्यकता के आधार पर पर्याप्त संख्या में बेघरों के आश्रयगृहों की आवश्यकता) का उदाहरण देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के कमिश्नरों ने सर्वोच्च न्यायालय को पुन: एक पत्र लिखा;
- 5 मई 2010: सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी राज्यों व केन्द्रशासित क्षेत्रों को नोटिस जारी कर यह सूचना मांगी कि वे बेघरों के कल्याण हेतु क्या कर रहे हैं। न्यायालय ने देश के सभी राज्यों व केन्द्रशासित क्षेत्रों को यह भी निर्देश जारी किए कि वह प्रति 1,00,000 की जनसंख्या पर सम्पूर्ण सुविधायुक्त एक बेघर आश्रयगृह बनाएं, जो कि दिन में 24 घंटे और पूरे वर्ष चलें;
- 2010-14 बेघरों की समस्या निवारण हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय व भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई प्रगतिशील आदेश पारित किए गए।

4.2 दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किए गए मुकदमे में शहरी अधिकार मंच द्वारा सहयोग

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किया मुकदमा

27 नवम्बर, 2009 को दिल्ली सरकार के तत्कालीन राजस्व सचिव श्री डी.एम. स्पोलिया ने बेघर लोगों की समस्या हेतु एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने शहरी अधिकार मंच व अन्य संगठनों की इस मांग को अस्वीकार कर दिया कि दिल्ली में सर्दियों के दौरान 70 अतिरिक्त आश्रयगृह स्थापित किए जाने चाहिए। इसके स्थान पर दिल्ली सरकार ने मात्र 17 आश्रयगृह ही स्वीकृत किए। राजस्व सचिव ने अपने कथन के साथ अपना निर्णय उचित ठहराने का प्रयास किया। उनका मानना था कि दिल्ली ज्यादा ठंड नहीं पड़ती। राजस्व सचिव के इस दृष्टिकोण की वजह से सरकार ने काफी देर बाद 2009 दिसम्बर मध्य तक मात्र 17 अतिरिक्त रात्रि आश्रयगृहों की स्थापना की।[27]

कड़कड़ाती ठंड में 22 दिसम्बर 2009 को दिल्ली नगर निगम ने पूसा रोड चौराहे के निकट एक पार्क में दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा स्थापित एक अस्थायी आश्रयगृह को तोड़ दिया। जिसके फलस्वरूप 250 बेघर लोग खुले आसमान के नीचे ठिठुरती सर्दी में रहने को मजबूर हो गए। 25 दिसम्बर 2009 को प्रकाशित एक समाचार में द टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार अम्बिका पंडित ने बेरहमी से की गयी इस कार्रवाई का ब्यौरा दिया और बेघर लोगों पर इसके कुप्रभाव का भी वर्णन किया। 31 दिसम्बर 2009 को गुब्बारे बेचकर गुजारा करने वाला 35 वर्षीय भीमा ठंड से ठिठुर कर मर गया। 4 जनवरी 2010 को शहरी अधिकार मंच ने दिल्ली में बेघर लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघनों को उजागर करने के लिए एक प्रेस वार्ता आयोजित की। फलस्वरूप 6 जनवरी 2010 को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाह ने समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार का स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिल्ली नगर निगम को उसी जगह पर तुरंत आश्रयगृह स्थापित करने का आदेश दिया। शहरी अधिकार मंच इस मुकदमें में अब भी न्यायालय की सहायता कर रही है।[28]

शहरी अधिकार मंच के सदस्यों द्वारा रणनीतिक समाचार प्रकाशन के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय[29] में एक मुकदमा शुरू हो गया, जिसका उपयोग शहरी अधिकार मंच ने दिल्ली सरकार की जवाबदेही बढ़ाने, पर्याप्त आश्रयगृह स्थापित करने और मूलभूत सेवा प्रदान करने हेतु किया। यह बेघरों को मूल अधिकार प्रदान करवाने की दिशा में पहला कदम है।

न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लिए मुकदमे में शहरी अधिकार मंच की भूमिका

एमिकस क्यूरी[30] द्वारा और आवश्यकता होने पर सीधे हस्तक्षेप द्वारा शहरी अधिकार मंच के सदस्यों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन इस मुकदमें में अत्यन्त सहयोगात्मक भूमिका निभायी। इसमें मुकदमें का परिधि क्षेत्र बढ़ाना भी शामिल है, जिसके द्वारा कुछ अन्य विषय और बेघर लोगों के मानवाधिकार उल्लंघन मुकदमे को और भी अधिक संगत बनाने कार्य किया गया है। शहरी अधिकार मंच ने यह भी सुनिश्चित किया कि मुकदमें की प्रगति को निरन्तर जमीनी वास्तविकताओं से अवगत कराया जाता रहे।

दिल्ली उच्च न्यायालय में विचारधीन मुकदमे में हस्तक्षेप द्वारा शहरी अधिकार मंच ने निम्न तथ्यों के प्रति ध्यान आकर्षित किया है:

---

27. 2013 में श्री स्पोलिया दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव बन गए। 28 दिसम्बर 2013 को जब श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने श्री स्पोलिया को इस पद से हटा दिया।
28. कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम जीएनसीटीडी [डब्ल्यूपी (सी) 29/2010]
29. कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम जीएनसीटीडी [डब्ल्यूपी (सी) 29/2010]
30. शहरी अधिकार मंच का प्रतिनिधित्व एमिकस क्यूरी के रूप में कार्यरत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयन्त भूषण और अधिवक्ता सुश्री रीना जार्ज द्वारा किया जा रहा है। सन् 2010 से इस मामले में वह अब तक 80 से अधिक बार सुनवाई के दौरान शहरी अधिकार मंच का बिना किसी भुगतान के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

- आश्रयगृहों के प्रबन्धन में सरकार का उत्तरदायित्व;
- पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं सहित पर्याप्त स्थायी तथा अस्थायी आश्रयों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता;
- पुल मिठाई पर जबरन बेदखली (बेदखली और पुल मिठाई के निवासियों की स्थिति पर इन्दु प्रकाश सिंह ने अपना शपथ-पत्र दाखिल किया);
- रचना गोल चक्कर पर पुलिस बर्बरता (पूसा रोड चौराहा) जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च एण्ड एक्शन (पीआरए) की कार्यवाही प्रकाश में आयी, बाद में आए उन तथ्यों को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया;
- जामा मस्जिद के निकट बेघरों के सबसे बड़े आश्रयगृह को बंद किया जाना (सन् 2001) और उसे तोड़ दिया जाना (सन् 2003);
- अस्थायी आश्रयगृहों को बंद करने से रोकना;
- दो अस्थायी रात्रि आश्रयगृहों में तापने हेतु आग की व्यवस्था;
- बेघर गर्भवती महिलाओं सहित अन्य बेघरों पर पुलिस की बर्बरता;
- दिल्ली में बेघर लोगों की मौतें।

स्थायी आश्रयगृहों के लिए मानवाधिकारों के मानक

संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति, सामान्य टिप्पणी सं.-4 'द राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग'[31] में विस्तार से व्याख्यायित 'समुचित आवास' के तत्वों व संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक की समुचित आवास पर रिपोर्ट का उपयोग करते हुए, शहरी अधिकार मंच ने दिल्ली में समस्त स्थायी आश्रयों की गैर-सौदेबाजी वाली आवश्यकता का प्रस्ताव दिया था। यह आश्रय जिन मानदंडों से जुड़े हैं, वह हैं उचित क्षेत्र, उपलब्धता, निवास करने योग्य होना, मूल आवश्यकताओं व सेवाओं की उपलब्धता, आसान दरें, सांस्कृतिक पर्याप्तता, सुरक्षा और निजता, सूचना और सहभागिता, बेदखली की आंशका रहित होना, और चिकित्सीय उपचार की उपलब्धता। दिल्ली में आवासहीनता की समस्या के निवारण हेतु इन तात्कालिक और दीर्घकालीन उपायों की सिफारिश शहरी अधिकार मंच द्वारा की गयी थी, जो दिल्ली सरकार और दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे।[32]

प्रति एक लाख की जनसंख्या पर एक आश्रयगृह

बेघरों के मानवाधिकारों के लिए शहरी अधिकार मंच ने एक तात्कालिक तथा दीर्घकालिक योजना[33] बनाई थी। हालांकि, आश्रयगृहों के निर्माण व प्रबंधन के मानक तय किए जा चुके हैं, जबकि मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु संघर्ष अभी भी जारी है। उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली 2021 के मास्टर प्लान को अपनी स्वीकृत करना एक बड़ी सफलता है, जिसमें प्रति एक लाख (1,00,000) जनसंख्या पर एक रात्रि आश्रय गृह का प्रावधान किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे सम्पूर्ण भारत में सामान्य नियम के रूप में स्वीकार कर लिया है।

संयुक्त शीर्ष सलाहकार समिति को पुनर्जीवन दिया

शहरी अधिकार मंच द्वारा बेघरों के आश्रयगृहों की निरंतर समाख्या और आश्रयगृहों में घटिया आवासीय स्थितियों और मूलभूत सुविधाओं के नितांत अभाव की लगातार शिकायत पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस

---

31. सामान्य टिप्पणियां (General Comments) इन्टरनेशनल कोवीनेन्ट ऑन इकॉनोमिक सोसल एंड कल्चरल राईट्स के सम्यक अनुच्छेदों की व्याख्या हैं। जनरल कमेन्ट 4 जिसका शीर्षक है 'दॅ राइट टू एडिक्वेट हाऊसिंग' (1991), कोविनेंट के अनुच्छेद 11(1)में दिए गए 'समुचित आवास' शब्द के अर्थ की विशिष्ट विस्तारपूर्वक व्याख्या करता है।
32. कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेज जीएनसीटीडी [डब्ल्यूपी (सी) 29/2010]
33. शहरी अधिकार मंच द्वारा तैयार की गयी दीर्घकालीन योजना संलग्नक-5 के रूप में दी गयी है।

तथ्य का स्पष्ट संज्ञान लिया कि विभिन्न नागरिक एजेंसियों और सरकारी विभागों के मध्य परस्पर सामंजस्य का अभाव है। फलस्वरूप न्यायालय ने संबंधित सरकारी विभागों व बेघरों के आश्रयगृहों का प्रबंधन करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की प्रतिनिधियों वाली संयुक्त शीर्ष सलाहकार समिति (ज्वाइंट अपैक्स एडवाइजरी कमेटी-जेएएसी जो सन् 2002-03 में सक्रिय थी) को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया।

जेएएसी में डीयूएसआईबी द्वारा आवंटित आश्रयगृहों का प्रबंधन करने वाले गैर-सरकारी संगठन, डीयूएसआईबी के अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड व अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हैं। जेएएसी की भूमिका बेघरों के आश्रयगृहों में विभिन्न सेवाओं का प्रावधान करने के प्रति उत्तरदायी सरकारी विभागों और आश्रयगृहों की रोजमर्रा की आवश्यकता पूर्ति का प्रबंधन करने वाले एनजीओ के मध्य संवाद-सूत्र के रूप कार्यरत रहने की है। जेएएसी दिल्ली में बेघर लोगों को सेवा प्रदान करने वाली विभिन्न सरकारी विभागों व एजेंसियों के मध्य भी आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि इस मामले में जेएएसी की भूमिका कभी भी रचनात्मक नहीं रही है।

उच्च न्यायालय के मुकदमे से प्राप्त कुछ बड़े परिणाम

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बेघरों के अधिकारों को स्वीकृति देते हुए कई प्रगतिशील आदेश पारित किए और दिल्ली सरकार को निर्देशित किया कि वह स्थायी आश्रयगृहों का विकास करे और अपने कानूनी व नैतिक दायित्वों का अनुसरण करते हुए दीर्घकालीन विस्तृत योजना बनाए। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वह बेघर लोगों को आश्रय प्रदान करे जहां वह सम्मान सहित अपना जीवनयापन कर सकें।[34] भले ही न्यायालय ने नौकरशाहों के आलसीपन, घमंड और संवेदनहीनता के कारण अपना ध्यान मुख्यत: आश्रयगृहों के प्रबंधन पर ही केंद्रित रखा, फिर भी इस मुकदमें से कुछ बड़े परिणाम भी प्राप्त हुए, जैसे:

- दिल्ली में स्थायी व अस्थायी आश्रयगृहों की संख्या में वृद्धि, क्रमश: 84 और 147;
- न्यायालय से प्राप्त यह निर्देश कि आवासहीनता की समस्या के निराकरण हेतु दीर्घकालीन योजना का विकास किया जाए और सरकार की एजेंसियां आपसी सामंजस्य से कार्य करें;[35]
- न्यायालय का यह निर्देश कि उपयोग में न लाए जाने वाली व खाली पड़ी सरकारी इमारतों को आश्रयगृहों के रूप में प्रयोग किया जाए;
- न्यायालय द्वारा सन् 2021 के मास्टर प्लान को अनुमति, जिसमें प्रति एक लाख की आबादी पर एक आश्रयगृह का प्रबंधन किया गया है, को कार्यान्वित करने हेतु सरकार को निर्देश जारी;[36]
- गर्भवती व दुधमुंहे बच्चे वाली महिलाओं को एक विशिष्ट समूह के रूप में मान्यता, जिन्हें अधिक सुविधा वाले आश्रयगृह की आवश्यकता है।;
- बेघरों के विरुद्ध पुलिस बर्बरता को सामने लाया गया;[37]
- अस्थायी आश्रयगृहों को बंद करने से रोकने के लिए न्यायालय से प्राप्त आदेश;[38]
- आश्रयगृहों के प्रबंधन की निगरानी करने हेतु संयुक्त शीर्ष सलाहकार समिति (जेएएसी) का गठन, और बेघर लोगों की संख्या के आधार पर नए आश्रयगृहों की स्थापना करने का निर्देश;[39]
- मूल आवश्यकताओं के अभाव की पूर्ति के लिए निदेशक, रात्रि आश्रय अधिकारी और डीयूएसआईबी की व्यक्तिगत जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश।[40]

---

34. कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेज जीएनसीटीडी [डब्ल्यू.पी. (सी) 29/2010], दिनांक 13.01.2010 का आदेश
35. वही, दिनांक 22.01.2010 का आदेश
36. वही, दिनांक 10.02.2010 का आदेश
37. वही, दिनांक 02.05.2010 का आदेश
38. वही, दिनांक 09.08.2010 का आदेश
39. वही, दिनांक 21.12.2010 का आदेश
40. वही, दिनांक 01.08.2012 का आदेश

शहरी अधिकार मंच के सहायता से ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क (एचआरएलएन) द्वारा दायर एक अन्य मुकदमे[41] में दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को आदेश दिया कि वह मोतिया खान परिवार के आश्रयगृह के समस्त निवासियों को मुफ्त नाश्ते, दोपहर का भोजन और रात का भोजन प्रदान करे। न्यायालय ने सरकार को यह भी आदेश दिया कि वह इस आश्रयगृह में हीटर व गीजर के साथ-साथ बेघरों को चिकित्सा सुरक्षा भी प्रदान करवाये।

न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन की चुनौती

आश्रयगृहों का प्रबंधन

ऐसा लगता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली नगर निगम को पूसा रोड चौराहे के आश्रयगृह को तोड़ने के मामले में नोटिस जारी किए जाने के चार वर्षों बाद मुकदमे का ध्यान आश्रयगृह के रोजमर्रा के प्रबंधन पर केन्द्रित हो गया लगता है। बावजूद इसके शहरी अधिकार मंच लगातार बेघर लोगों की अनेक अन्य समस्याओं को आगे लाने का प्रयास करती रही, जैसे दिल्ली में कम खर्चीले आवासों का अभाव, पुलिस की बर्बरता, और जबरन बेदखली। इसके पीछे रणनीति छोटे-छोटे आदेशों की अपेक्षा न्यायालय का ध्यान बेघर लोगों की तात्कालिक और दीर्घकालीन आवास की नीति की ओर आकृष्ट करना था। शहरी अधिकार मंच की एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि वह बेघर लोगों की परेशानियों व समस्याओं को सरकार, न्यायालय और मीडिया के एजेंडे में बनाए रखा।

प्रशासनिक संवेदनहीनता व कठोर रवैया

सरकार के असंवेदनशील रवैये के बावजूद शहरी अधिकार मंच ने न्यायालय का ध्यान मानवीय संवेदनशीलता के मुद्दे पर बनाए रखा। इस काम में सबसे बड़ी चुनौती असंवेदनशील और निष्ठुर प्रशासन द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों का कार्यान्वयन करवाना है। हालांकि माननीय न्यायालय सरकार से आदेशों का पालन करने को कह चुका है। ऐसा नहीं करने की दशा में न्यायालय ने अवमानना की कार्यवाही का सामना करने को भी कहा।[42]

सरकार बेघर लोगों को सहायता प्रदान करने के उत्तरदायित्व से बचने की नीयत से झूठ बोलने से बाज नहीं आती। इसी कारण सत्य वास्तविक स्थिति जानने के लिए न्यायालय को भी समय-समय पर अलग-अलग रणनीतियों का सहारा लेना पड़ा। इन रणनीतियों में गैर-सरकारी विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करना, दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण, वकीलों की एक समिति, और शहरी अधिकार मंच कार्यकारिणी समिति के सदस्यों, और डीयूएसआईबी के अधिकारियों द्वारा रात्रि आश्रयगृहों का संयुक्त रूप से निरीक्षण करवाना और व्याप्त परिस्थितियों पर उनकी रिपोर्ट मांगना शामिल था।

संगठनों की बहुतायत

दिल्ली में शहरी गरीबी निवारण से संबंधित सरकारी संगठनों की बहुतायतता से दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन कराने में परेशानी और अधिक बढ़ गयी है, क्योंकि ये समस्त संगठन आपस में एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आश्रयगृहों के प्रबंधन और रखरखाव हेतु संयुक्त शीर्ष सलाहकार समिति (जेएएसी) की स्थापना किया जाना इसी समस्या के समाधान की दिशा में एक कदम था। शहरी अधिकार मंच ने बेघर लोगों के लिए आश्रयगृहों में पानी और शौचालय जैसी छोटी-छोटी सुविधाओं तक के लिए इतना अधिक संघर्ष किया। वह भी जबकि इस मामले में बेघर लोगों के मूल अधिकार शामिल हैं और भ्रष्टाचार के कारण बेघर लोगों के लिए निर्धारित धनराशि का लगातार गबन किया जाता रहा है।[43]

यह मुकदमा देश के निर्धनतम लोगों के प्रति सरकार के नजरिए का सबसे बड़ा प्रमाण है। बार-बार आदेश जारी किए जाने के बावजूद, आश्रयगृहों में व्याप्त स्थितियों में केवल नाममात्र का सुधार किया गया है। सर्दी-गर्मी और बरसात सभी मौसमों में अपार कष्ट सहन करते हुए दिल्ली के अधिकांश बेघर आज भी सड़कों पर ही अपना बसेरा बनाए हुए हैं।

---

41. प्रियंका काले बनाम जीएनसीटीडी [डब्ल्यूपी(सी) 5913/2010]
42. आदेश दिनांक 20.03.2013 कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेज जीएनसीटीडी [डब्ल्यूपी(सी) 29/2010]
43. कोर्ट रेडी टू लुक इनटु नाइट शेल्टर फंड्स, द *टाइम्स ऑफ इंडिया*, 10.01.2013

मीडिया द्वारा प्रचार

बेघर लोगों की समस्याओं पर लगातार नजर रखना, सहृदय पत्रकारों को भी समस्या निवारण में शामिल करना, और प्रेस-वार्ताओं को निरन्तर आयोजित करना, प्रेस नोट जारी करना[44] शहरी अधिकार मंच की मीडिया एडवोकेसी के महत्वपूर्ण कार्य है।

इस मामले में शहरी अधिकार मंच ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की काफी सहायता की, जिनमें द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिन्दू, हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयार्क टाइम्स, दैनिक जागरण, नई दुनिया, अमर उजाला, एनडीटीवी, सीएनएन, आईबीएन-7, हेडलाइंस टुडे, अल जजीरा, बीबीसी, प्रेस टीवी, एबीसी रेडियो, चैनल न्यूज एशिया टीवी, दूरदर्शन, पी-7, राज्य सभा टीवी और सहारा समय आदि शामिल हैं। मीडिया की सक्रिय सहभागिता के कारण शहरी अधिकार मंच बेघर लोगों की त्रासदी को सफलतापूर्वक उजागर कर पायी और आवासहीनता की समस्या के बहुत से आयामों और पक्षों को सरकार के नीति-निर्धारकों और न्यायपालिका का ध्यान आकर्षित कर पायी, साथ ही सरकार की निष्ठुरता को भी उजागर कर पायी।

बेघर लोगों के सामने खड़ी समस्याओं को उजागर करने में मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण और सहयोगात्मक भूमिका निभाई और आपात स्थितियों व संकट की स्थितियों में कवरेज दी और सभी महत्वपूर्ण आदेशों और निर्देशों के बारे में लिखा। इनके अतिरिक्त संवेदनशील रिपोर्टिंग ने आम लोगों को दिल्ली के बेघर लोगों के जीवन की वर्षभर के दौरान एक झांकी भी प्रस्तुत की।[45]

एक मानवीय संकट जिससे बचा जा सकता था

सन् 2007 और 2011 के मध्य दिल्ली की सड़कों पर 6800 से अधिक मौतों का समाचार आया, मरने वालों में बेघर लोगों के अतिरिक्त अन्य लोग भी हैं। यह सूचना दिल्ली पुलिस ने एसए आजाद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दायर किए गए प्रार्थना पत्र के उत्तर में प्रदान की। श्री आजाद बेघर लोगों के पुनर्वास अभियान से जुड़े है और शहरी अधिकार मंच के सदस्य हैं। मदर एनजीओ (एमएनजीओ) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार जनवरी 2011 से दिसम्बर 2012 के दौरान 92 मौते दर्ज की गयी। क्षय रोग (टीबी) शराब व अन्य नशाखोरी और श्वास संबंधी रोगों के कारण ठंड में ठिठुरने से ये मौतें हुई। बेघर लोगों की यह समस्त बीमारियां चिकित्सा द्वारा ठीक हो सकती थी, किन्तु सरकार द्वारा उन्हें उपचार उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिस कारण उनकी मौत हुई।

स्रोत: गवरमेंट्स कोल्ड एटिट्यूड, फैटल फॉर सिटिज होमलैस: दॅ टाइम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली 01.12.2012

4.3 मानवाधिकारों के लिए शहरी अधिकार मंच का अभियान

भारत में आवासहीनता से जूझ रहे बेघर लोग भारतीय गणराज्य में प्रदत्त मौलिक मानवाधिकारो सें वंचित हैं। पहचान-पत्र तथा निवासी-प्रमाण पत्रों के अभाव के कारण उन्हें अनेक मौलिक अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। बेघर लोग अपने मताधिकार से वंचित रहते हैं, वह सरकारी राशन की दुकानों से भी सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सकते तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत भी कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। शहरी अधिकार

44. शहरी अधिकार मंच द्वारा जारी किए प्रेस नोट उपलब्ध हैं:
http://www.hic-sarp.org/homelessness.html

45. इसमें मल्लिका जोशी द्वारा लिखित हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक लेखमाला शामिल है, जिनका शीर्षक है- 'ए स्ट्रीट काल्ड होम, स्वीट होम, 24.01.2011; फॉर दीज लिटरेट्स, एच इन फॉर होमलेस, 25.01.2011, और कैपिटल स्टोरी: नो हार्ट, नो होम, 26.01.2011

मंच की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी है कि उसने बेघरों को 'पहचान-पत्र' तथा 'निवास प्रमाणपत्र' जारी कराकर उन्हें मानवाधिकार प्राप्त करने की पात्रता और अधिकार उपलब्ध कराया।

मतदाता पहचान-पत्र के लिए अभियान

लगातार मांग उठाए जाने के फलस्वरूप चुनाव आयोग को बेघर लोगों को भी, विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत एक भिन्न प्रमाणिकीकरण की प्रक्रिया से, मतदाता सूची में नाम दर्ज करने पड़े। अब दिल्ली राज्य चुनाव आयोग नियमित रूप से आश्रयगृहों पर प्रमाणिकीकरण अधिकारियों को नियुक्त करता है, जो इन आश्रयगृहों पर सर्वेक्षण हेतु जाते हैं और जो बेघर व्यक्ति लगातार तीन अवसरों पर आश्रयगृह में उपस्थित पाया जाता है, तो उसे पहचान-पत्र के लिए पात्र मान लिया जाता है। इस प्रकार दिल्ली विधान सभा चुनाव 2013 से पूर्व शहरी अधिकार मंच के सदस्यों ने 7500 से भी अधिक बेघर लोगों के लिए मतदाता पहचान-पत्र उपलब्ध कराए। फिलहाल मंच बेघर लोगों को सन् 2014 के आम लोकसभा चुनावों की मतदाता सूची में दर्ज कराने हेतु अपने अभियान में सक्रिय है।

राशन कार्ड और स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करने के लिए अभियान

शहरी अधिकार मंच के सदस्य दिल्ली में बेघर नागरिकों के लिए मतदाता पहचान-पत्र, राशन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा और मजदूरी कार्ड बनवाकर प्राप्त करने में सफल हो गए। शहरी अधिकार मंच पेंशन परिषद् की भी सदस्य है, जो कि गैर-सरकारी संगठनों का एक नेटवर्क है। यह संगठन भारत में वृद्ध लोगों को पेंशन दिलाने के लिए कार्यरत है।

मतदाता पहचान-पत्र, लेबर कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड फिर भी बेदखली के खिलाफ गारंटी नहीं!

यमुना के बाढ़ग्रस्त मैदान के उपजाऊ खेत के एक कोने में हरी-भरी सब्जियों के खेतों के बीच बेघरों का एक अस्थायी आश्रयगृह स्थापित है जिसका दिन के समय बच्चों के स्कूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह यमुना खादर चिल्ला गांव है जिसके एक ओर यमुना नदी बहती है और दूसरी ओर मयूर विहार की मध्यवर्गीय कालोनी स्थापित है, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के कारण विकास से रियल स्टेट के भाव आसमान छू रहे हैं। इस पतले से गलियारे के निवासी भारत के अन्य स्थानों से आए हैं और खेतों में मजदूरी करते हैं। ये लोग बरसात में यमुना की उफनती बाढ़ का सामना करते हैं और अपनी बेदखली के कितने ही प्रयासों का भी सामना कर चुके हैं। उनके अस्तित्व को सबसे नयी चुनौती दिल्ली मेट्रो ने दी है, और उच्च न्यायालय ने भी उनकी बेदखली के आदेश दे दिए हैं, इससे उनका भाग्य अनजाने गर्त में चला गया है।

'हक' इस समुदाय और कई अन्य खतरनाक स्थानों जैसे- पुरानी दिल्ली, पुल मिठाई पर बसी मुख्यत: दलितों की बस्ती के समूहों से जुड़ा रहा है। 'हक' के संस्थापक अब्दुल शकील शहरी अधिकार मंच के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। बेघरों को मूल अधिकार प्राप्त दिलाने के अभियान के अंतर्गत उन्होंने ही मतदाता पहचान-पत्र, मजदूर पत्र, और स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनवाने के लिए सरकारी प्रक्रिया चलवायी है। 'हक' की शक्ति इस बात में निहित है कि वह बेघरों को उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस समूह के कई सदस्य आश्रयगृहों के केयरटेकर के रूप में नौकरी पर भी रखे गए हैं।

कई जगहों पर जहां 'हक' क्रियाशील है बेघर लोगों के नेटवर्क से जुड़े सदस्यगण अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए बेघरों को प्रोत्साहित करने के लिए जनसंपर्क करते हैं, जैसे- जबरन बेदखली और पुलिस बर्बरता का विरोध करना। न्याय प्राप्ति व क्षतिपूर्ति के लिए न्यायिक प्रक्रिया अपनाना आदि। जबरन बेदखली के मामलों में वह स्वयं प्राथमिक दस्तावेज व अन्य साक्ष्य तैयार करते हैं जैसा कि पश्चिमी दिल्ली के बलजीत नगर में किया था।

Emporia
COMPLEX

5 भारत का सर्वोच्च न्यायालय और आवासहीनता की समस्या

5.1 भोजन का अधिकार मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों के कार्यालयों की भूमिका

सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार वाले मुकदमे[46] में पारित समस्त आदेशों के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण हेतु दो आयुक्तों[47] डॉ. एनसी सक्सेना और श्री एसआर शंकरन को नियुक्त किया था। (श्री शंकरन के अवकाश प्राप्त करने के पश्चात्, श्री हर्ष मन्दर को विशेष आयुक्त के रूप में डॉ. एनसी सक्सेना की सहायता करने को अधिकृत किया गया था।) इन आयुक्तों को न्यायालय के आदेशों के किसी उल्लंघन की जानकारी प्राप्त करने और उन उल्लंघनों के सुधार करवाने हेतु अधिकार प्राप्त थे।

सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों ने बेघरों की त्रासदी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय को लिखा

सन् 2010 की कड़कड़ाती ठंण्ड में दिल्ली के बेघरों की खुले आसमान के नीचे रहने व सोने की पीड़ादायक त्रासदी ने इन आयुक्तों को इतना अधिक द्रवित कर दिया, (उस समय श्री हर्ष मन्दर शहरी अधिकार मंच की कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे) कि उन्होंने बेघरों की समस्या को तुरन्त सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इन आयुक्तों ने दिनांक 13 जनवरी 2010 को एक पत्र लिख कर सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया, जिसमें दिल्ली की सड़कों पर रहने वाले बेघर लोगों के भोजन व आवास के मौलिक अधिकार की अवहेलना, विशेष रूप से हाड़ कंपाती ठंड के मौसम के विषय में, लिखा गया था, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीवन के मौलिक अधिकार हनन का मामला भी था। यह भी इंगित किया गया कि दिल्ली की सड़कों पर लोग मौत का शिकार इसलिए नहीं हो रहे हैं कि वह भूख से पीड़ित है, बल्कि इसलिए कि वह बेघर हैं। ठंड के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए कोई भी मनुष्य अधिक भोजन करता है, जबकि बेघर लोग पहले से ही पोषक तत्वों वाले आहार से वंचित हैं, भूख से पीड़ित और कुपोषण के शिकार हैं, अत: कड़कती ठंड में वह जल्दी ही मौत के शिकार हो जाते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस पत्र का तुरन्त संज्ञान लिया और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह अविलंब बेघरों को आश्रय प्रदान करे। और वर्तमान में चल रहे आश्रयों में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में सुधार करे। न्यायालय ने आदेश दिया कि इन आश्रयगृहों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जैसे- कंबल, पानी और सचल शौचालय इत्यादि। राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया गया कि वह अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई)के तहत दिल्ली के सभी बेघर लोगों को कम से कम दो वर्ष की वैधता वाले राशन कार्ड जारी करें, और अगर दो वर्ष बाद भी वह लोग बेघर रहते हैं, तो उन राशन कार्डों का पुन: नवीनीकरण करे।

---

46. पीयूसीएल बनाम भारत गणराज्य व अन्य [डब्ल्यूपी(सी) 196/2001]
47. वही अंतरिम आदेश, दिनांक 08.05.2001 और 02.05.2003

बेघरों को शामिल करने हेतु भोजन के अधिकार वाले मुकदमे का विस्तारीकरण

सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों ने 25 जनवरी, 2010 को पुनः रिपोर्ट लिखी गयी जिसमें शहरी बेघर लोगों के जीवन के अधिकार के बारे में लिखा गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इन्टर लोक्युटरी एप्लिकेशन के तौर पर लिया। आयुक्तों ने भारतीय संघ के समस्त राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों को निर्देश जारी करने की मांग की थी कि वह शहरी बेघरों के लिए आश्रयगृहों का निर्माण करें और उन्हें लगातार 24 घंटे चलाए, जिनमें उचित व पर्याप्त सुविधाएं हों। न्यायालय ने आदेश दिया कि देश के समस्त बड़े शहरीय क्षेत्रों में प्रति एक लाख (1,00,000) की जनसंख्या पर कम से कम एक आश्रयगृह होना चाहिए, जो बेघरों की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूर्ण कर सके। (यह अनुपात दिल्ली के मास्टर प्लान सन् 2021 द्वारा निर्धारित किया गया है)। सभी आश्रय वर्ष भर खुले रहने चाहिए, न कि केवल ठंड के एक ही मौसम के लिए।

रिपोर्ट में बेघर लोगों के भोजन और जीवन के अधिकार सुरक्षित रखने हेतु समस्त आवश्यक कदम उठाने के सम्बन्ध में सुझाव दिए गए थे। आयुक्तों ने कई चरणों वाली योजना का सुझाव दिया था जिसमें प्रथम चरण में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों और भारत सरकार द्वारा चिन्हीकृत विशिष्ट सामाजिक, ऐतिहासिक, पर्यटन और राजनीतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध अन्य नगरों व कस्बों में बेघर लोगों को समुचित सुविधाओं युक्त और लगातार 24 घंटे चलने वाले आश्रयगृहों का प्रदान करने को कहा था। जवाहर लाल नेहरु नेशनल अर्बन रिन्युवल मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अन्तर्गत ऐसे कुल 62 नगरों को चिन्हित किया गया था। यह सभी आश्रय अधिकतम 31 मार्च 2011 तक चालू हो जाने चाहिए।

इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सहमति प्रकट कर दी और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर शहरी बेघरों को प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में उत्तर देने को कहा। फलस्वरूप, कई राज्यों में बेघरों को दी जाने वाली सुविधाओं का मामला पहली बार प्रशासन द्वारा शीर्ष स्तर पर लिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देश

आश्रयगृह के प्रावधान पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशन (आदेश दिनांक 20 जनवरी 2010 और 5 मई 2010) इस प्रकार है:

- जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत आने वाले व 5,00,000 से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में प्रति एक लाख व्यक्ति के अनुपात में 100 व्यक्तियों की क्षमता वाला बेघरों का एक आश्रयगृह होना आवश्यक है। यह आश्रय 24 घंटे लगातार खुला रहना चाहिए, और वर्ष भर चलना चाहिए;
- इस आश्रयगृह में मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जैसे- गद्दे, बिस्तर, कंबल, स्वच्छ पेयजल, चालू शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड, नशाखोरी से छुटकारा पाने व मनोरंजन के साधन;
- 30 प्रतिशत आश्रयगृह विशेष श्रेणी के होने चाहिए (महिलाओं, वृद्ध और अशक्त लोगों के लिए) और बीमार लोगों के लिए आश्रयगृह अलग;
- राज्य सरकारों को बेघर लोगों का विस्तृत सर्वेक्षण करवाना चाहिए, और उन्हें अधिकार दिलाने हेतु उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कदम उठाने चाहिए;
- राज्य सरकारों को बेघरों के मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु विस्तृत रूप से नीति निर्धारण करना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए नोटिस के उत्तर में, सभी राज्यों ने अपने-अपने सीमा क्षेत्र में बेघरों की स्थिति के बारे में अपने-अपने शपथ-पत्र प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने बेघरों की समस्या निवारण हेतु किए गए उपायों के बारे में भी बताया। शहरी अधिकार मंच ने दिल्ली व अन्य राज्यों के तथ्यों का विश्लेषण करने और सही परिपेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।

सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों द्वारा नियमित पर्यवेक्षण और रिपोर्टिंग की भूमिका

आयुक्तों के राष्ट्रीय सलाहकारों तथा राज्यों के स्थानीय सलाहकारों की टीम के साथ, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त सभी राज्यों में क्षेत्रीय निरीक्षण करते हैं। बेघरों के साथ काम करने वाले स्थानीय सामाजिक संगठनों व स्वयं सेवकों के सहयोग से वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के पालन की निरन्तर निगरानी और समीक्षा करते रहते हैं। राष्ट्रीय सलाहकार का कार्यालय भी इन आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क में रहता है, और इन निरीक्षणों के बारे में अपनी आख्याऐं समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता रहता हैं। ऐसी कुछ रिपोर्ट विचाराधीन चल रहे 'भोजन का अधिकार' वाले मुकदमें में समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो कि देश में बेघर लोगों की स्थिति पर प्राथमिक तथ्यों का महत्वपूर्ण स्रोत है।

इनमें से आयुक्तों द्वारा प्रस्तुत की गई दो रिपोर्ट आवासहीनता के विषय से संबंधित हैं। आवासहीनता पर आठवीं राष्ट्रीय रिपोर्ट[48] में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकारों द्वारा आदेशों के क्रियान्वयन के बारे में नए तथ्य विस्तृत रूप से प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे- बेघर लोगों के लिए सभी बड़े नगरों में पर्याप्त संख्या में आश्रयगृहों का निर्माण, उनका मूल सुविधाओं से युक्त होना आदि। सभी संकलित सूचनाओं के आधार पर यह पाया गया कि किसी भी राज्य या केन्द्र शासित क्षेत्र की सरकार ने इन आदेशों का अच्छा या सन्तोषजनक अनुपालन नहीं किया। दिल्ली, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश ने औसत दर्जे का अनुपालन किया, जबकि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड ने इन आदेशों का बहुत घटिया अनुपालन किया। इनमें महाराष्ट्र द्वारा अनुपालन सबसे घटिया था, और अब भी सबसे अधिक घटिया है, क्योंकि उसने आज तक भी मुंबई महानगर में एक भी बेघर आश्रय टैंट स्थापित नहीं किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने इन आयुक्तों से कहा कि वह दस राज्यों के 80 नगरों में वहां की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ इन आश्रयों का संयुक्त रूप से निरीक्षण करें जिससे वहां व्याप्त स्थितियों और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों का मूल्यांकन किया जा सके।[49] निरीक्षण के लिए चिन्हित किए गए बिंदु इस प्रकार थे: निर्माण किए स्थायी आश्रयगृहों की वास्तविक संख्या, आश्रयगृहों का स्थान, उनका औसत प्रयोग और प्रदान की जाने वाली मूल सुविधाएं। इस संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट[50] ने न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में किए गए कार्यान्वयन की पूर्ण समीक्षा प्रस्तुत की और न्यायालय के आदेशों के बावजूद लगभग सभी राज्यों में आश्रयगृहों की बदतर स्थिति के बारे में खुलासा किया।

सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों ने सन्दर्भ के रूप में हितधारकों के लिए एक 'शेल्टर मैनुअल' भी विकसित किया। इस 'शेल्टर मैनुअल' को तैयार करने में शहरी अधिकार मंच के कई सदस्यों ने काफी योगदान किया। एक अच्छे आश्रय का संचालन करने हेतु मूलभूत आवश्यकताऐं इस मैनुअल में दी गयी हैं। इनमें शामिल हैं- बेघरों के आश्रयगृह की स्थापना हेतु मानक, प्रबन्ध और संचालन, आर्थिक रूप से चलाए रखने हेतु समस्त संसाधनों को गतिशील बनाना, निरीक्षण और मूल्यांकन।

---

48. सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों की आठवीं रिपोर्ट: ए स्पेशल रिपोर्ट ऑन द मोस्ट वल्नरेबल सोशल ग्रुप्स एंड देयर एक्सेस टू फूड, सितम्बर 2008, उपलब्ध है:
http://www.sccommissioners.org/Reports/Reports/SCC8_0908.pdf.
49. पीयूसीएल बनाम भारत गणराज्य व अन्य [डब्ल्यू.पी. (सी) 196/2001] में आदेश, दिनांक 23.01.2012
50. स्टेट ऑफ शेल्टर्स फॉर होमलेस, बेघर आयुक्तों द्वारा संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, फरवरी 2012, देखें:-
http://sccommissioners.org/Reports/Reports/Homeless%20Joint%20Inspection%20Report.pdf.

सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों द्वारा की गयी सिफारिशें

राज्य सरकार को जारी किए गए निर्देश–सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जिन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता से लागू किया जाना था, निम्न प्रकार हैं:

(क) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार दिन और रात के स्थायी आश्रयगृहों का आवश्यक संख्या में निर्माण योजना और निर्माण कार्य किया जाना, प्रति एक लाख की आबादी पर 100 व्यक्तियों की ठहरने की क्षमता वाला एक आश्रयगृह, या 50 व्यक्तियों की क्षमता वाले दो आश्रयगृहों का निर्माण।

(ख) कम से कम 30 प्रतिशत आश्रयगृह कमजोर श्रेणी के बेघरों के लिए आरक्षित रखें, जिनमें शामिल हैं– वृद्ध लोग, शारीरिक और मानसिक रोगी और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले लोग जैसे नशाखोरी/रसायनों पर आश्रित लोग। ऐसे आश्रयगृहों को विशेष सलाह, सेवा और उपचार की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

(ग) सभी नगरों में बेघरों के एकत्र होने के मुख्य स्थानों का सर्वेक्षण त्वरित गति से किया जाय। राज्य परामर्शदाता क कार्यालय का भी इस कार्य में सहयोग प्राप्त किया जाए और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए।

(घ) बेघरों के एकत्र होने स्थलों के निकट ही आश्रयगृहों को स्थापित किया जाए, जो किसी भी स्थिति में दो किलोमीटर की परिधि से बाहर न हों।

(ङ) उचित प्रचार अभियानों से और बेघरों व सामान्य वृहत्तर समाज के लोगों के मध्य बेघरों हेतु आश्रयगृहों की उपलब्धता, प्राप्त सुविधाओं व उद्देश्यों के बारे में प्रचार करना सुनिश्चित करें। यह बेघर लोगों हेतु आश्रयगृहों के प्रति समाज की अड़चनें दूर करने में भी सहायक होंगी।

(च) सभी आश्रयगृहों में विशेष सुविधाएं व मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान की जायें, जैसे– प्रति व्यक्ति पर्याप्त खुला स्थान, पलंग, कंबल, गद्दे, लॉकर (ताला लगी अलमारियां), बिजली, पानी, पर्याप्त रोशनी और हवा, हीटर, पर्याप्त संख्या में शौचालय और स्नानागार, रसोई और भोजन की सुविधा, मनोरंजन हेतु स्थान, हेल्थ रेफरल सेवा, पहचान–पत्र, राशन की दुकानों की सुविधा, और शवदाह संस्कार हेतु सेवाएं आदि।

(छ) बेघर महिलाओं के लिए अलग आश्रयों की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें, जिनमें पर्याप्त सुरक्षा, बच्चों की देखभाल की सुविधाएं और परामर्शी सुविधाएं उपलब्ध हों।

(ज) ऐसा सुनिश्चित करें कि आश्रयगृहों में ठहरने के लिए बेघर लोगों के लिए पहचान–पत्र दिखाने की अनिवार्यता न हो, उनसे ठहरने का कोई शुल्क आदि, या आश्रयगृह के शौचालय, स्नानागार प्रयोग करने का कोई शुल्क न वसूल किया जाए।

(झ) सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4(बी) के अन्तर्गत समसामयिक सोशल ऑडिट की प्रणाली विकसित की जाए।

(ञ) शहरी विकास मंत्रालय/विभाग के अन्तर्गत एक संस्थागत व्यवस्था स्थापित की जाय जिससे आश्रयगृहों का कार्यान्वयन और प्रबंधन किया जा सके, प्रत्येक आश्रयगृह हेतु एक बार निर्माण, मरम्मत आदि और वार्षिक संचालन हेतु पर्याप्त धन प्रदान किया जा सके।

(ट) इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु शहरी स्थानीय निकायों, नगरपालिका के अधिकारियों, स्थानीय पुलिस, रेलवे अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने और क्षमता निर्माण करने की प्रक्रिया स्थापित करना।

(ठ) दिल्ली में स्थापित आश्रयगृहों के संयुक्त प्रबन्धन के नए मॉडल को अन्य नगरों में स्थापित करना, और यह सुनिश्चित करना कि बेघरों के आश्रयगृह स्थापित करने के कार्यक्रम का मुख्य दायित्व और जवाबदेही सरकार पर ही रहे।

(ड) सड़कों पर गंभीर रूप से बीमार पड़े बेघर लोगों के बचाव कार्य, और इलाज करा कर उन्हें नव जीवन प्रदान कराने के नवीन प्रयोग को देश के अन्य नगरों में भी लागू करना सुनिश्चित करना।

स्रोत: *स्टेट ऑफ शेल्टर्स फॉर होमलेस: रिपोर्ट ऑफ ज्वाइंट इंसपेक्शंस ऑफ होमलैस शेल्टर्स (सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर्स, फरवरी 2012)*

http://sccommissioners.org/Reports/Reports/Homeless%20Joint%20Inspection%20Report.pdf.

याचिका (सी) सं. 572/2003

भारत में बेघरों के मामले में सन् 2003 में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी वह सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हेतु 2013 में पेश हुई। शहरी अधिकार मंच की कार्यकारिणी समिति का एक सदस्य इस मामले में याचिकाकर्त्ता है जो वर्तमान में न्यायालय के समक्ष विचारधीन है। सन् 2012 से, भोजन का अधिकार वाले मामले में पारित किए गए अंतरिम आदेशों में बेघरों की समस्याओं को नहीं छुआ गया है। अतः इस नयी याचिका ने सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त आवासहीनता की समस्या की ओर आकृष्ट करने में सहायता की है। इस जनहित याचिका के समर्थन हेतु शहरी अधिकार मंच के कई सदस्य और नेशनल फोरम फॉर हाउसिंग राइट्स (एनएफएचआर) विभिन्न नगरों से उपयुक्त सूचनाएं और शोधपूर्ण तथ्य प्रदान कर रहे हैं।

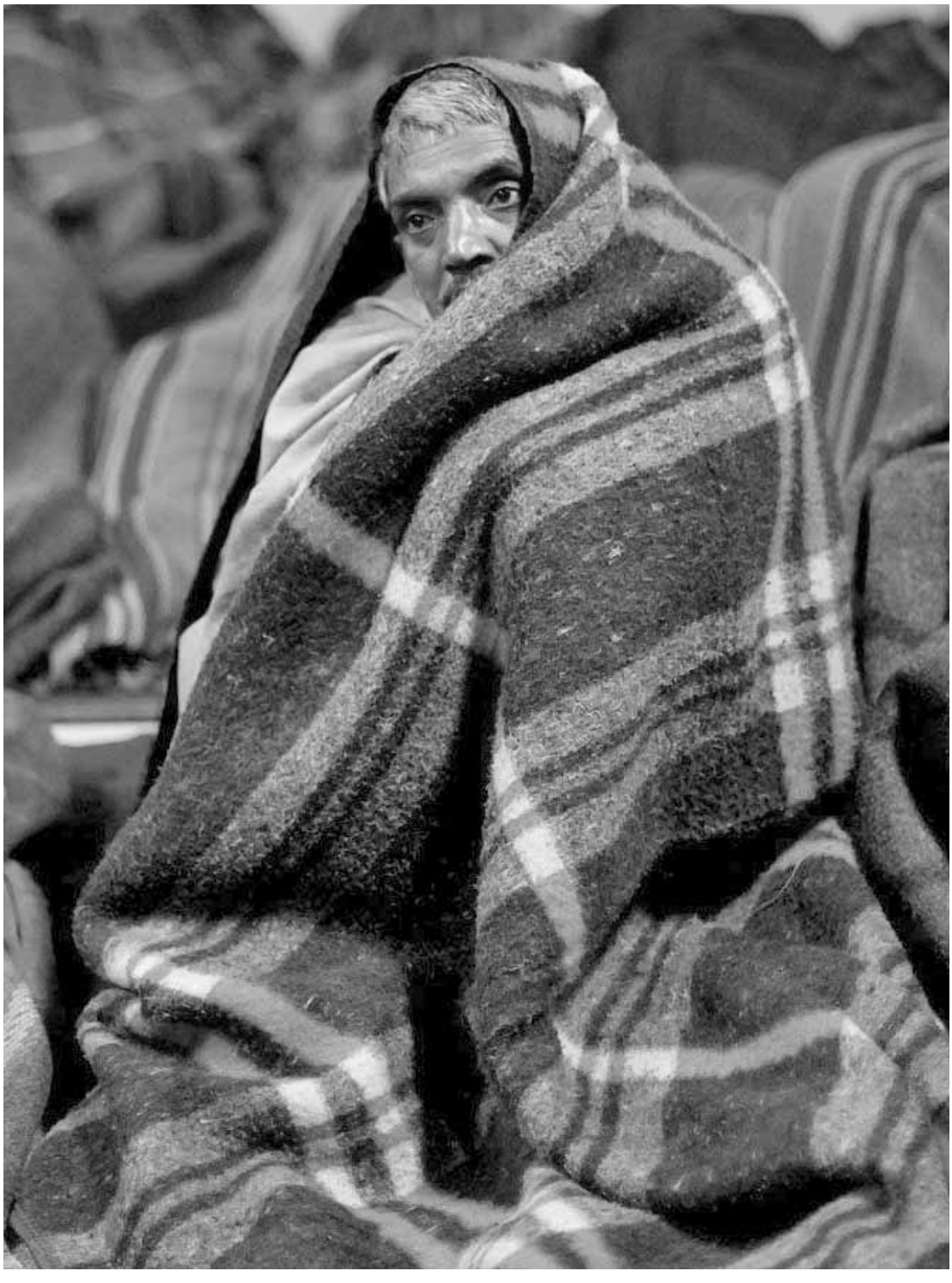

6 दिल्ली सरकार के साथ सहयोग

दिल्ली सरकार की कई एजेंसियों और विभागों ने आवासहीनता की समस्या से निपटने हेतु कई प्रयास किए। तथापि ये प्रयास छुटपुट, बिना तालमेल वाले और अधकचरे थे, जबकि दिल्ली में बेघर लोगों का जीवन बेहतर बनाने के उद्देश्य से गठित एक मंच के रूप में शहरी अधिकार मंच ने एक साथ कई स्तरों पर और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ विभिन्न विषयों पर कार्य किया।

6.1 सामाजिक सुविधा संगम (मिशन कन्वर्जेन्स)

मिशन कन्वर्जेन्स या सामाजिक सुविधा संगम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का एक बहुप्रचारित मुख्य कार्यक्रम है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक प्रगतिशील और समायोजित करने वाला प्रशासनिक अभियंत्र है जिसके द्वारा गरीबों की कल्याणकारी सामाजिक नीतियों को एकीकृत कर उन्हें संचालित करने वाले लगभग 10 सरकारी विभागों द्वारा गरीबों को 'एकल खिड़की' की संस्थानिक सुविधा प्रदान की जाती है।[51] मिशन का मुख्य कार्य कल्याणकारी योजनाओं को चिन्हित कर उनकी सिफारिश कर समाज सेवा से संबंधित इन योजनाओं का सरलीकरण और तार्किकीकरण करना है।[52]

मिशन कन्वर्जेन्स जिला संसाधन केन्द्रों (डीआरसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, जो प्रत्येक जिले के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में स्थित एक जिला स्तरीय संगठन है, और समुदायों के कल्याणकारी अधिकारीकरण/योजनाओं के प्रदान करने हेतु 'एकल खिड़की' की तरह कार्य करता है।

यह स्वीकार करते हुए कि 'लगभग एक लाख बेघर लोग दिल्ली के सबसे कमजोर नागरिकों में से हैं',[53] जो कि 'एक बहु-विभेद वाले, अंसगठित और बिना आवाज वाला समुदाय'[54] है। अतः सामाजिक सुविधा संगम को 'इस निर्बलतम वर्ग तक पहुंचाने और उसकी सेवा करने' का अधिकार व दायित्व प्रदान किया गया है।[55]

---

51. इन विभागों में शामिल हैं- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, समाज कल्याण, खाद्य व नागरिक आपूर्ति, श्रम, शहरी विकास, सूचना, तकनीक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/पिछड़ी जाति कल्याण विभाग व निगम, और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नई दिल्ली म्युनिसिपल कौंसिल (एनडीएमसी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), और टैक्निकल ट्रेनिंग एजुकेशन।
52. मिशन कन्वर्जेन्स, दिल्ली सरकार
http://www.missionconvergence.org/vision-mission.html
53. http://www.missionconvergence.org/homeless.html
54. वही
55. वही

6.2. मदर एनजीओ और बेघर संसाधन केन्द्र (एचआरसी) की भूमिका

14 नवम्बर, 2008 को सामाजिक सुविधा संगम की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में एक विशेष सशक्तीकृत समिति का गठन किया गया जिसका लक्ष्य दिल्ली के बेघरों के लिए सामाजिक सुविधा संगम की योजनाएं और सेवाएं लाना था। इस समिति के सदस्य विभिन्न सरकारी विभागों से लिए गए थे, जैसे-दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन और इस क्षेत्र में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञगण। इस विशेष सशक्तीकृत समिति ने सामाजिक सुविधा संगम के ढांचे के अंतर्गत एक अन्य संयत्र और ढांचे की आवश्यकता अनुभव की, जो कि बेघरों की समस्या का निवारण कर सके। उन्होंने बेघरों को सेवा प्रदान करने हेतु एक मातृ स्वयंसेवी संस्था (एमएनजीओ) और कुछ एनजीओ की आवश्यकता समझी। इस समिति ने तीन सदस्यीय एक दल का गठन करने का भी निर्णय लिया जिसमें सचिव, समाज कल्याण, मिशन निदेशक सामाजिक सुविधा संगम, और हर्ष मन्दर[56] शामिल थे। इस दल का उद्देश्य संगठनों के चयन के मानदंड तय करना था।

इस समिति ने संदर्भ की नीतियां, चयन की प्रक्रिया और मदर एनजीओ (एमएनजीओ) के लिए बजट का आवंटन निर्धारित किया, और पांच बेघर संसाधन केन्द्रों को संचालित करने हेतु चार गैर-सरकारी संगठनों[57] का चयन किया। सेंट स्टीफेन अस्पताल[58] के कम्युनिटी मेडिसन डिपार्टमेंट को एमएनजीओ के रूप में कार्य करने हेतु चयनित किया गया, जिसने अगस्त 2009 से अपना कार्य करना आरम्भ किया।

एमएनजीओ से आशा की जाती है कि वह स्थलों पर योजना कार्यान्वयन वाले गैर-सरकारी संगठनों (एफएनजीओ) व संबंधित सरकारी विभागों के मध्य सम्पर्क सूत्र की भूमिका निभाए। एमएनजीओ के कार्यों व दायित्वों में कार्यदायी गैर-सरकारी संगठनों के मध्य भी परस्पर सहयोग बनाने, और निरंतर प्रशिक्षण व मार्गदर्शन द्वारा उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करना शामिल था। समस्त कार्यदायी गैर-सरकारी संगठनों (एफएनजीओ) से अपेक्षा की गयी कि वह समय-समय पर एमएनजीओ को अपनी प्रगति आख्या प्रस्तुत करें, और एमएनजीओ इन समस्त आख्याओं को एकरूप प्रणाली से संकलित करे, और बाद में अवलोकन हेतु उन्हें कम्प्यूटर अभिलेखागार में सुरक्षित रखें और उनका मूल्यांकन करे। यदि किसी कार्यदायी गैर-सरकारी संगठन के बारे में पाया जाता है कि वह या तो अयोग्य है, या धोखाधड़ी के तरीके प्रयोग कर रहा है, तो एमएनजीओ उसे या तो हटाए जाने या काली सूचीबद्ध किए जाने की सरकार से सिफारिश कर सकती है।

बेघर संसाधन केन्द्रों (एचआरसी) द्वारा बेघरों की सेवा के प्रावधानों में शामिल हैं- 'प्राथमिक स्वास्थ्य और जीवन सापेक्ष सेवाएं, सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्रता, आजीविका कमाने हेतु रोजगारपरक प्रशिक्षण, बेघरों के व्यक्तिगत आत्म-सम्मान की सुरक्षा, और आवासहीनता की मानसिक त्रासदी से मुक्त कराने हेतु उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाना।'[59] शहरी अधिकार मंच ने विभिन्न अवसरों पर एमएनजीओ के साथ सहभागिता की है, और उसका अनुभव रचनात्मक वार्तालाप और सहयोग से लेकर वैचारिक तथा कार्यप्रणाली अपनाने पर गंभीर मतभेदों तक का रहा है।

6.3. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) की भूमिका

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड एक सरकारी एजेंसी है जो दिल्ली नगर निगम की स्लम और झुग्गी झोपड़ी (जेजे) शाखा के स्थान पर कार्यरत है, और यह डीयूएसआईबी अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों से गंदी बस्तियों में सुधार कार्य करने हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। बेघरों के लिए समस्त मूल सुविधाओंयुक्त

---

56. उस समय हर्ष मंदर शहरी अधिकार मंच की कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे।
57. इंडो-ग्लोबल सोसल सर्विस सोसायटी (आईजीएसएसएस) का चयन उत्तरी जिले, नई दिल्ली और मध्य जिले में दो होमलेस रिसोर्स सेन्टर (एचआरसी) संचालित करते हेतु किया गया था। बाद में आईजीएसएसएस ने एमएनजीओ के साथ यूनीक आइडेंटीफिकेशन (यूआईडी) पर अपने वैचारिक मतभेद के कारण कार्य करने से इनकार कर दिया। अन्य ऐसे केन्द्र सोसायटी फॉर यूथ प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेज (एसपीवाईएम) ने दक्षिणी जिले, निरमाना ने उत्तर-पश्चिम जिले, और ह्यूमन पीपुल टू पीपुल इंडिया ने पूर्वी जिले में संचालित किए।
58. मिशन कन्वर्जेन्स, दिल्ली सरकार
http://www.missionconvergence.org/homeless.html
59. वही

रात्रि आश्रयगृह स्थापित करना भी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के दायित्वों में से एक है। डीयूएसआईबी द्वारा वर्तमान में 84 स्थायी और 147 अस्थायी आश्रयगृह वित्तपोषित किए जा रहे हैं, जिनका रखरखाव विभिन्न गैर-सरकारी संगठन करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार डीयूएसआईबी द्वारा पर्याप्त संख्या में 24 घंटे लगातार खुले रहने वाले आश्रयों के निर्माण की आवश्यकता है। सौ व्यक्तियों की क्षमता वाला एक आश्रयगृह, पचास व्यक्तियों की क्षमता वाले दो आश्रय प्रति एक लाख की शहरी आबादी पर स्थापित किए जाने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों के कार्यालयों द्वारा किए गए संसाधनों के आंकलन, और दिल्ली के सामाजिक संगठनों द्वारा ऐसे आश्रयों की स्थापना व निर्माण हेतु निधारित किए गए स्थलों को प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

शहरी अधिकार मंच की डीयूएसआईबी के साथ सहभागिता जिन बातों के लेकर रही, उनमें बैठकों में शामिल होना, दिल्ली के बेघरों के लिए पर्याप्त और काफी आश्रयों को स्थापित करने संबंधी सूचनाओं, आश्रयों की कार्यशीलता के मानकों के क्रियान्वयन, मूलभूत सेवाओं को प्रदान करने, जैसे पानी, सफाई, और आश्रयों में हेल्थकेयर और प्रभारी के वेतन भुगतान हेतु धनराशि जारी करना। बावजूद इसके डीयूएसआईबी शहरी अधिकार मंच के प्रयासों के प्रति झगड़ालू ढंग से पेश आता था, फलस्वरूप इसके अधिकारी और कर्मचारी बाद में डराते-धमकाते थे, और सहयोग करने से इन्कार करते थे।

6.4. सरकार के साथ कार्य करने की चुनौतियां

एमएनजीओ की भूमिका में अस्पष्टता

मिशन कन्वर्जेन्स के अन्तर्गत बेघर संसाधन केन्द्रों के निर्माण का संस्थागत संयंत्र के रूप में बेघर लोगों को विभिन्न अधिकार प्रदान कराने के उचित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण यह था कि एमएनजीओ की भूमिका अस्पष्ट थी, और उत्तरदायित्व भी स्पष्ट नहीं था। मिशन कन्वर्जेन्स के अन्तर्गत शहरी अधिकार मंच ने सरकारी प्रक्रियाओं में उलझ कर कई परेशानियों का सामना किया। सरकारी विभागों व विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करने की एमएनजीओ की कथित भूमिका के बावजूद, शहरी अधिकार मंच को आश्रय की देखभाल करने वाले प्रभारियों के वेतन व आश्रयगृहों के रखरखाव हेतु धन प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण में जाना पड़ता था (आश्रयों के कई प्रभारी स्वयं बेघर नागरिक हैं)।

वैचारिक मतभेद

शहरी अधिकार मंच तथा इसके सदस्यगण इस सिद्धांत का पालन करते हैं कि 'अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिकतम सहयोग करना चाहिए, परन्तु जब आवश्यकता पड़े तो विरोध भी करना चाहिए।' जब मिशन कन्वर्जेन्स के अंतर्गत आईजीएसएसएस ने प्रक्रिया आरम्भ की, तब शहरी अधिकार मंच की सदस्य आईजीएसएसएस को एक साथ दो आश्रयगृहों (एचआरसी) का प्रभारी बनाया गया। तब बेघरों के आश्रयों पर यूआईडी/आधार कार्ड को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गए, जो कि बेघर लोगों को जारी किए जाने थे। तब आईजीएसएसएस ने बेघरों के आश्रयगृह (एचआरसी) के संचालन करने से इनकार कर दिया।

समान सहभागिता की भावना का अभाव और विरोध करने की प्रवृत्ति

डीयूएसआईबी के साथ कार्य करना समस्याओं के अंबार को न्यौता देना है और ये लक्षण सरकार के किसी भी विभाग के साथ कार्य करते समय प्रकट होते हैं। बोर्ड की सोच गैर-सरकारी संगठनों के प्रति पहले से ही अविश्वास से ग्रस्त थी, और समान सहभागिता की भावना का भी अभाव था। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन चल रहे मुकदमे के कारण दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को भी उत्तरदायी बनाने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ती थी। जब-तब न्यायालय के आदेशों के प्रति उनका तीखा विरोध झलकने लगता था। कभी तो दिल्ली शहरी आवास सुधार बोर्ड शहरी अधिकार मंच की ईमानदारी और विश्वसनीयता पर भी

सवाल खड़ा करने लगता था। इसकी कार्यकारिणी समिति के कुछ सदस्यों को रात्रि आश्रयगृहों के निदेशक ने यह कह कर लगातार प्रताड़ना का शिकार बनाया कि शहरी अधिकार मंच के पास वकीलों को देने के लिए फीस और पैम्फलेट, पर्चे, पुस्तिकाएं आदि प्रकाशित करने के लिए पैसे कहां से आते हैं। ऐसी स्थिति में पुन: न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसने रात्रि आश्रयगृहों के निदेशक को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी कर दिया जिसमें कहा गया कि शहरी अधिकार मंच से इस प्रकार के प्रश्न करना 'न्यायालय द्वारा किए जा रहे न्यायिक प्रशासन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप' करना है।

रुख अख्तियार किए जाने का मुद्दा

यह बात स्पष्ट होने के बावजूद कि विकास कार्यों में गैर-सरकारी संस्थाओं को समान सहभागी के रूप एक निर्णायक स्थान प्राप्त है, फिर भी अधिकारीगणों का व्यवहार टकरावबादी होता था। प्रजातंत्र में मानवाधिकार समूहों की भूमिका में सरकार द्वारा किए गए कार्यों और प्राथमिकताओं का मूल्यांकन और दिशा-निर्देशन करना होता है। सरकार को यह कार्य विरोधात्मक नहीं समझना चाहिए, बल्कि नीतियों और कार्यक्रमों के निर्धारण और क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से सहयोगात्मक रुख अपनाना चाहिए। जबकि कुछ अधिकारियों के घमंड भरे और संवेदनहीन व्यवहार के कारण प्रभावी सहभागिता से कार्य करना अत्यन्त कठिन हो जाता है, विशेष रूप से जब वह भ्रष्टाचारी भी हों। सरकार के कार्य करने का एक तरीका यह भी है कि संबंधित हकधारकों से परामर्श बिना ही निर्णय ले लिए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, दिल्ली शहरी आवास सुधार बोर्ड ने अस्थायी आश्रयगृहों में टिकने वाले बेघरों से छह रुपए प्रति रात्रि वसूलने का स्वयं एकतरफा निर्णय ले लिया। इस प्रकार इस बोर्ड को या अन्य किसी सरकारी विभाग को जबावदेही से ऊपर रखना उचित नहीं है।

सहयोग तथा सेवा प्रदान किए जाने का अभाव

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जेएएसी को संस्थागत संयंत्र बनाए जाने के बावजूद आश्रयगृहों के रखरखाव एवं ऊपरी देखभाल के लिए परस्पर सहयोग में कोई सुधार नहीं आया। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिल्ली शहरी आवास सुधार बोर्ड द्वारा गठित जेएएसी की कोर कमेटी की बैठकें निरंतर होनी चाहिए। आश्रय में प्रदत्त सुविधाओं में केवल मामूली सा सुधार हुआ है। सरकार की हैल्थ वैन और स्वास्थ्य शिविर अधिकांश आश्रयगृहों तक नहीं पहुंच पाए हैं। कई आश्रयगृहों में जहां बिजली लगाया जाना सम्भव न था, भारी क्षमता वाले सौर उर्जा उपकरणों का वायदा किया गया था, परन्तु वह अभी तक नहीं प्रदान किए गए हैं। आश्रयगृहों में शुद्ध पेयजल, सफाई, शौचालयों और स्नानागारों का अभी भी अभाव है।

बकाया वेतन के लिए डीयूएसआईबी कार्यालय के बाहर शेल्टर केयरटेकरों का विरोध प्रदर्शन

7 सफलता और चुनौतियां

7.1. प्रयासों की सफलता

शहरी अधिकार मंच का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उसने आवासहीनता की समस्या पर बहस में मानवाधिकार की भाषा और भावना का सर्वप्रथम प्रयोग किया। शहरी अधिकार मंच का विश्वास है कि बेघर लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान, सुरक्षा प्रदान करना और उनसे लाभान्वित करवाना, राज्य का संवैधानिक, कानूनी और नैतिक दायित्व है। आवासहीनता के मुद्दे में मानवाधिकार की बात जुड़ने से 'आवासीय निरन्तरता' का महत्व बढ़ जाता है। यह तात्कालिक कल्याणकारी सेवा का एक प्रावधान है। जबकि इससे तात्कालिक निरंतरता बढ़ कर दीर्घकालीन सेवा बनती है, तो यह बेघर लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करने जैसी महत्वपूर्ण बात बन जाती है। इन सेवाओं में शामिल हैं- पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, परिवारों, वृद्ध व अपंगों के लिए आश्रयगृह, सामूहिक रसोई, स्वास्थ्य शिविर, और नशाखोरी से पीड़ित लोगों के लिऐ पुनर्वास केन्द्र। शहरी अधिकार मंच ने भारत में आवासहीनता की समस्या निवारण हेतु मानवतावादी और मानवाधिकारों के सम्मिश्रण करने से किए जाने पर बार-बार बल दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में पलायन करने वाले बेघरों के प्रति सरकार की अरुचि का मुकाबला करने के लिए 'नगरीय अधिकार' (राइट टू सिटी) का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है।

29 मई 2012 को शहरी अधिकार मंच की प्रेस वार्ता

दिल्ली में बेघर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर जन-सुनवाई

दिल्ली में बेघर महिलाऐं प्रतिदिन हिंसा की वारदातों का सामना करती हैं, जबकि मीडिया सामान्यत: इन अत्याचारों को उजागर नहीं कर पाता है, और सरकारी अधिकारी ऐसी शिकायतों की अनदेखी करते हैं। इस प्रकार इन महिलाओं की दुखभरी दास्तान सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में इन बेचारी बेघर महिलाओं और लड़कियों द्वारा सहन की जा रही हिंसा की वारदातों को उजागर करने हेतु *शहरी अधिकार मंच: बेघरों के साथ* ने 13 अगस्त 2013 को एक जन-सुनवाई का आयोजन किया।

उस दिन ज्यूरी के समक्ष 12 बेघर महिलाओं और लड़कियों ने बयान दिया कि उनके साथ किस प्रकार हिंसा की वारदातें होती हैं। निर्णायक मण्डल में न्यायमूर्ति लीला सेठ (पूर्व मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय) न्यायमूर्ति एपीशाह (पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय), श्री मिलुन कोठरी (संयुक्त राष्ट्र में समुचित आवास मामलों के पूर्व विशेष प्रतिवेदक), सुश्री अंबिका पंडित (वरिष्ठ पत्रकार द टाइम्स ऑफ इंडिया) और सुश्री मधु मेहरा (निदेशक, पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट) मौजूद थे। जन-सुनवाई में 200 से अधिक बेघर पुरुष व महिलाएं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, विभिन्न समाचार पत्रों एवं चैनलों के पत्रकार, और आमजन उपस्थित थे।

जन-सुनवाई के पश्चात, ज्यूरी ने दिल्ली में बेघर महिलाओं के विरुद्ध की जा रही हिंसा की घटनाओं की कड़ी निंदा की और उसे रोकने के लिए विभिन्न पक्षों के लिए कई सुझाव प्रस्तावित किए।

अपने अधिकारों को प्राप्त करना

शहरी अधिकार मंच के पास उसके सदस्य संगठनों और व्यक्तियों के अनुभवों का विशाल भंडार है। इसके अलावा प्राइमरी डाटा का भी विशाल भण्डार है। इस सब का उपयोग न्यायालय की सहायता करने में किया गया और आश्रयगृहों की स्थापना, व देखरेख करने व मानवाधिकार मानकों का निर्धारण करने हेतु भी किया गया। शहरी अधिकार मंच दिल्ली में बेघरों के आश्रयगृहों की संख्या बढ़ाने में और वर्तमान आश्रयगृहों की स्थिति सुधारने में सफल रहा है। शहरी अधिकार मंच ने जिन अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति की है, वे हैं- सर्व समायोजन करने हेतु कार्यक्रम की मांग उठाना, अन्य नगरों के साथ सम्पर्क स्थापित करना, प्राइमरी डाटा एकत्रित करना, बेघरों के लिए मतदाता पहचान-पत्र, राशन कार्ड, लेबर कार्ड प्राप्त करना, आश्रयों के रखरखाव तथा देखभाल करना और सरकारी संस्थानों में जवाबदेही को बढ़ावा देना, आदि।

संख्या में वृद्धि और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता

परस्पर सौहार्द और विश्वास तथा कुछ विषयों पर आपसी मतभेदों के बावजूद नेटवर्क द्वारा संघर्ष के मूल मुद्दे पर केन्द्रित रहने के कारण शहरी अधिकार मंच को अपने प्रयासों को सुसंगठित रखने में काफी सहायता मिली, और उसने अनेक मोर्चो पर जबर्दस्त सफलता प्राप्त की। शहरी अधिकार मंच जैसे नेटवर्क की शक्ति यह है कि बीस सदस्य संगठनों में प्रत्येक अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। अपने समस्त सदस्यों की इसी शाक्ति के बूते शहरी अधिकार मंच नेटवर्क खड़ा है। निरंतर बैठकें, खुला और पारदर्शी वैचारिक आदान-प्रदान, सूचनाओं और दस्तावेजों में परस्पर सहभागिता इस नेटवर्क की कार्यप्रणाली का मूल मंत्र हैं।

बेघरों के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन का अभ्युदय

शहरी अधिकार मंच के अनुभव और अन्य नगरों में कार्यरत संगठनों और बेघरों के संगठनों तक मजबूत सम्पर्कों ने बेघरों के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास हेतु दरवाजे खोल दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भोजन का अधिकार वाले मुकदमे में बेघरों के मुद्दे को जोड़ दिए जाने पर, कमिश्नर्स (आयुक्तों), समाजसेवी संगठनों और व्यक्तियों, जो कि देशभर में मानवाधिकार के मुद्दों पर कार्यरत हैं, ने आवासहीनता

पर कार्यरत संगठनों के अपने सम्पर्क मजबूत कर लिए हैं। शहरी अधिकार मंच ने भी सर्वोच्च न्यायालय के कमिश्नर्स (आयुक्तों) के कार्यालयों, ह्यूमन राईट लॉ नेटवर्क, आईजीएसएसएस और हाऊसिंग एंड लैण्ड राइट्स नेटवर्क के साथ सहभागिता कर दिसम्बर 2011 में आवासहीनता पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस बैठक के परिणामस्वरूप, नेशनल फोरम फॉर हाउसिंग राइट्स (एनएफएचआर) को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया।

अपने सक्रिय सदस्यों के जरिए शहरी अधिकार मंच बेघरों के समूहों के अंतर्नगरीय वार्तालाप को लगातार प्रोत्साहन देती रही है, ताकि मुद्दे की समझ बेहतर हो सके, और देश के विभिन्न भागों में प्रयोग की जा रही रणनीतियों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त हो सके। इससे आवासहीनता पर राष्ट्रीय आंदोलन को और अधिक बल मिला, और इस से आवासहीनता के मुद्दे को पूर्णता व एकरूपता के साथ राष्ट्रीय स्तर पर निवारण करने में भी सहायता मिली।

7.2. शहरी अधिकार मंच के सामने चुनौतियां

संगठनात्मक मुद्दे

सभी संगठनों में ऐसा होता है कि कुछ सदस्य अन्यों की अपेक्षा अधिक सक्रिय और कर्मठ होते हैं। संगठन के कार्यों में परस्पर आदरभाव और व्यक्तिगत अहं के टकराव का अभाव मुख्य होता है। फिर भी गैर-क्रियाशील सदस्य कब्जा अधिक जमाते हैं और सहभागिता नहीं करते हैं। शहरी अधिकार मंच के कार्यों और कार्यप्रणाली का दैनिक प्रबंधन करने हेतु परस्पर सहयोग के लिए स्पष्ट उत्तरदायित्वों सहित एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम की प्रभावी कार्यवाही समूचे नेटवर्क का इच्छित दिशा में चलना सुनिश्चित करेगी, प्रयासों में परस्पर जुड़ाव, और अधिक स्पष्टता का संचार करेगी, और अधिक परस्पर सहयोग और विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ाएगी।

रणनीतिक मुद्दे

अच्छे आश्रयगृहों के संचालन किए जाने की आवश्यकता से प्रेरित होकर कई संगठन बढ़कर आगे आए, जो बेघर लोगों की सेवा, सुरक्षा, पुनर्वास कर सकें और निर्बलतम नागरिकों की यथासंभव सहायता कर सकें, हालांकि अभी इन आश्रयों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। वैसे आश्रयों का संचालन करना कोई आसान काम नहीं है, यह तो उस यात्रा की एक शुरुआत भर है जो यह सुनिश्चित करती है कि दिल्ली नगर में सर्वाधिक उपेक्षित नागरिक और मजदूर अपने मानवाधिकारों से लाभान्वित हो रहे हैं, और अपने-अपने अधिकारों को प्राप्त कर रहे हैं। आवासीय निरंतरता में एक चरण से अगले चरण तक बदलाव के लिए एक रणनीति की आवश्यकता है, विशेषकर इस सन्दर्भ में जब आर्थिक पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवासीय योजना में भारी घाटा हो। सरकार की नीतियों और कार्यवाहियों के परिणाम शहरी गरीबों के लिए आवासों की भारी कमी के रूप में सामने आते हैं, और बेघरों को बिना दूसरी जगह बसाए उन्हें उजाड़ने की सरकारी प्रक्रिया अब भी जारी है। अब इसे रोका जाना अति आवश्यक है। बेघरों के मध्य अच्छे संगठनात्मक कार्य, और सरकारी नीति की मांग उठाना परस्पर विरोधी कार्य नहीं हैं, इन दोनों तरीकों को एक साथ समानता से अपनाया जा सकता है।

पूरे देश में बेघरों तक सम्पर्क-सूत्र फैलाने और उन्हें गतिशीलता प्रदान करने हेतु बड़े प्रयासों की आवश्यकता है। आश्रयों पर आधारित कर केवल गैर-सरकारी संगठन ही नहीं, बल्कि बेघर लोग स्वयं भी अपना नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, ताकि अपने संघर्ष को वे स्वयं आगे बढ़ा सकें। उसके लिए एक सुसंगठित गतिशील गुट की आवश्यकता है। इसके लिए बेघर लोगों के संगठनों को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। ऐसे ही समान समूहों के मध्य गठबन्धन पहले ही किए जा चुके हैं, जैसे- कूड़ा बीनने वाले, निर्माण कार्यों में लगे मजदूर, रिक्शा चालक आदि, जो कि भविष्य में और अधिक मजबूत किए जा सकते हैं।

आश्रय प्रबन्धन के लिए कर्मचारी प्रशिक्षण और आश्रय प्रबन्धन करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की जवाबदेही

यहां पर यह महत्वपूर्ण है कि आश्रयगृहों का प्रबंधन मानकों के अनुरूप किया जाना है। शहरी अधिकार मंच द्वारा न्यायालय और सरकार को इस बारे में प्रस्ताव सुझाए गए हैं। ऐसा भी होता है कि आश्रयगृहों की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार उनका संचालन करने वाले संगठन ही होते हैं। हिंसा व लड़ाई-झगड़े की वारदातें, आश्रयगृहों में प्रवेश के लिए मनाही, और आश्रय के प्रभारियों द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाना तो एक आम बात हैं। मुद्दे की सीमित जानकारियां, काम करने के उपयुक्त न होना, मानसिक दबाव, वेतन न मिलना, पूर्व दुराग्रह, बेघर लोगों के प्रति संदेह होना आदि कई ऐसे कारण हैं जो कि आश्रयगृह प्रभारी की सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अब आश्रयगृहों का प्रबन्धन करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की जबावदेही के मुद्दे को भी देखे जाने की आवश्यकता है।

आश्रयगृहों को स्थापित करने व प्रबन्धन करने हेतु विस्तृत सिद्धान्तों और नियमों को सुस्थापित किए जाने की आवश्यकता है, साथ ही कर्मचारियों को प्रशिक्षण और दिशा-निर्देशन दिए जाने की भी जरूरत हैं। फिर भी आश्रयगृहों की अन्तिम जबावदेही और उत्तरदायित्व किसी भी स्थिति में सरकार का ही होता है, और सरकार इससे बच नहीं सकती।

कार्य में लगे सभी संगठनों को इस प्रक्रिया में अधिक से अधिक छात्रों को शामिल करना चाहिए। युवाओं को यह जानना आवश्यक है कि सड़कों पर बेघर लोग कैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आश्रयगृहों में युवाओं की उपस्थिति से सकारात्मक वातावरण उत्पन्न होगा, और वह स्वयं भी भविष्य में गरीबों की सेवा करने वाले सहृदय नागरिक बन सकेगें।

सहभागिता और संसाधनों का अभाव

शहरी अधिकार मंच और एमएनजीओ के कर्मचारीगण सड़क पर पड़े गंभीर रूप से बीमार और परित्यक्त लोगों को आपातकालीन सेवा प्रदान करती है। यह बचाव कार्य जीवन के अधिकार की सुरक्षा का निर्णायक हिस्सा है। फिर भी इस कार्य हेतु सम्बन्धित सरकारी विभाग द्वारा प्रायोजित एक मजबूत बचाव टीम की आवश्यकता है, जिसके लिए प्रर्याप्त संसाधन आवंटित किए जाने की भी आवश्यकता है। इस बचाव कार्य हेतु एक बहु-प्रचारित हैल्पलाइन स्थापित किए जाने की भी आवश्यकता है।

महिलाओं की सहभागिता

शुरुआत से ही शहरी अधिकार मंच का यह प्रयास रहा है कि महिलाओं को नेतृत्व के लिए आगे बढ़ाया जाए। इसमें बेघर महिलाओं के मानवाधिकारों पर कई कार्यशालाएं आयोजित करना और उन्हें नेटवर्क में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। शहरी अधिकार मंच की कार्यकारिणी समिति और कॉर्डिनेटिंग टीम दोनों में 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। अगस्त 2013[60] में दिल्ली में बेघर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर शहरी अधिकार मंच ने एक जन-सुनवाई आयोजित की थी, जिसमें बहुत-सी बेघर महिलाओं ने बिना आश्रय के जीवनयापन करने और सड़क पर हिंसा सहने के अपने दु:ख भरे अनुभव बयान किए थे। शहरी अधिकार मंच में अधिक से अधिक महिलाओं, विशेषकर बेघर महिलाओं द्वारा भाग लिए जाने से बेघर महिलाओं की विशिष्ट समस्याएं प्रकाश में आएगी और इससे उनका संघर्ष और अधिक मजबूत होगा।

---

w

8 अन्य शहरों के लिए शिक्षा

शहरी अधिकार मंच तथा दिल्ली में बेघर लोगों के बीच कार्य करने वाले अन्य संगठनों के प्रयासों से कुछ सफलता प्राप्त हुई। परन्तु बहुत सी चुनौतियां अभी बाकी हैं। शहरी अधिकार मंच द्वारा मीडिया के जरिए चलाए गए धुंआधार प्रचार से, और नीति निर्धारण के स्तर पर आवासहीनता की समस्या राष्ट्रीय स्तर पर उभर पायी है, जिसका निवारण अब सरकार द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। दिल्ली की राज्य सरकार को तो समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सुविधा दिए जाने के संवैधानिक दायित्व पूरा करने हेतु मजबूर किया जा चुका हैं। शहरी अधिकार मंच द्वारा वर्तमान में चलाया जा रहा अभियान- बेघर लोगों को मतदाता सूची में शामिल किया जाना और उन्हें मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, और स्वास्थ्य बीमा कार्ड दिया जाना- भी सरकार को बेघर लोगों के समस्त मौलिक अधिकार प्रदान किए जाने के लिए मजबूर कर देगा।

फिर भी देश के अन्य भागों में बेघर लोगों के लिए स्थितियां अभी भी बहुत खराब हैं। 'भोजन का अधिकार' वाले मुकदमें में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को जारी किए गए नोटिस कि वह न्यायालय को बताएं कि उनके राज्य में बेघर लोगों की स्थिति क्या है और उसे सुधारने हेतु क्या उपाय किए गए हैं- के प्रत्युतर में राज्य सरकारों का निष्ठुर रूप सामने आया, जहां बेघर लोगों के मूल अधिकारों और मानवाधिकारों की घोर अवहेलना की जा रही हैं।

अन्य बड़े महानगरों में बेघरों के मुद्दे पर कार्य करने वाले अन्य समाजसेवी संगठन शहरी अधिकार मंच के अनुभवों से लाभान्वित हो सकते हैं। ऊपर दिए गए विस्तृत वृतान्त से ली गयी कुछ बहुमूल्य शिक्षा का सार इस प्रकार है:

परस्पर सम्मान और पारदर्शी कार्यप्रणाली पर आधारित एक नेटवर्क का गठन

- आवासहीनता की समस्या और शहरी गरीबी से सम्बन्धित अन्य मुद्दों पर कार्य करने वाले समूहों तथा व्यक्तियों का एक नेटवर्क तैयार करें। उसमें प्रतिनिधित्व करने वाली एक कार्यकारिणी सीमिति गठित करें जो नेटवर्क का संचालन करे और मार्गदर्शन प्रदान करें। एक सचिवालय/परस्पर सहभागिता की टीम और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की निरंतरता इस कार्य में बहुत लाभदायक है। वैसे नेटवर्क के सदस्यों के अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम और हस्तक्षेप हो सकते हैं, फिर भी नेटवर्क का अपना अलग कार्यक्रम होगा, जो कि आपसी सहमति के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा और इस पर बाद में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
- निर्बलतम वर्ग और समाज के हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोगों के मध्य शहरी गरीबी से सम्बन्धित मुद्दों पर कार्य करने वाले संगठनों के साथ गठबन्धन करें।
- निरंतर बैठकें आयोजित करें, खुले और पारदर्शी विचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन दें, और सूचनाएं और दस्तावेजों की सहभागिता करें, क्योंकि नेटवर्क के सभी सदस्यों को नई घटनाओं के बारे में जानकारी होनी अत्यावश्यक हैं।

बेघरों की समस्या निवारण के लिए एक मानवाधिकार कार्यक्रम बनाएं

- बेघर लोगों की समस्या निवारण हेतु मानवाधिकारों का एक कार्यक्रम अपनाएं, और स्वयं अपना कार्यक्रम बनाएं। बेघरों की आवश्यकता पूर्ति करवाएं और उन्हें सुविधाएं दिलवाएं, साथ में 'आवासीय निरंतरता' की अपनी रणनीति आगे बढ़ाए।
- पर्याप्त संख्या में आश्रयों को स्थापित करें और उनका प्रबंधन करें। इनकी स्थापना में मानवाधिकारों के मानकों का सर्वथा पालन करें।
- विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बेघर लोगों के वर्ग को विशेष सुविधाएं प्रदान करें, जैसे नशामुक्ति इलाज व परामर्श, चिकित्सा सुविधा, पुनर्वास आदि, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर इन्हें संदर्भित कर दें।
- कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा के उपायों को मिश्रित कर दें, और मानवाधिकारों के दायरे में कार्य करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बेघर लोग सड़क पर मौत के शिकार न हों।
- सरकार की अनीतियों पर सवाल खड़ा करें, जो लोगों को बेघर बनाती हों। आवासहीनता के मूल कारण जैसे परेशानी में पलायन करना और सस्ती दरों के मकान/भारत में सामुदायिक आवासों के अभाव को सरकार देखे। बेघरों के मध्यक्षेत्र में कार्य करते हुए सरकार की नीति-निर्धारण की प्रक्रिया में किसी अवसर पर शामिल हों।
- बेघरों को सुविधाएं दिलवाने के लिए अभियान तैयार कीजिए, जैसे-मतदाता सूची में बेघरों का नाम दर्ज करवाना, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, राशन कार्ड और अन्य सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धित लाभ।
- सड़क पर पड़े गंभीर रूप से बीमार व परित्यक्त बेघर लोगों की आवश्यकता पूर्ति हेतु उन्हें आपातकालीन सेवाऐं प्रदान करें। उन्हें पर्याप्त रूप से प्रचारित हेल्पलाइनों द्वारा सेवा प्रदान करें।
- मानवाधिकार शिक्षा शुरू करें, (बेघरों, गैर-सरकारी संगठनों, सरकारों और न्यायपालिका के लिए)

न्यायिक और अर्द्धन्यायिक उपादानों का प्रयोग करें

- सरकार व उसकी ऐजेंसियों के सभी कार्यों व भूलों में सुधारों के लिए न्यायिक प्रक्रिया का खुलकर उपयोग करें, विशेष रूप से बेघर लोगों के मानवाधिकारों को लागू करवाने के लिए। वैकल्पिक उपादानों का भी प्रयोग करें, जैसे सूचना अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय/राज्य मानवाधिकार आयोग, और अन्य आयोग जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, महिला आयोग, बाल आयोग, और अल्पसंख्यक आयोग, आदि।

प्राथमिक शोध करें और दस्तावेज एकत्रित करें, रणनीति तैयार कर हस्तक्षेप करें

- बेघर लोगों के जीवन और उनकी कमजोरियों की समझ, आवासहीनता के एक के बाद एक कारणों और बेघर लोगों के मानवाधिकारों के हनन के बारे में समझ पैदा करें। इससे बेघर लोगों के चारों ओर बने मिथक नष्ट होकर स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाएगी, उनकी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पहचान, हस्तक्षेपों के प्रकार का निर्णय और नीति-निर्धारण के स्तर पर वकालत की रणनीति तैयार करने में आवश्यक सहायता प्राप्त होगी। वर्तमान में चल रहे शोध कार्यों की शुरुआत यह समझ पैदा करने के लिए करें।
- नयी पीढ़ी के लोग जिनमें समाज में 'चेंजमेकर' बनने की अत्यधिक क्षमता है, उन्हें बेघर लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में समझने और सीखने की आवश्यकता है। कोरी राय बनाना और दुराग्रह पैदा करना आसान है। यह आवश्यक है कि नयी पीढ़ी देखे कि बेघर लोग किन-किन कष्टों को सहन करते हैं। बेघर लोगों के साथ कार्य करने वाले संगठनों के कार्यकलापों में छात्रों को शामिल कर उन्हें संवेदनशील बनाया जाना आवश्यक है। आश्रयगृहों में युवाओं की उपस्थिति से सकारात्मक वातावरण उत्पन्न होगा और वे भविष्य में गरीबों की सेवा करने वाले सहृदय नागरिक बन सकेंगे।

9 निष्कर्ष

दिल्ली में 14 वर्षों से अधिक के संघर्ष, जिसका असर अन्य राज्यों पर भी पड़ा, से नि:सन्देह यह सुनिश्चित हुआ कि चाहे वह राज्य हो, राजनेता, नौकरशाह या सामाजिक संगठन, बेघर लोगों की अब और अधिक समय तक उपेक्षा नहीं की जा सकती है। दिल्ली में बेघरों के अधिक जमावड़े वाले क्षेत्रों में जगह-जगह नीले तम्बू खड़े हैं, जो बेघरों के अस्थायी आश्रय हैं। कई क्षेत्रों में बेघरों के स्थायी आवास भी है, जिन पर लगे बोर्डो पर लिखा है 'आश्रय गृह'। बेघर लोगों ने पिछले दिनों आश्रयों में मूल सुविधाओं की उपलब्धता की मांग को लेकर डीयूएसआईबी कार्यालय तक मार्च किया। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद उन्हें ये सुविधाएं अभी तक नहीं उपलब्ध करवायी गयीं।

बेघरों में कुछ लोगों को पहचान व सुविधा कार्ड प्राप्त हो गए हैं, जैसे मतदाता पहचान-पत्र, राशन कार्ड, लेबर कार्ड, और स्वास्थ्य बीमा कार्ड। कुछ बेघर लोग आश्रयगृहों में प्रभारी के रूप में नौकरी करते हैं, जबकि कुछ अन्य गैर-सरकारी संगठनों में सामुदायिक कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। मुख्यधारा के पत्रकारों द्वारा लिखी गयी संवेदनशील और निरंतर खबरों से दिल्ली में बेघर लोगों के जीवन के कई पहलुओं और तमाम परेशानियों के बावजूद दिल्ली की सड़कों पर जीने के संघर्ष का खुलासा होता है। हालांकि यह आंदोलन बहुत ही लंबा है, फिर भी कुछ बड़े परिणाम प्राप्त होने से आगे चलते रहने की प्रेरणा मिलती है।

एक दशक से अधिक समय के बाद, अपने बीच बेघर लोगों की उपस्थिति का ज्ञान होने के मामले में दिल्ली भारतभर के अन्य नगरों से आगे है। 'नगर निर्माता' के रूप में उनके योगदान को स्वीकार करने और इन बेघरों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के मामले में भी ऐसा ही है। ऐसा दिल्ली के कुछ स्वयंसेवी संगठनों और *शहरी अधिकार मंच: बेघरों के साथ* की छतरी के नीचे कार्य कर रहे कुछ बेघर लोगों स्वयं द्वारा किए गए अथक प्रयासों के कारण संभव हुआ।

आवासहीनता अत्यन्त गरीबी का एक स्वरूप है, सरकार और कानून भी ऐसे लोगों को सक्रिय रूप से हाशिए पर धकेलने का प्रयास करता है, इससे इन लोगों के सारे अधिकार छिनते चले जाते हैं, और ये लोग हर तरह से वंचित हो जाते हैं। बेघरों का यह पतन केवल उच्चस्तरीय आर्थिक और विकास की नीतियों पर बड़े सवाल खड़े कर ही रोका जा सकता है -ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, वरन् विश्वस्तर पर भी किया जाना चाहिए।

राज्य की शक्तियों और संसाधनों का अधिकतम नागरिकों के लिए उपयोग केवल शक्तियों को सुगठित कर ही किया जा सकता है, उससे समस्त नीतियों और कार्यक्रमों में आम नागरिकों के हित सर्वोपरि हो जाएंगे। आज की सबसे बड़ी मांग यह है कि भारत के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों को सही अर्थों में लागू किया जाए।

ANNEXURES संलग्नक

संलग्नक-1

शहरी अधिकार मंच के सदस्य

1. एक्शनएड इंडिया
2. बेघर मजदूर संघर्ष समिति
3. बिजनेस एण्ड कम्युनिटी फाउंडेशन
4. बटरफ्लाईज
5. सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज
6. ग्रीन फ्लैग
7. हक
8. हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क
9. ह्यूमना पीपुल टू पीपुल
10. ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क
11. इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी
12. जन पहल
13. लेबर एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी
14. महिला प्रगति की ओर
15. मंडाला
16. नारी उत्थान समिति
17. नेशनल फोरम फॉर हाउसिंग राइट्स
18. नजदीक
19. पैगाम
20 प्रसार
21. शरण
22. द चाइल्ड ट्रस्ट
23. वौइस ऑफ यूथ

संलग्नक-2

शहरी अधिकार मंच: बेघरों के साथ - दृष्टि और लक्ष्य

लोगों का बेघरी की अवस्था में रहना सरकार की अपर्याप्त नीति एवं जवाबदेही की कमी - इन दोनों बातों का परिणाम है। भू-संपत्ति एवं आवास के बढ़ते हुए मूल्य, शहरों व कस्बों में आम लोगों हेतु घरों के विकल्पों में कमी, ग्रामीण क्षेत्रो में आजीविका के साधनों में कमी, बिना उचित पुनर्वास सुविधाओं को मुहैया या कराये गये गरीब बस्तियों की तोड़फोड़ और लोगों को उनके आवास से बेदखल करना- ये सभी कारण बढ़ती हुई संख्या में परिवारों, महिला, पुरुष व बच्चों को सड़को पर रहने को बाध्य करते हैं। हालांकि बेघर होते लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, फिर भी सरकार के पास इसके सही आंकड़े नहीं हैं।

ऐसे लोगों को बेघर माना जाता है जो सेंसस द्वारा स्वीकृत घर में न रहकर संकटपूर्ण व विषम परिस्थितियों में सड़क के किनारे फुटपाथ, ड्रेन पाइपों में, सीढ़ियों के नीचे, पूजास्थल अथवा रेलवे प्लेटफार्म पर रहते हैं।

महिलाओं और बच्चों का ऐसी स्थिति में रहना गंभीर चिंता का विषय है। बेघरी की स्थिति में रहने वालो में प्रमुख हैं- असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, असहाय व्यक्ति, विकलांग जन, वृद्ध तथा मानसिक रोगी। इनमें मजदूरों की एक बड़ी संख्या जो शहर की अर्थव्यवस्था में योगदान तो करती है किन्तु शहर के बुनियादी हकों से वंचित है।

बेघर लोगों के जिन अनेक मानवाधिकारों का निरंतर हनन होता हैं, उनमे से प्रमुख हैं:-

- उचित आवास
- भोजन
- स्वास्थ्य
- काम व आजीविका

इनके अलावा बेघर व्यक्ति जिस सबसे बड़े मुद्दे के लिये संघर्षरत हैं, वह है- कानूनी पहचान का। वह इसलिए क्योंकि कानूनी पहचान मिलने के लिए आवश्यक है कि एक निश्चित रहने का ठिकाना हो और इसी के अभाव में बेघर लोगों को कानूनी पहचान प्राप्त करना मुश्किल होता है। कानूनी पहचान मिलने पर ही अनेक सरकारी सुविधाएं जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, आंगनबाड़ी केंद्र की सेवा आदि प्राप्त होती हैं।

शहरी अधिकार मंच कैसे बना

पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली के बेघर समुदाय के अधिकारों को लेकर अनेक पहल व प्रयास हुए हैं। हाल में ऐसा महसूस किया गया कि दिल्ली में बेघरी की गंभीर समस्या से निपटने के लिए एक बड़े मंच की आवश्यकता है, जिसमें विभिन्न समूह तथा बेघर व्यक्तियों के आंदोलन शामिल हों।

हाल ही में इंडो ग्लोबल सोशियल सर्विस सोसायटी (आईजीएसएसएस) ने दिल्ली में एक सर्वेक्षण किया जिसमें पाया गया कि आश्रय अधिकार अभियान (एएए) के द्वारा सन् 2000 में किये गये सर्वेक्षण के मुकाबले बेघर लोगों की संख्या लगभग 60 प्रतिशत बढ़ गयी हैं। अध्ययन से यह भी पता चला कि बेघर लोगों की स्थिति ज्यों की त्यों है और उनके जीवन में कोई प्रगति नहीं हुयी है। सभी सरकारी कार्यक्रम झुग्गी बस्ती के गरीबों तक ही सीमित हैं। जबकि बेघर लोगों को विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया गया है।

यहां तक कि सर्दियों के लिए बनाए गये अस्थायी आश्रयों की संख्या भी बहुत समय से वही है, जबकि वृद्धों, महिलाओं, विकलांगों व बच्चों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। बस्ती उजड़ने और बेदखली के कारण बड़ी संख्या में परिवार बेघरी की हालत में खुले में रहने को मजबूर हैं। एक तरफ इस ओर सरकार की जबाबदेही

नहीं हैं तो दूसरी ओर बेघर समुदाय के साथ काम करने वाली संस्थाएं भी सीमित हैं।

सितंबर 2008 में कुछ संगठन एक साथ आए और इस बात पर सहमत हुए कि चूंकि बेघर समुदाय की समस्याएं बहुआयामी हैं, अत: मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इन्हीं चर्चाओं के परिणामस्वरूप 'शहरी अधिकार मंच: बेघरों के साथ' का गठन हुआ। शहरी अधिकार मंच का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसे पटल का निर्माण करना है जिसके माध्यम से सब मिलकर बेघर समुदाय के साथ ही बेघर समुदाय के लिए काम कर सकें, ताकि अंतत: बेघर समुदाय अपने आंदोलन का नेतृत्व कर सके व अपने अधिकारों के लिये स्वयं पैरवी कर सके।

विजन

बेघर लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा व संवर्धन करना जैसे कि भारतीय संविधान और अनेक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में सुरक्षित हैं, तथा अंतत: सभी बेघर लोगों के लिये उचित आवास की सुरक्षा को प्राप्त करना।

मिशन

1. बेघर लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा हेतु स्वयं बेघर समूहों के साथ तथा अन्य साथी संगठनों के साथ मिलकर काम करना
2. सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं तथा बेघर संगठनों के बीच की कड़ी को मजबूत करना
3. इस मुद्दे पर साथ देने के लिये अन्य भागीदारों को शामिल करना
4. इस मुद्दे पर सहभागिता बनाने एवं समर्थन के लिये रणनीति बनाना
5. सरकारी योजनाओं तक बेघर व्यक्तियों की पहुंच को बढ़ाना
6. सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों में बेघर व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित करना
7. बेघर समुदाय के आंदोलन को स्वयं की पैरवी हेतु मजबूत बनाना
8. स्वास्थ्य व आजीविका हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक बेघर व्यक्तियों की पहुंच बढ़ाना तथा उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना
9. बेघर महिलाओं व बच्चों के विशेष मुद्दों पर कार्य करना
10. राज्य एवं शहर के स्तर पर ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे कि बेघर समुदाय की स्थिति व उनके लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों की निगरानी की जा सके
11. बेघरी के मुद्दे तथा उनके अधिकारों हेतु मानवाधिकार की शिक्षा को बढ़ावा देना
12. बेघरों को अपनी पहचान बनाने की मुहिम में उनकी मदद करना

मंच का तात्कालिक उद्देश्य

बेघर समुदाय के प्रति अपनी जबाबदेही को बढ़ाना ताकि समुदाय तक मूलभूत सुविधाएं जैसे आश्रय, रसोई, बुनियादी सेवाएं व रोजगार के साधन पहुंच सकें।

मंच के दीर्घकालिक उद्देश्य

सरकार की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के प्रति जबाबदेही बढ़े ताकि वे बेघर समुदाय के लिये उचित एवं सुरक्षित आवास के प्रावधानों को सुनिश्चित करें।

शहरी अधिकार मंच के सिद्धांत

यह मंच सदस्य-संगठन-व्यक्ति की पहचान से परे हटकर एक सामूहिक पहचान के लिये कार्य करेगा। मंच के कार्यकलाप निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित रहेंगे:-

- पारदर्शिता
- सहभागिता एवं सम्मिलन
- लैंगिक समानता (महिला-पुरुष के बीच बराबरी)
- भेदभाव से परे

मंच के मुख्य कार्य बिंदु

- आवास-आश्रय, भोजन, पहचान एवं स्वास्थ्य इन चार अधिकारों पर कार्य;
- बेहतर एवं अधिक संख्या में स्वास्थ्य व आश्रय सुविधाओं हेतु सरकार से बातचीत की शुरुआत;
- बेहतर सुविधा पाने के लिये सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ मजबूत नेटवर्किंग;
- सर्दियों के अस्थायी आश्रयों की संख्या बढ़ाना तथा स्थायी आश्रयों की संख्या बढ़ाने हेतु कार्य करना;
- महिलाओं व बच्चों के लिये अलग आश्रय बनाना तथा 'मेडिकल सपोर्ट शेल्टर' स्थापित करना।

बेघरों के लिये भोजन हेतु रसोई का प्रावधान

- स्वास्थ्य सुविधाओं तक बेघरों की पहुंच बढ़ाना;
- बेघर समुदाय के लिये हेल्पलाइन शुरू करना;
- बेघर लोगों के लिये राशन कार्ड व मतदाता पहचान-पत्र बनवाना;
- बेघर लोगों के संगठन व खासकर बेघर महिलाओं के संगठन को बढ़ावा देना;
- बेघर लोगों के लिये क्षमतावर्धन व प्रशिक्षण कार्यशालाओं का प्रावधान बनाना;
- बेघर समुदाय की समस्याओं को समाज में उजागर करने के लिये मीडिया के साथ पैरवी करना;
- बेघर समुदाय के बुनियादी अधिकारों हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग व बाल अधिकार आयोग आदि संस्थाओं के साथ नेटवर्किंग करना;
- बेघर लोगों के प्रति समाज में व्याप्त मिथकों को हटाने हेतु सरकार व नागरिक समाज को संवेदनशील बनाना;
- बेघर लोगों की समस्याओं के सुधार के लिये योगदान एवं अभियान को सतत चलाने के लिये कॉरपोरेट कंपनियों व अन्य क्षेत्रों को शामिल करना।

शहरी अधिकार मंच का गठन सहभागिता व मेलजोल की भावना से किया गया है, ताकि बेघर समुदाय को अपने अधिकारों की प्राप्ति के संघर्ष में मजबूती मिले और बेघरी की समस्या के मूल कारणों को दूर कर सकें।

मंच उन सभी इच्छुक सस्थाओं को जुड़ने के लिये आमंत्रित करता है जो इस समस्या के प्रति चिंतित हैं और इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं।

संलग्नक-3

शहरी अधिकार मंच द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गयी दीर्घकालीन योजना

दिल्ली के बेघरों के मानवाधिकारों का संरक्षण: एक वृहद मानवाधिकार पर आधारित दीर्घकालीन योजना की आवश्यकता

1. समुचित आवास का मानवाधिकार

राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों में समुचित आवास के मानवाधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। इस प्रकार राज्य का यह कानूनी दायित्व है कि वह राज्य के समस्त नागरिकों के लिए समुचित आवास के मानवाधिकार का सम्मान करे, संवर्द्धन करे और उसे पूर्ण करे।

इंटरनेशनल कोबीनेन्ट ऑन इकोनोमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स (आईसीइएससीआर) के अनुच्छेद 11.1 में प्रावधान किया गया है, 'प्रत्येक पुरुष/महिला और उसके परिवार को पर्याप्त मानक के अनुसार जीवन यापन करने का अधिकार है, जिसमें समुचित आवास और अपने जीवनस्तर में लगातार सुधार करने का अधिकार है।'

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीवन के अधिकार में भी माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित करते हुए आश्रयगृह और आवास के अधिकार को मान्यता दी है, जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान अधिकार की गारन्टी देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, वंश, लिंग व और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव करने की पाबन्दी करता है। अनुच्छेद 19 समस्त नागरिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्वतत्रंता, वहां निवास करने और भारत के भौगौलिक क्षेत्र के किसी भी भाग में बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के ही निर्णयों में सुदामा सिंह व अन्य बनाम दिल्ली सरकार व एक अन्य (फरवरी 2010) और पी. के. कौल बनाम राज्य सम्पति अधिकारी व अन्य (नवम्बर 2010) के मामलों में समुचित आवास के अधिकार को मानवाधिकार, और इस अधिकार को परिपूरित करने के सरकार के दायित्व को स्पष्ट रूप से मान्यता प्रदान की गयी है।

संयुक्त राष्ट्र के समुचित आवास पर विशेष प्रतिवेदक ने समुचित आवास के मानवाधिकार को पारिभाषित करते हुए लिखा है कि यह सभी महिलाओं, पुरुषों, युवाओं, और बच्चों का अधिकार है कि वह अपने लिए सुरक्षित आवास और समुदाय को प्राप्त करे और उस पर निरन्तर अधिकार बनाए रखे जिसमें वह शान्ति और आत्म-सम्मान के साथ रह सके।

बेघरी की स्थिति समुचित आवास के मानवाधिकार का घोरतम हनन है। अत्यन्त साधारण प्रकार के आश्रयगृह के अभाव, आवास की बात तो दूर है, से बेघर लोगों के अनेकों मानवाधिकारों का हनन होता है। बेघर लोग अत्यंत अपर्याप्त स्थितियों में अपनी सुरक्षा, और स्वास्थ्य के खतरे में जीवन जीने को मजबूर हो जाते है। असमुचित आवास से उनके मानवाधिकारों का हनन तो एकदम स्पष्ट है, बेघर लोग स्वास्थ्य, पानी, भोजन, सुरक्षा और आत्म-सम्मान से जीवन जीने के मानवाधिकारों के हनन का भी सामना करते हैं।

आवास के अभाव से बेघर लोग अन्य मूल सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु अयोग्य हो जाते है। पोषक भोजन, शुद्ध पर्याप्त पेयजल, नहाने व कपड़े धोने आदि का जल, साफ-सफाई का अभाव बेघर लोगों, विशेषकर बच्चों व महिलाओं के लिए अनेक बीमारियों का रास्ता खोल देता है। सुरक्षित आवास का अभाव बेघर लोगों, विशेषकर महिलाओं व बच्चों को शारीरिक प्रताड़ना, हिंसा और यौन दुराचार के खतरे में डालने का मुख्य कारण है। बिना घर के खुले आसमान के नीचे सड़क पर रहने से उत्पन्न मानसिक कष्ट प्राय: बेघर लोगों, विशेषकर बेघर महिलाओं व बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी होता है।

'आवास का प्रमाण' और 'पहचान-पत्र' का अभाव उन्हें अधिकांश सामाजिक सुविधाओं और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की प्राप्ति के लिए अयोग्य बना देता है, जैसे-आईसीडीएसपीडीएस और स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के समान अवसरों की प्राप्ति। चूंकि अधिकांश बेघर लोगों के पास मतदाता पहचान-पत्र नहीं होता और उनका नाम शहर के आवास के पते पर मतदाता सूची में अंकित नहीं होता है, वह मतदान करने के अधिकारी नहीं होते, जिसके फलस्वरूप वह अपनी राजनीतिक आवाज से वंचित रह जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, सड़क पर रहने वाले बच्चों के जीवन जीने, सुरक्षा प्राप्त करने, विकास करने, शिक्षा प्राप्त करने और सहभागिता के बाल अधिकारों का भी बुरी तरह हनन होता है। कुपोषित होने, गरीबी से पीड़ित होने और प्रायः तरह-तरह के शोषण के शिकार होने के अतिरिक्त, सड़क पर रहने को मजबूर अधिकांश बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। अतः स्पष्ट है कि बेघर लोग, विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे, अपंग, मानसिक रोगी और वृद्ध लोग हमारे समाज में निर्बलतम और सबसे पिछड़े वर्ग के हैं।

(2) दिल्ली में बेघरी

पिछले 15 वर्षों से अधिक समय के दौरान, दिल्ली में बेघरी पर कई अध्ययन किए गए हैं, जिनमें उनके एकत्र होने वाले क्षेत्रों तथा दिल्ली में बेघर लोगों की आबादी के व्यवहार का वर्णन किया गया है। अतः इस दस्तावेज का उद्देश्य उन वर्णनों को दुहराना नहीं हैं। फिर भी यह बताना आवश्यक है कि बेघरी कुछ विशिष्ट कारणों से जनित होती है, उनमें सर्वाधिक मुख्य निम्न है:

- शहरी गरीबों के लिए सस्ते/कम खर्चीले आवासों का अभाव;
- रियल स्टेट में बेलगाम सट्टेबाजी और भूमाफिया के हौसले बुलन्द, जिससे दिल्ली में आवास शहरी गरीबों की पहुंच से एकदम बाहर हो गए हैं;
- बड़े कार्यक्रमों जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स, नगरी सौंदर्यीकरण और शहर नवीनीकरण परियोजनाओं के कारण मलिन बस्तियों के ध्वस्तीकरण और बलपूर्वक बेदखली में वृद्धि, और मलिन बस्तियों को समाप्त करने का अभियान। अन्य कहीं न बसाए जाने के कारण, बहुत से लोग बेघर कर दिए गए;
- योजनाबद्ध तरीके से भेद-विभेद;
- हाई-वेज और शापिंग मॉल जैसे तमाम अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने हेतु भू-उपयोग में भारी पैमाने पर परिवर्तन;
- शहरी गरीबों व पिछड़े समुदायों के लिए वित-पोषित योजनाओं की अनुपलब्धता, और - वृहद मानवाधिकारों पर आधारित राष्ट्रीय आवासीय कानून का अभाव।

जबकि दिल्ली में बेघरों पर कई सर्वेक्षण किये जा चुके हैं। सामाजिक संगठनों का अनुमान है कि दिल्ली में बेघरों की आबादी 1,00,000 से 1,50,000 के बीच है। एक आंकलन के अनुसार एक बेघर व्यक्ति गिना जाता है, तो एक अन्य छूट जाता है। बेघर महिलाओं संख्या कुल बेघर जनसंख्या की 15 से 20 प्रतिशत है। इनमें अधिकांश महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार, विधवाएं और अशक्त वृद्ध महिलाएं हैं जो अपने घरों से बाहर निकाली जा चुकी हैं।

देश के अन्य नगरों की तरह दिल्ली में भी सड़कों पर भारी संख्या में भटके हुए बच्चों का बसेरा है। इनमें से तमाम बच्चे सड़कों पर रहते हैं, जो जूते पालिश करने, रेलवे स्टेशनों पर अखबार बेचने, छोटे होटलों व दुकानों पर कार्य करने से लेकर कार धोने आदि का कार्य करते हैं।

दिल्ली के बेघरों की आबादी में एकरूपता नहीं है, वह सब भिन्न-भिन्न समुदायों के हैं और उनकी आवासहीनता के कारण भी अलग-अलग हैं। अतः उनकी आवश्यकताओं का निराकरण अलग-अलग ढंग से किए जाने की आवश्यकता है। बेघर लोगों के बड़े समूहों में शामिल हैं: मौसम के अनुसार पलायन करने वाले मजदूर, बच्चे, मानसिक रोगी, परित्यक्त, अपराध के शिकार, सजा पूरी करने के बाद छूटे कैदी, रिक्शा चालक, सिर पर बोझ ढोने वाले, हाथगाड़ी खींचने वाले, घुमंतू जाति के लोग, समाज से बहिष्कृत लोग, नशाखोर, हिंसा के शिकार और उजड़े हुए लोग।

बेघर लोगों में अधिकांश अपने-अपने रोजगारों में लगे हैं, और नगर की अर्थव्यवस्था और सेवाओं में अपना योगदान अपनी सस्ती मजदूरी द्वारा कर रहे हैं। वह लोग दिन भर हाड़तोड़ मेहनत करते हैं। फिर भी उन्हें 'शहर के अधिकार' से वंचित रखा जाता है, और भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन किया जाता है। दिल्ली के बेघरों को पुलिस बर्बरता, अधिकारियों की हिंसा और पक्षपाती व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है। कुछ कानून जैसे बॉम्बे भिक्षावृति निवारण अधिनियम, 1959 का प्रयोग बेघर लोगों का अपराधीकरण करने के लिए किया जाता है। इस कानून द्वारा मनमर्जी गिरफ्तारियां कर बेघर लोगों को जेल भेज दिया जाता है।

(3) समुचित आवास के मानवाधिकार का सम्मान, संरक्षण और उन्हें साकार करना: आवास की निरंतरता वाला तरीका

दिल्ली सरकार को अपने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के पालन हेतु सभी को समुचित आवास प्रदान करने हेतु वृहद उपायों का प्रयोग करना चाहिए। सरकार द्वारा सभी नीतियों, कानूनों और योजनाओं में मानवाधिकारों वाले तरीकों को प्रयुक्त और समायोजित किया जाना अति आवश्यक है। मानवाधिकारों वाले तरीकों में सबसे पहले अत्यन्त पिछड़ों के अधिकारों तथा आवश्यकताओं का निराकरण किए जाने की आवश्यकता है, जिनमें बेघर लोग भी शामिल हैं। समुचित आवास के मानवाधिकार को साकार करने की प्रक्रिया में आवास की निरन्तरता के तीन चरण शामिल हैं:

1. बेघरों के लिए आश्रयगृह: जो लोग बिना आश्रयगृह के खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, उनके लिए तात्कालिक समाधान विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

2. माध्यमिक आवास: इस चरण में ठहरने की अल्पकालीन व्यवस्था की जाती है, जैसे कार्यरत पुरुषों के लिए हॉस्टल, कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल, केयर होम, पुनर्वास व सुरक्षा केन्द्र आदि।

3. स्थायी आवास: कम खर्चीले/ कम दरों वाले आवासों का प्रबन्ध, जिनका निर्माण पर्याप्तता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हुआ हो, इनमें सुरक्षा और मूल सुविधाएं भी शामिल हों। सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि देश के प्रत्येक बेघर नागरिक की सेवा की जाय और उसे पर्याप्त आश्रयगृह दिया जाय। साथ ही, सरकार को समस्त बेघर लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा हेतु विशेष कदम उठाने चाहिए।

यहां यह दोहराया जाना महत्वपूर्ण है कि केवल आश्रयगृह प्रदान किए जाने का प्रावधान ही आवासहीनता का दीर्घकालीन समाधान नहीं है। यह तो केवल पहला कदम है, परन्तु इसे अविलंब लागू किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि दिल्ली में बेघरों के लिए स्थायी, पर्याप्त और रहने योग्य आश्रयगृहों की बहुत कमी है।

(4) बेघरी के मुद्दे पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया जाना

6 जनवरी 2010 को दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.पी.शाह द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध शुरू किए मुकदमें (डब्ल्यूपी(सी) 29/2010) में 22 दिसम्बर, 2009 को पूसा रोड पर बेघर लोगों का रात्रि आश्रयगृह ध्वस्त किए जाने के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बेघरों के मानवाधिकारों को मान्यता देते हुए कई प्रगतिशील निर्णय दिए और दिल्ली सरकार को स्थायी आश्रयगृह स्थापित करने का आदेश दिया और सरकार को अपने कानूनी और नैतिक दायित्वों का पालन करने के मद्देनजर एक वृहद योजना बनाने का भी आदेश दिया।

पीयूसीएल बनाम भारत सरकार वाले मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों (कमिश्नर्स) द्वारा बेघरी को भोजन के अधिकार से जोड़ कर लिखे गए पत्र के उत्तर में कई महत्वपूर्ण आदेश पारित किए, जिनमें बेघरों के मानवाधिकारों की रक्षा हेतु सरकार को प्रभावी उपाय करने को कहा।

विशेष रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मास्टर प्लान के प्रावधान

का उपयोग किया और सरकार को भारत भर में प्रति एक लाख की जनसंख्या पर एक बेघरों का आश्रयगृह स्थापित करने का आदेश दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 13.01.2010 मास्टर प्लान की आवश्यकता का उद्धरण देता है और बेघरों के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व पर जोर देता है:

'....हम यहां अपना मत प्रकट कर रहे हैं और निर्देश जारी कर रहे हैं क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में, विशेषकर आधुनिक युग में, समस्त नागरिकों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। कोई भी नागरिक इस लिए न मौत का शिकार हो, क्योंकि वह पुरुष या महिला गरीब है, और उस पुरुष या महिला के सिर पर छत नहीं है, और क्योंकि वह गर्मी या ठंड, या किसी अन्य मौसम से पीड़ित है। यह राज्य का प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वह बेघरों को आश्रयगृह प्रदान करे और हम तो केवल निर्देश जारी कर रहे हैं, ताकि राज्य को अपने इस उत्तरदायित्व की याद आ जाए।'

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.08.2011 में पुन: यह कहा गया कि अभी तक पुराने आदेशों का क्रियान्वयन नहीं किया गया है, और बल देकर राज्य को बेघरों के अधिकारों की रक्षा करने का आदेश दिया गया और दिल्ली में बेघरों के लिए स्थायी आश्रयगृहों को स्थापित करने और उनका प्रबन्धन करने का भी आदेश दिया:

''राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह स्थायी आश्रयगृहों....

''...जहां किसी विशेष कार्य करने का दायित्व है, वह कार्य किया जाना चाहिए, उससे यह कहते हुए बचने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए कि यह धनराशि व्यर्थ खर्च हो जाएगी।

''यह देखना राज्य सरकार और बोर्ड का दायित्व है कि आश्रयगृहों का निर्माण हो, उनका संचालन और देखरेख हो और गैर-सरकारी संगठन तो केवल सहायता कर सकते हैं, वह आदेश नहीं दे सकते।''

(5) दिल्ली में बेघरी से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजना की आवश्यकता

दिल्ली उच्च न्यायालय का दिनांक 22.01.2010 का आदेश जिसमें दिल्ली में बेघरी निवारण हेतु दीर्घकालीन योजना बनाए जाने को कहा गया,

''....सभी एजेंसियों ने आज अपनी सहमति प्रकट कर दी और हमें विश्वास दिलाया कि वह सब उक्त निर्देश का पालन करने हेतु एकजुट होकर कार्य करेगें और मुख्य सचिव दिशा-निर्देशन करेगें और जहां तक रात्रि आश्रयगृह का सम्बन्ध है मास्टर प्लान का क्रियान्वयन करेगें।

''उक्त कार्य के लिए एक दीर्घ कालीन योजना बनायी जानी चाहिए। अभी तक केवल तात्कालिक व्यवस्था की गयी है।

''हम समस्त एजेंसियों और दिल्ली एनसीटी की सरकार को निर्देश देते हैं कि सभी आपस में परामर्श कर एक दीर्घकालीन योजना बनाएं, और इसमें प्रत्येक एजेंसी की भूमिका भी तय करें।''

माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रगतिशील आदेशों के आधार पर शहरी अधिकार मंच: बेघरों के साथ के गठन के लिए 30 से अधिक संगठनों और बेघर लोगों के दिल्ली में समूहों के एक गठबंधन दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित एक दीर्घकालीन योजना की मांग पर पुन: जोर देता है और यह सुझाव देता है कि दिल्ली सरकार आगे आने वाले पांच से दस वर्षों तक के लिए दिल्ली के बेघर लोगों के लिए एक बृहद मानवाधिकारों पर आधारित योजना विकसित करे, जिससे बेघरी के विभिन्न स्वरूपों का निवारण किया जा सकें और बेघर आबादी के विभिन्न समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं का उत्तर दिया जा सके। इस दीर्घकालीन योजना में इन दो घटकों को शामिल करना आवश्यक है:

क. बेघरी के तात्कालिक संकट का निवारण किया जाना: स्थायी आश्रयगृहों के त्वरित प्रावधान द्वारा, और अन्य आकस्मिक व्यवस्था द्वारा जैसे 24 घंटे सहायता केन्द्र, और चिकित्सा सहायता और बेघरों के लिए अस्पताल की सुविधा।

ख. शहरी आवासीय कमी और कम खर्चीले आवासों के संकट का निराकरण करना: सस्ती दर/कम सर्चीली

आवासीय व्यवस्था के विकास द्वारा और वर्तमान में स्लम/मलिन बस्तियों के स्तर उच्चीकरण किए जाने के द्वारा।

(6) आवासहीनता से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजना की जरूरत

1. मानवाधिकारों के तरीकों को शामिल किया जाना चाहिए:

अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मानवाधिकारों के ढांचे, विशेष रूप से समुचित आवास के अधिकार के ढांचे को, दिल्ली की बेघरी की दीर्घकालीन योजना में शामिल किया जाना चाहिए। बेघरों के प्रति केवल दान का दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, सरकार को यह समझना चाहिए कि यह सुनिश्चित करना उसका संवैधानिक तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कतर्व्य है कि बेघर लोगों के मानवाधिकार सुरक्षित हों और वह पर्याप्त परिस्थितियों में आत्म-सम्मान व सुरक्षा के साथ वह अपना जीवन जी सकें।

2. बेघरों के लिए स्थायी आश्रयगृहों की वर्षभर तथा 24 घंटे की व्यवस्था प्राथमिकता से बनाएं:

दिल्ली में आवासहीनता के संकट का उत्तर अस्थायी टैण्ट नहीं हो सकते। वह केवल अस्थायी व कामचलाऊ व्यवस्था है, उनमें पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती है और बेघर लोगों की विभिन्न ऋतुओं में सुरक्षा भी नहीं होती। सरकार का ध्यान यह सुनिश्चित कराने की ओर होना चाहिए कि यह समस्त अस्थायी आश्रयगृह पर्याप्त स्थायी आश्रयगृहों में तब्दील कर दिए जाएं।

इसी आशय से, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.08.2011 में स्पष्ट कहा कि:

''राज्य सरकार का दायित्व है कि वह स्थायी आश्रयगृह गृह बनाए.... एक आश्रयगृह गृह से अपेक्षा की जाती है कि पर्याप्त आश्रयगृह प्रदान करे और वह आश्रयगृह रहने योग्य हो जहां स्थितियां किसी व्यक्ति के आत्म-सम्मान के साथ रहने के लिए अनुकूल हों।

अस्थायी आश्रयगृहों की स्थिति सुधारते हुए, स्थायी आश्रयगृहों पर भी उचित ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि बेघर लोगों जिन्हे रात्रि आश्रयगृहों की आवश्यकता है, की सेवा के लिए पर्याप्त स्थायी आवासों का निर्माण किया जा सके।''

चूंकि दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में प्रति एक लाख आबादी पर एक आश्रयगृह की व्यवस्था की गयी है और दिल्ली की कुल आबादी लगभग 150 लाख है, तो आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अविलम्ब 150 स्थायी आश्रयगृह स्थापित करे जिनमें प्रत्येक की क्षमता 100 व्यक्तियों की हो।

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.01.2010 में इसी बात पर बल दिया गया था:

'हमने यह नोट किया है कि मास्टर प्लान के पैराग्राफ 4.3 में रात्री आश्रयगृह के प्रावधान का विशेष रूप से हवाला दिया गया है। वास्तव में रात्रि आश्रयगृहों की इस आवश्यकता के बारे में प्रति एक लाख आबादी पर एक रात्रि आश्रयगृह का हवाला दिया गया है अब संबंधित अधिकारीगण यह बताएं कि मास्टर प्लान में उल्लिखित लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु क्या कदम उठाए जा चुके हैं...'

समस्त स्थायी आश्रयगृह 1 दिसम्बर 2011 तक तैयार व पूर्ण हो जाने चाहिए जिनमें सभी सुविधाएं उपलब्ध हों।

माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20 जनवरी 2010 में कहा गया है कि स्थायी आवास दिसम्बर 2010 तक तैयार हो जाने चाहिए:

'दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, नयी दिल्ली नगर निगम और कैन्टोनमेंट बोर्ड को निर्देशित करें कि वह दिसम्बर 2010 तक सड़कों पर रहने वाले बेघर लोगों के लिए कम से कम 140 स्थायी आश्रयगृह स्थापित करें।'

स्थायी बेघरों के आश्रयगृहों का निर्माण 'समुचितता' के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होना चाहिए।

(इसका विस्तरपूर्वक विवरण इस दस्तावेज के अगले खण्ड में दिया गया है।)

3. निर्माण कार्य बेघरों के नक्शे के अनुसरण में हो और उनके तथ्यों व आंकड़ों का स्पष्ट वर्णन हो (लिंग, जाति, आयु आदि के अनुसार):

ठीक-ठीक बनाए गए नक्शे और किए गए सर्वे, जो दिल्ली में बेघर लोगों के एकत्र होने के क्षेत्रों को दर्शाते हैं, और बेघर लोगों की आवश्यकताओं की सूक्ष्म समीक्षा के आधार पर ही दीर्घकालीन योजनाएं विकसित की जानी चाहिए।

'वन देहली' टीम द्वारा किए गए प्रयास और उसकी रिपोर्ट में दिल्ली के बेघर लोगों को नक्शे में दर्शाया गया है और उनके एकत्र होने वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां पर आश्रयगृह बनाए जाने की आवश्यकता है।

4. लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए और उनकी समयबद्धता भी स्पष्ट हो, ताकि कार्य पूर्ण हो सके और परिणाम प्राप्त हो सकें।

5. बेघर लोगों और बेघरी के मुद्दे पर कार्यरत सामाजिक संगठनों के साथ पर्याप्त परामर्श कर ही निर्माण कार्य हो। आश्रयगृह निर्माण के प्रत्येक चरण और योजना के क्रियान्वयन पर उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

6. सरकार के प्रत्येक विभाग/ऐजेंसी की भूमिका और उत्तरदायित्व स्पष्ट किया जाना चाहिए। यह परस्पर सहभागिता, आपसी सांमजस्य सुनिश्चित करने और गलतफहमी, दोहरे प्रयासों, और विरोधाभासी कार्यों को रोकना भी सुनिश्चित करेगा।

7. बेघर लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

8. बेघर लोगों को पहचान पत्र प्रदान किए जाने पर भी उचित ध्यान दिया जाए, जिनमें मतदाता पहचान-पत्र, राशन कार्ड शामिल हैं। यह आधार कार्ड/यूआईडी कार्ड से अलग होने चाहिए।

9. बेघर लोगों के लिए रोजगार परक शिक्षा और आजीविका कमाने हेतु अन्य उपायों का प्रशिक्षण सरकार द्वारा दिए जाने की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। साधारण ऋणों की विशेष योजनाएं/बेघरों की उद्यमिता के लिए भी सरकार द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए। फेरी लगाकर या सड़क पर फड़ लगाकर सामान बेचने हेतु नगर में बेघर लोगों के लिए फ्री जोन स्थापित किए जाने चाहिए।

10. यह भी प्रावधान किए जाने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि बेघर लोग सामाजिक सुरक्षा के योग्य माने जाय और उन्हें सरकारी योजनाओं जैसे आईसीडीएस, पीडीएस, सर्व शिक्षा अभियान, अस्पताल, चिकित्सा सुविधाएं आदि प्राप्त हो सकें।

11. आवासहीनता पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों/निर्णयों के कार्यान्वयन पर प्रगति रिपोर्ट भी संबंधित न्यायालय में पहुंचाने हेतु भी उचित व्यवस्था की जाए।

12. एक स्वतन्त्र मॉनिटरिंग कमेटी की स्थापना की जाए।

इस समिति में विशेषज्ञ, सामाजिक संगठनों और बेघर लोगों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए। जो कि बेघर लोगों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं का सही मूल्यांकन कर उन पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें। साथ ही दीर्घ-कालीन योजनाओं द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में की गयी प्रगति के बारे में भी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें।

इस प्रयोजन हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 09.08.2011 में कहा है:

''बोर्ड को एक समिति का गठन करना चाहिए जो कि सही परिपेक्ष्य में आश्रयगृहों की देखभाल कर सके ताकि मानवोचित उपयोग की सुविधाएं वहां उपलब्ध हो, और किसी के मन में ऐसा विचार न उत्पन्न हो कि उसे मानवेत्तर (मनुष्य से नीचा) व्यवहार किया जा रहा है और अस्थायी आश्रयगृह गृहों में उन्हें जानवरों की तरह ठहरने के लिए कहा जा रहा है।''

7. बेघरों के लिए स्थायी आश्रयगृहों के मानवाधिकार मानक

संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति, सामान्य टिप्पणी सं.-4, समुचित आवास का अधिकार और संयुक्त राष्ट्र में समुचित आवास के विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्ट में व्याख्यायित 'समुचित आवास' तत्वों का प्रयोग करते हुए, शहरी अधिकार मंच दिल्ली के समस्त स्थायी आश्रयगृहों के लिए निम्न आवश्यकताओं का प्रस्ताव करता है, जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता है:

कानूनी आधार: समुचित आवास का मानवाधिकार	आश्रयगृह की आवश्यकता
क. उचित स्थल	1. आश्रयगृह उचित स्थलों पर ही स्थापित किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए जिन क्षेत्रों में बेघर लोग सड़कों पर रहते हैं, और जो क्षेत्र उनकी पसंद के हैं।
	2. आश्रयगृह उन स्थानों पर स्थापित किए जाने चाहिए, जहां लोग उनसे आसानी से मिल सकें और वे भयाक्रांत या भयभीत न हों। उदाहरण के लिए, महिलाओं के लिए आश्रयगृह उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जाएं जहां वे स्वयं को सुरक्षित अनुभव करें।
	दिल्ली के उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.01.2010 के अनुसार: ''इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिन लोगों के लिए रात्रि आश्रयगृह स्थापित किए जा रहे हैं, उन्हें उन आश्रयगृहों का उपयोग करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा तय न करनी पड़े।''
	3. ये आश्रयगृह बेघर लोगों के कार्य स्थलों, आजीविका कमाने के स्थानों, स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं/अस्पतालों के निकट स्थापित किए जाने चाहिए। रहने के स्थान और आजीविका कमाई के स्थान के बीच संबंध को महत्व दिया जाना चाहिए।
	4. आश्रयगृह स्थल पर स्वास्थ्य या जीवन को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, वह प्रदूषण वाली भूमि या प्रदूषण के स्रोत के निकट या किसी खतरनाक स्थल के निकट स्थापित नहीं किए जाने चाहिए।
	5. आश्रयगृहों को उचित स्थलों पर स्थापित किए जाने के अतिरिक्त, आश्रयगृह पर्याप्त संख्या में स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि दिल्ली में बेघरों की सम्पूर्ण आबादी को सुविधा प्रदान की जा सके। वर्तमान में दिल्ली में केवल 64 स्थायी आश्रयगृह स्थापित है। नयी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में एक भी स्थायी आश्रयगृह स्थापित नहीं किया गया है। वर्तमान में समस्त अस्थायी व स्थायी आश्रयगृह दिल्ली की कुल बेघर आबादी का लगभग 15 से 20 प्रतिशत ही खपा पाते हैं।
	दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.01.2010 के अनुसार: ''... मास्टर प्लान के पैराग्राफ 4.3 में रात्री आश्रयगृह के प्रावधान का विशेष रूप से हवाला दिया गया है। वास्तव में रात्री आश्रयगृहों की इस आवश्यकता के बारे में प्रति एक लाख आबादी पर एक रात्री आश्रयगृह का हवाला दिया गया है।''
	''...यह बात ध्यान देने योग्य है कि दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 के अनुसार, 1,00,000 से 1,50,000 बेघर लोगों के रात्री आश्रयगृहों का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है, जबकि आज दिनांक तक किए गए उपाय तात्कालिक उपाय हैं। न्यायालय की पीठ ने यह अवलोकन किया है कि केवल चालू काम किया गया है।''

	भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.01.2010 के अनुसार: ''दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर निगम, और कैन्टोन्मेंट बोर्ड को निर्देशित करें कि वह दिसम्बर 2010 तक सड़कों पर रहने वाले बेघर लोगों के लिए कम से कम 140 स्थायी आश्रयगृह स्थापित करें।''
ख. उपलब्धता	1. आश्रयगृह सभी बेघर लोगों को भेदभाव बिना उपलब्ध होने चाहिए, इसमें जाति, वर्ग, समुदाय, पेशा, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान, सामाजिक स्तर, वैवाहिक स्तर और राजनीतिक विचारधारा आदि का कोई भेद नहीं होना चाहिए।
	2. विशेषकर, सभी आश्रयगृह- वृद्धों/वरिष्ठ नागरिकों, अपंगों, मानसिक रोगियों, बच्चों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं-विशेषकर गर्भवती और दुधमुंहे बच्चे वाली महिलाओं, अकेली महिलाओं, और ऐसे परिवार जिनमें बड़ी व कमाने वाली महिला हों- उन्हें स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
	3. कुछ वर्गों के लिए अलग विशिष्ट आश्रयगृह स्थापित किए जाने चाहिए, जो निम्न हैं:
	परिवारों के लिए
	बच्चों के लिए
	अकेली महिलाओं व बच्चों वाली महिलाओं के लिए
	कामकाजी पुरुषों के लिए
	अपंगों के लिए और
	ऐसे लोगों के लिए जिन्हें विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जैसे-बीमार, घायल, मानसिक रोगी, अत्यन्त वृद्ध, अत्यन्त गरीब, नशाखोर (नशाखोरी छुड़वाने के लिए इलाज और पुनर्वास की सुविधाओं सहित)
	4. बेघर लोगों को समस्त सरकारी सुविधाऐं (केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित) उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
	5. स्थायी आश्रयगृहों के लिए राज्य को:
	प्रयोग में न लायी जा रही इमारतों का प्रयोग किया जाना चाहिए (उनकी सम्पूर्ण सूची सम्बन्धित विभागों के पास उपलब्ध रहती है।)
	कुछ इमारतों में प्रयोग में न लाए जा रहे तलों/कमरों का सामुदायिक केन्द्रों के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।
	कुछ इमारतों में सामुदायिक केन्द्र स्थापित करने हेतु नए तलों का निर्माण किया जा सकता है।
	आवश्यकता पड़ने पर नयी इमारतों का निर्माण करें।
	इस प्रयोजन हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.05.2011 में कहा गया है:
	''चूंकि रात्रि आश्रयगृह के प्रावधान हेतु भूमि और इमारतों की सख्त जरूरत है, अत: भूमि की स्वामी सरकारी ऐजेन्सी को भी शामिल किया जा सकता है...''
	''नए निर्माण के लिए, बोर्ड को अपनी योजना लानी चाहिए, साथ ही साथ प्रयोग में न लायी जा रही एमपीसीसी श्रेणी की इमारतें, जो विभिन्न विभागों के अधिकार में रिक्त पड़ी हैं, उन्हें अपने कब्जे में ले लें।''

	सभी आश्रयगृहों को चाहिए कि वह:
	1. सभी ऋतुओं में सुरक्षा प्रदान करने वाले हों, जैसे गर्मी, वर्षा, ठंड, सीलन, हवा (अर्थात वह सभी मौसमी अवस्थाओं में उपयुक्त हों);
	2. वह मजबूत और पर्याप्त इमारती वस्तुओं से बनाए गए हों (विष-रहित, सभी मौसमी अवस्थाओं के लिए उपयुक्त और सुरक्षित) ;
	3. स्थान की पर्याप्तता और निजता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हों ;
	4. आग, बाढ़, इमारत ढहने के भय, और अन्य आंशकाओं के प्रति प्रभावी सुरक्षा हो, और स्वास्थ्य और जीवन को भय से भी मुक्त हो;
	5. व्यक्तिगत सामान को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त स्थान का भी प्रावधान करें, साथ ही रोजगार से जुड़ी वस्तुओं, जैसे- रिक्शा, ठेला/ हाथगाड़ी आदि के लिए भी स्थान होना चाहिए; और
	6. सुरक्षित लॉकर का भी प्रावधान करें, जहां वे लोग अपने कीमती सामान को सुरक्षित रख सकें।
ग. मूल सुविधाओं की उपलब्धता	इन आश्रयगृहों में सभी मूल सुविधाओं की समस्त निवासियों को उपलब्धता सुनिश्चित करें:
	1. पीने का पानी
	2. स्वच्छ बिस्तर-गद्दे, चादर, कबर सहित तकिए।
	3. कंबल
	4. स्नानगार सर्दियों में नहाने हेतु गर्म पानी की व्यवस्था हो
	5. बिजली-रोशनी, छत के पंखे, कूलर, हीटर
	6. सफाई-कूड़ादान, कूड़ा फेंकने का स्थान
	7. धोने की सुविधा (साफ पानी के साथ)
	8. बिस्तर को बदले जाने और धोए जाने की व्यवस्था
	9. मच्छर भगाने की व्यवस्था
	10. स्वच्छ शौचालय (10 व्यक्तियों के लिए 1 शौचालय) महिलाओं के लिए अलग, पर्याप्त और सुरक्षित शौचालय
	11. प्राथमिक उपचार सुविधा
	12. क्रेच और बच्चों के लिए खेलने का पर्याप्त स्थान
	13. शैक्षिक सुविधाएं:
	-आश्रयगृहों में रहने वाले सभी बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के रेजिडेन्सियल ब्रिज कोर्स प्रोग्राम के अन्तर्गत सुविधा प्रदान करवायी जानी चाहिए
	-उन आश्रयगृह स्थलों में जहां वयस्क रहते हैं वहां प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए
	14. फोन कनेक्शन
	15. आग बुझाने के पर्याप्त संयत्र
	16. टेलीविजन, रेडियो और समाचार पत्र
	17. भोजन पकाने/सामुदायिक रसोई की सुविधा

	सभी आश्रयगृह स्थलों में रसोई आवश्यक होनी चाहिए, जिनमें महिलाएं, बच्चे, अत्यन्त गरीब, मानसिक रोगी और अत्यन्त वृद्ध सभी शामिल हों।
	18. पर्याप्त हेल्थ केयर और परामर्श सुविधाएं जिनमें महिला डॉक्टर, महिलाओं के लिए नर्सों की भी व्यवस्था उपलब्ध हो।
	-स्वास्थ्य बीमा के रूप में सभी बेघर लोगों को 'स्मार्ट कार्ड' जारी किए जाय (रु. 1,00,000 का बीमा प्रति व्यक्ति) जो समस्त सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मान्य हो।
	-गर्भवती व दुधमुंहे बच्चे वाली महिलाओं के लिए विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जाए।
	इस प्रयोजन हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.05.2011 में कहा गया है:
	''यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन होगा कि यदि अभावग्रस्त या भयंकर गरीबी से ग्रस्त लोग, जिन्हें आश्रयगृह गृहों में रहने और ठहरने को मजबूर होना पड़ रहा है, उन्हें पीने का पानी और पंखे प्रदान किए जाएं... लोग मर्यादा और सामान्य आराम के साथ जीवन जिएं। कहने की आवश्यकता नहीं, इन आश्रयगृहों में रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग इन गृहों में शरण लेंगे, वह अंधेरे में नहीं रह सकते है...''
	''...यह अच्छा रहेगा कि आश्रयगृह गृहों में कम से कम दो शौचालय हों, ताकि लोगों को सुलभ शौचालय जाने के लिए विवश न होना पड़े, और पाखाना करने के लिए लाईन में न लगना पड़े। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसके बारे में बोर्ड को पूर्व में ही विचार करना चाहिए था, और हमें आशा है कि बोर्ड इस परिस्थिति का निवारण करेगा और आज से दस दिनों के समय के भीतर इस सुविधा को उपलब्ध करवाएगा। जो लोग बोर्ड के अधिकारी हैं वह देखेगे कि शौचालय में स्वच्छता बनी रहे।'
	19. समस्त आश्रयगृहों की सुविधा की पूरी देख-रेख होनी चाहिए, और इन आश्रयगृहों के संचालन का सम्पूर्ण व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए।
	दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.05.20011 के अनुसार:
	''...समस्त हकधारियों द्वारा एक संयुक्त और सुनियोजित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और जिन लोगों की सुविधा के लिए यह रात्रि आश्रयगृह बनाए गए हैं उन्हें कुछ अन्य अधिक सुविधाऐं प्रदान की जानी चाहिए।''
	''राज्य सरकार और बोर्ड का यह कतर्व्य है वह यह देखे कि क्या आश्रयगृह गृह स्थापित हो गए हैं, वे संचालित किया जा रहे हैं और उनका रखरखाव ठीक से किया जा रहा है, और गैर-सरकारी संगठन तो केवल सहायता ही कर सकते हैं, वह आदेश नहीं दे सकते।''
	20. प्राथमिकता के आधार पर सभी बेघर लोगों को प्रदान किया जाना चाहिए:
	-मतदाता पहचान-पत्र
	-एएवाई राशन कार्ड- कम से कम दो वर्ष की वैधता सहित, यदि वह दिल्ली में लम्बे समय तक बेघर रहते हैं तो उन कार्डो का पुनर्नवीनीकरण, अधिकतम 31 मार्च 2010 तक।

	माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 20 जनवरी 2010:
	''दिल्ली में सभी बेघर लोगों को कम से कम दो वर्ष की वैधता सहित एएवाई, राशन कार्ड जारी किए जाएं, और अगर वह दिल्ली में फिर भी बेघर रहते है तो उन कार्डो का पुन: नवीनीकरण, अधिकतम मार्च 31, 2010 तक किया जाय।''
	21. समस्त आश्रयगृहों पर बैंकिंग सुविधाएं (बचत योजनाएं/खाते सहित) भी उपलब्ध करवायी जाए।
घ. ज्यादा खर्चीले न होना	आश्रयगृह सस्ते और कम खर्चीले होने चाहिए। आश्रयगृहों में रहने के कारण बेघर लोगों की जेब पर अत्यधिक आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए और अधिक खर्चीला होने के कारण बेघरों को आश्रयगृह छोड़ने को मजबूर न करे।
	1. आपातकालीन, विशिष्ट आश्रयगृह जो महिलाओं, बच्चों, वृद्धों अत्यधिक गरीबों, मानसिक रोगियों, और नशाखोरों के लिए हों, उन्हें मुफ्त होना चाहिए।
	2. अन्य स्थायी आश्रयगृहों का अत्यन्त मामूली दर का किराया होना चाहिए, जो कि बेघर लोगों की आय के हिसाब से निर्धारित हो।
ड.. सांस्कृतिक पर्याप्तता	आश्रयगृह के निर्माण में लगा सामान, बनावट और स्थान का क्षेत्र संवासी की सांस्कृतिक आवश्यकताओं और पसंद के अनुसार होना चाहिए।
च. सुरक्षा व निजता	आश्रयगृहों को यह प्रदान करना चाहिए:
	1. सुरक्षा;
	2. हिंसा से पूर्ण सुरक्षा: विशेष रूप से महिलाओं व बच्चों को;
	3. निजता, विशेष रूप से लड़कियों और महिलाओं के लिए, महिलाओं व बच्चों/बच्चों वाली महिलाओं के लिए;
	4. व्यक्तिगत सामान रखने के लिए सुरक्षित स्थान और लॉकर की सुविधा;
	5. आश्रयगृह के प्रबन्धक/प्रभारी प्रशिक्षित होने चाहिए। प्रत्येक आश्रयगृह के लिए एक अलग प्रबन्ध समिति स्थापित की जानी चाहिए।
एच. सूचना और सहभागिता	1. बेघर लोगों को आश्रयगृहों की क्षमता, स्थल, और स्थान की उपलब्धता के बारे में त्वरित और पर्याप्त सूचना प्रदान की जानी चाहिए।
	2. आश्रयगृहों के डिजाइन, स्थल के चयन, और प्रबन्धन में बेघर लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, और साथ ही बेघरों के लिए योजनाओं/स्कीम बनाने में भी उनकी सहभागिता होनी चाहिए।
	3. बेघर लोगों को यह सूचना करीबी अस्पतालों, पुलिस थानों, राशन की दुकानों, और अन्य समस्त उपलब्ध सरकारी योजनाओं व सेवाओं द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। इसमें यह भी शामिल होना चाहिए कि सरकारी परियोजनाओं और सेवाओं से बेघर लोगों को जोड़े जाने से यह सुनिश्चित किया जाय कि उन बेघर लोगों तक पहुंच बनायी जा सकती है। इसमें बेघर लोगों को वर्तमान बेघर संसाधन केन्द्रों व लिंग संसाधन केन्द्रों से भी जोड़ा जाय। यह उत्तरदायित्व समस्त आश्रयगृह प्रबन्धकों/प्रभारियों पर होना चाहिए।

	4. समस्त बेघर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में समस्त सूचना उपलब्ध होनी चाहिए। उन्हें मानवाधिकारों के बारे में भी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
	दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.08.2011 के अनुसार: ''इसके बारे में तेजी से प्रयास किए जाने चाहिए कि जो लोग सड़कों पर सड़ रहे हैं उन्हें आश्रयगृह गृहों के बारे में उनमें उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी हो और उन्हें वहां रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। जैसा कि कमेटी द्वारा सुझाव दिया गया है, एक सुनियोजित प्रयास किया जाना चाहिए।' ''इसके लिए जागरुकता अभियान चलाए जाने चाहिए जो उत्तरदायित्व निभाने वाले गैर-सरकारी संगठनों के साथ बोर्ड द्वारा आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि लोग आश्रयगृह गृहों पर आए और यह गृह सभी मौसमों के लिए हों, चाहे गर्मी, वर्षा ऋतु हो या ठंड।''
छ. बेदखली का खतरा नहीं	बेघर लोगों को बेदखली और बेदखली के खतरे से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
	दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.01.2010 के अनुसार: ''हमें यह भी बताया गया है कि कुछ लोगों को अधिकारियों ने दिल्ली में आश्रयगृहों से निकाल दिया है। हमारा मत यह है कि अगले आदेश तक और वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में अस्थायी अथवा स्थायी रात्रि आश्रयगृह से किसी भी व्यक्ति को न निकाला जाए।''
ज. समाधान की उपलब्धता	1. कानूनी उपचारों तक आसान पहुंच के प्रावधान किए जाय, विशेष रूप से जब बेघर लोगों को पुलिस द्वारा बर्बरता का शिकार बनाया जाय, सरकारी अधिकारियों, मकान मालिकों, जमीन मालिकों या किसी अन्य द्वारा उनके अधिकारों का हनन किया जाए।
	2. जब भी उनके अधिकारों के हनन की घटना घटे, सरकारी अधिकारियों और अन्य स्वतंत्र संस्थानों को चाहिए कि वह बेघरों को आगे कभी वंचित किए जाने को रोकें, और न्यायिक व अन्य प्रकार के उपचारों तक पहुंच उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करें।

टिप्पणियां

1. 10 अप्रैल 1959 को भारत ने कोविनेंट का समर्थन किया। आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है जो विभिन्न देशों द्वारा इन्टरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनोमिक, सोशल व कल्चरल राइट्स (आईसीईएससीआर) 1966 के पालन पर नजर रखता है।
2. देखें, समुचित आवास पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्ट।
3. भारत की जनगणना रिपोर्ट 'बेघर लोगों को परिभाषित करती है कि जो लोग जनगणना के मकानों में नहीं रह रहे है। जिसका अर्थ है 'एक ढांचा जिसके ऊपर छत हो' भारत में अधिकांश बेघर लोग ऐसे स्थानों पर रहते हुए पाए जाते हैं, जैसे सड़क के किनारे, फुटपाथ, नालियों का पाईप, जीनों के नीचे, खुले आसमान के नीचे, मन्दिरों के मंडपों के नीचे, प्लेटफॉर्म, आदि (भारत की जनगणना रिपोर्ट, 1991:64) देश की आबादी के इस अंश में वह लोग शामिल है जो बिना आश्रयगृह के सोते हैं, उन निर्माण स्थलों

में सोते हैं जिनका उपयोग रहने के लिए नहीं किया जाता है, और सार्वजनिक कल्याण के स्थानों पर रहते हैं (संयुक्त राष्ट्र 1999) देखें, भारत के योजना आयोग के लिए किया गया अध्ययन, शीषर्क- लिविंग रफ: सरवाविंग सिटी स्ट्रीट्स, हर्ष मंदर द्वारा (2008-09)

4. इनमें शामिल हैं: द कैपिटलस होमलैस, आश्रयगृह अधिकार अभियान (2001), लिविंग रफ: सरवाइविंग सिटी स्ट्रीट्स, लेखक हर्ष मंदर (2008-9) तथा अन्य।

5. दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में भारत में शहरी आवासों की संख्या में कमी 247 लाख थी, जिनमें से 99 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों से सम्बन्धित थे। ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान। इन शहरी आवासों की कमी का आंकलन 265.3 लाख मकानों पर किया गया। दिल्ली में आवासों की संख्या में कमी 11.3 लाख आंकी जाती है।

6. इनमें आश्रयगृह अधिकार अभियान (2000), इंडो-ग्लोबल सोसल सर्विस सोसायटी (2008) मदर एनजीओ (2010) द्वारा किए गए सर्वेक्षण शामिल हैं।

7. इसे दिल्ली में राजीव आवास योजना के क्रियान्वयन से जोड़ा जा सकता है।

8. सामान्य टिप्पणियों इन्टर नेशनल कोविनेंट ऑन इकोनोमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स के संबन्धित अनुच्छेदों के भावार्थ हैं। जनरल कमेन्ट 4 जिसका शीर्षक 'दॅ राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग ((1999) है वह कोविनेन्ट के अनुच्छेद 11(1) में प्रदत्त पर्याप्त आवास' के अर्थ को विशेष रूप से विस्तार देता है।

9. दिल्ली के कुछ क्षेत्र जहां बेघर नागरिकों का अत्याधिक जमावड़ा पाया जाता है, उनमें शामिल हैं, जामा मस्जिद, पहाड़गंज, निजामुद्दीन, बंगला साहेब, और निगम बोध घाट। वन देहली की टीम द्वारा की गयी दिल्ली मैपिंग के गहन कार्य के परिणाम भी देखें।

10. अधिक जानकारी के लिए, देखें: यूएन बेसिक प्रिंसीपल्स एंड गाइडलाइंस ऑन डेवलपमेंट बेस्ड एविक्शंस एंड डिसप्लेसमेन्ट, 2007

संलग्नक-4

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 9.8.2011 का सार-संक्षेप

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनाक 9 अगस्त 2011 में कहा है कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि सड़कों पर सोने वाले बेघर नागरिकों के लिए स्थाई आश्रयगृहों के साथ कुछ अस्थाई आश्रयगृह भी होने चाहिए। इसके साथ-साथ आश्रयगृह में पर्याप्त चीजों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है जिससे कि बेघर नागरिकों को आश्रयगृह में सम्मानपूर्वक रहने की जगह न मिले। इसमें रहने योग्य एवं मूलभूत सुविधाओं को मुहैया करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अस्थाई आश्रयगृह में मूलभूत सुविधाओं के न होने के कारण बेघर नागरिक इनमें कैसे रह सकते हैं। सड़कों पर रहने वाले बेघर नागरिक को पता होना चाहिए कि आश्रयगृह में मूलभूत सुविधाएं हैं और उन लोगों को आश्रयगृह में रहने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। यहां बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि जमीनी स्तर पर कार्य की देखरेख करें और आश्रयगृहों को स्थापित करें, न कि मदर एनजीओ के कहने पर आश्रयगृहों को बंद करें। न्यायालय ने कहा है कि आश्रयगृह को चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और संस्थाएं उसमें सहयोग करेंगी, न कि निर्देशित करेंगी।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय इस विश्लेषण पर पंहुचा है और बोर्ड को निर्देशित करता है कि:-

(1) अस्थाई आश्रयगृहों को बंद करने की अपील को खारिज करता है।

(2) बोर्ड को एक कमेटी बनाकर जो कि आश्रयगृहों के संदर्भ में देखे कि सड़कों पर रहने वाला भी एक मानव है, न कि कोई जानवर कि उसे अस्थाई आश्रयगृह में डाल दिया गया है।

(3) बोर्ड को एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए जिसमें संस्थाओं को भी शामिल करे, जिससे कि बेघर नागरिकों को भी महसूस हो कि वह एक आश्रयगृह में रह रहा है, चाहे सर्दी, गर्मी एवं बरसात क्यों न हो। और यह आश्रयगृह सालोंसाल चले, चाहे कोई भी मौसम क्यों न हो।

(4) यदि कोई संस्था यह जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाती है, तो राज्य सरकार और बोर्ड को अधिकार है कि उस संस्था को बाहर करे, और उसके खिलाफ कार्यवाही करे और इसका आधार यह नहीं होना चाहिए कि आश्रयगृह बंद कर दिया जाए, आश्रयगृह चलता रहना चाहिए, यह राज्य सरकार और बोर्ड का उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता है।

(5) जब अस्थाई आश्रयगृह में सुधार होने लगे तो उसे स्थाई आश्रयगृह में तब्दील कर देना चाहिए, जिससे कि रात में सोने वाले लोगों को आश्रयगृह में सुकून से सोने की जगह मिल सके।

दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहे बेघर नागरिक मुद्दे पर न्यायालय ने स्वत: संज्ञान, आश्रयगृह को लेकर एवं तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर, दिनांक 9 अगस्त 2011 को आदेश दिया जिसके मुख्य बिंदु निम्न हैं:-

1. गर्मी में आश्रयगृह में उपयोगकर्ताओं की संख्या में कमी आ जाती है, इसलिए सरकार गर्मियों में सक्रिय रूप से तम्बू आश्रयों को उपलब्ध करवाने पर विचार करने वाली है।
2. सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को पक्के आश्रयगृहों की उपलब्धता को प्रचारित एवं प्रसारित करने का प्रयास करना चाहिए।
3. टेंट में आग, दुर्घटनाओं/चोट, बारिश और आंधी-पानी से संबंधित जोखिम हैं, इसलिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जा सकती है।
4. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक टेंट सरकार के लिए बहुत महंगा है क्योंकि निजी तम्बू का दैनिक उपयोग के लिए मोटी किराए की रकम चुकानी पड़ रही है जिससे भारी नुकसान हो रहा है। टेंट स्थायी समाधान नहीं हो सकता, इसलिए इस राशि को पक्के आश्रयगृह की सुविधा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
5. आश्रयगृह की रखवाली के लिए संस्थाएं उन्हीं समुदायों में से (बेघर नागरिक) लोगों को कार्यवाहक के

रूप में रखेंगी और उनकी कार्यकुशलता, व्यवसायिक कार्य, सुरक्षा, प्रशिक्षण एवं सशक्तीकरण को लेकर कार्य करेंगी।

6. दिल्ली फायर सर्विसेज अग्नि सुरक्षा, प्रशिक्षण और सुरक्षा प्रतिष्ठानों का नियमित आधार पर संचालन कर सकता है।

7. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) दिल्ली में बेघर नागरिकों के लिए उन जगहों की पहचान करेगा जहां पर बेघर नागरिक रहते हैं और उनके लिए पक्के आश्रयगृह के लिए जगह मुहैया करवाएगा।

8. यदि लगता है कि और पक्के आश्रयगृहों की जरूरत है तो दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और नए आश्रयगृह के निर्माण के लिए एक योजना बना सकती है और साथ ही बंद पड़ी इमारतें जैसे कि 'बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्र' खाली पड़े है उन्हें अधिक्रित कर सकती है जैसे की पीडब्ल्यूईडी, बाढ़ नियंत्रण, श्रम विभाग, दिल्ली नगर निगम आदि। और उसके बाद भी अगर आश्रयगृहों की कमी रह जाती है तो दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के तहत आश्रयगृह के निर्माण को प्रस्तावित कर सकता है।

9. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा नियंत्रित किये जा रहे स्थायी आश्रयगृहों में बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान है। हालांकि, केन्द्रों में रखरखाव, स्वच्छता और नियमित रूप से पानी की आपूर्ति की दिशा में कुछ और अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। अगर रात्रि आश्रयगृहों की सुविधा का प्रावधान पर्याप्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और विशेष रूप से गैर-सरकारी संगठनों और पुलिस के नेटवर्क के माध्यम से विज्ञापित किया जा रहा है तो इसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। रात्रि आश्रयगृहों को अच्छी तरह से प्रचारित करने से जरूरतमंद बेघर नागरिकों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। सभी कार्यरत संस्थाएं और विशेषज्ञ एक संयुक्त और ठोस प्रयास द्वारा लक्षित जरूरतमंद बेघर व्यक्तियों को लाभ उपलब्ध करा सकते हैं।

10. 'आपकी रसोई कार्यक्रम' दिल्ली सरकार द्वारा हर आश्रयगृह में लागू की जाए।

शहरी अधिकार मंच: बेघरों के साथ

(SAM:BKS — Urban Rights Forum : With the Homeless)

दिल्ली आधारित 20 से अधिक संगठनों, सामाजिक आंदोलनों और बेघर नागरिकों का समूह है। वर्ष 2008 में स्थापित एसएएम-बीकेएस भारत के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों द्वारा सुनिश्चित बेघरों के मानवीय अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करता है।

Shahri Adhikar Manch: Begharon Ke Saath
शहरी अधिकार मंचः बेघरों के साथ
Urban Rights Forum: With the Homeless

शहरी अधिकार मंच : बेघरों के साथ

जी-18/1 निजामुद्दीन वेस्ट
लोवर ग्राउंड फ्लोर, नई दिल्ली-110013
फोनः 011-2435-8492, ईमेलः shahriadhikarmanch@gmail.com